Par. S. 17. II. 24. 53
४४०

अंक २
संख्या २४

सत्यमेव जयते

सोमवार
४ मई, १९५३

संसदीय वाद-विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग ३८९७—३९४५]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग ३९४५—३९६२]

(मूल्य ४ आने)

237 P.S.D.

लोक सभा

सोमवार, ४ मई, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बिहार में विस्थापित व्यक्तियों के लिये बस्तियां

*१७९६. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज तक बिहार में पूर्वी बंगाल के विस्थापित व्यक्तियों के लिये कितनी बस्तियां स्थापित की गई हैं ;

(ख) ३१ दिसम्बर, १९५२ को उक्त बस्तियों में रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों की संख्या; तथा

(ग) उन स्थानों के नाम जहां ये बस्तियां स्थापित की गई हैं ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) :

(क) १८ ।

(ख) ४७९२ ।

(ग) एक विवरण सदन पटल पर रख दिया है । [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ६**]

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि बस्तियों में बसाये गये व्यक्तियों के अलावा अन्य विस्थापित व्यक्तियों को कोई पुनर्वास सहायता मिल रही है ?

श्री त्यागी : बिहार में ३५७११ व्यक्तियों को पुनर्वास सहायता दी गई है और यह स्पष्ट है कि बस्तियों में बसाये गये व्यक्तियों के अलावा अन्य विस्थापित व्यक्तियों को सहायता मिली है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन बस्तियों में प्राथमिक तथा औद्योगिक अथवा शिल्पिक प्रशिक्षण विद्यालय खोले गये हैं; और यदि हैं, तो क्या मैं उनकी संख्या जान सकता हूं ?

श्री त्यागी : मुझे खेद है कि मेरे पास ब्यौरे वार जानकारी नहीं है । किन्तु मैं मानता हूं कि कुछ प्राथमिक विद्यालय अवश्य खुले होंगे । मैं इस बारे में निस्सन्देह नहीं हूं । यदि माननीय सदस्य पूर्व सूचना दें तो मैं उन्हें जानकारी दे सकूंगा ।

भाग 'ग' राज्य

*१७९७. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री १९ फरवरी, १९५३ को पूछे गये प्रश्न संख्या १८९ को दिये गये उत्तर को देखते हुए यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार उन सुझावों को कैसे और कब तक कार्यान्वित करने का विचार कर रही है जो भाग 'ग' राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने जनवरी १९५३ के प्रथम सप्ताह में दिल्ली में सम्मिलित होकर तैयार किये थ; तथा

(ख) भाग 'ग' राज्यों के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा उक्त राज्यों के संविधानिक दर्जे में वांछित परिवर्तन ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). मुख्य मंत्रियों ने उन बातों की चर्चा की जिन के बारे में उन्हें प्रशासनीय तथा अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । भाग 'ग' राज्यों की सरकारों की सलाह से इन बातों का परीक्षण किया गया है और किया जा रहा है । जो समस्याएं कार्यपाली कार्यवाही द्वारा निबटाई नहीं जा सकीं उन्हें सुलझाने के लिये भाग 'ग' राज्यों का शासन अधिनियम, १९५१ में संशोधन करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि संबंधित समस्याएं अथवा कठिनाइयां सब राज्यों में एक सी हैं अथवा विभिन्न राज्यों में अलग अलग हैं । और भी, क्या मैं जान सकता हूं कि प्रस्तावित उपायों को कार्यान्वित करने के लिये कितना समय लगने की संभावना है ?

श्री दातार : कुछ समस्याएं एक सी हैं और कुछ समस्याएं विभिन्न राज्यों में विशिष्ट सी हैं । इस मामले में जल्दी की जा रही है ।

श्री एन० सोमना: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भाग 'ग' राज्यों को अधिक वित्तीय अधिकार देने का विचार किया जा रहा है ?

श्री दातार : इस तरह का एक सुझाव है किन्तु इस प्रश्न पर वित्त मंत्रालय द्वारा भी विचार किया जा रहा है ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार को मालूम है कि मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा दिये गये इन नये सुझावों के फलस्वरूप खर्च बढ़ने वाला है ?

श्री दातार : यह स्पष्ट नहीं है कि खर्च बढ़ेगा या नहीं, लेकिन बढ़ भी गया तो भी उन सुझावों पर विचार किया जाएगा यदि उन से कार्यपटुता बढ़ती हो ।

श्री गिडवानी : क्या राज्य मंत्री ने यह नहीं कहा है कि यदि भाग 'ग' राज्य इसी तरह पैसे खर्च करते रहेंगे तो इस बात को सोचना पड़ेगा कि उन्हें चलने दिया जाय अथवा समाप्त कर दिया जाय ?

श्री दातार : राज्य मंत्री का वक्तव्य इस तरह नहीं था जिस तरह माननीय सदस्य ने उसे रखा है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या माननीय मंत्री मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों की प्रतिलिपि सदन पटल पर रख देंगे ?

श्री दातार: हम इसका विचार करेंगे ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पार्ट 'सी' स्टेट्स जिन की सालाना आमदनी कम है उन के बारे में क्या विचार किया जा रहा है ?

श्री दातार : भारत सरकार अनुदान देने की सिफारिश करती है क्योंकि भाग 'ग' राज्यों के बारे में अन्तिम उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार पर है ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या पार्ट 'सी' स्टेट्स को, जिनकी कि आमदनी कम है, सरकार जो पास की स्टेट्स हैं उनमें मिलाने की कृपा करेगी ?

श्री दातार : यह बृहत्तर नीति का प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही की सूचना है ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या मैं उन विशिष्ट कठिनाइयों को जान सकता हूं जिनका सामना भाग 'ग' के राज्यों को करना पड़ता है ?

श्री दातार : कर्मचारियों की नियुक्ति तथा नियंत्रण से लेकर सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना तक अनेक समस्याएं उपस्थित हैं । उन्हें कुछ प्रक्रियात्मक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है । सरकार कार्य-पाली कार्यवाही के बारे में जो कुछ किया जा सकता है वह सब तुरन्त कर रही है । भाग 'ग' राज्यों के शासन अधिनियम में संशोधन करने का प्रश्न भी विचाराधीन है ।

राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता

*१७९८. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के हिन्दी विभाग में इस समय कितनी पुस्तकें विद्यमान हैं ;

(ख) क्या हिन्दी के समस्तउपलब्ध साहित्य को इस पुस्तकालय में संग्रहीत करना संभव हो सका है ;

(ग) यदि नहीं, तो उस के कारण;

(घ) पुस्तकालय में इस समय मौजूद पुस्तकों (भाषा-वार) की सम्पूर्ण संख्या; तथा

(ङ) इस पुस्तकालय पर सरकार द्वारा किये जाने वाला वार्षिक आवर्त्तक तथा अनावर्त्तक व्यय ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) ४२३३ (१२-३-५३ तक) ।

(ख) नहीं ।

(ग) उपलब्ध निधि हिन्दी भाषा में प्रकाशित समस्त पुस्तकें खरीदने के लिये पर्याप्त नहीं है ।

(घ) एक विवरण सदन पटल पर रखा गया है [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ७**]

(ङ) १९५२-५३ में आवर्त्तक खर्च २९३७८८ रुपये और अनावर्त्तक खर्च ५५००० रुपये हुआ ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं यह जान सकता हूं कि ऐसे पुस्तकालय के लिये जैसा कि नैशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता ,है कोई कापी राइट अधिकार के सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है कि ऐसे पुस्तकालयों को कम से कम एक प्रति तमाम प्रकाशनों की मिल सके । यदि हां, तो कब तक यह विचार परिपक्व होगा ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां, कापी राइट ऐक्ट के सुधार के सम्बन्ध में तो विचार हो रहा है लेकिन गवर्नमेंट की ला मिनिस्ट्री ने इस पर ऐतराज़ किया है कि ऐसा करना सम्भवतः हमारे संविधान के अनुसार उचित नहीं होगा कि हम किसी पबलिशर से किताब मांग सकें । लेकिन फिर भी आशा है कि बहुत जल्द ही इस प्रश्न पर कोई निर्णय हो जायगा और तब हम पबलिशर्स से किताबें ले सकेंगे जिस से कि इस लाइब्रेरी में पुस्तकों की संख्या ज़्यादा हो सके ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या कारण है कि इतने बड़े पुस्तकालय में जहां जैसा कि बयान में दिया हुआ है, लगभग साढ़े सात लाख पुस्तकें हैं, उन में हिन्दी के विषयों पर इतनी कम पुस्तकें हैं, और क्या इस सम्बन्ध में बहुत जल्दी कोई विचार किया जा रहा है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां, इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य से• गवर्नमेंट की बहुत हमदर्दी है । हम भी चाहते हैं कि हिन्दी पुस्तकों का संग्रह बहुत शीघ्र बढ़ जाय । इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है । हमें आशा है कि इस साल जो ५० या ५५ हज़ार की रकम इसके लिये अलग

रखी गई है उस में अधिकांश पुस्तकें प्रादेशिक भाषाओं और विशेष कर हिन्दी भाषा की होंगी। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि यह जो साढ़े सात लाख किताबें हैं वे पुराने ज़माने की हैं जब कि खास तौर से अंग्रेजी किताबें इकट्ठी की जाती थीं।

डा० सुरेश चन्द्र : मंत्री महोदय ने अभी बतलाया है कि इस राष्ट्रीय पुस्तकालय के हिन्दी विभाग में बहुत कम पुस्तकें हैं। ऐसी सूरत में क्या यह ठीक नहीं है कि पुस्तकालय का नाम राष्ट्रीय पुस्तकालय के बजाय अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तकालय रखा जाय?

श्री के० डी० मालवीय: जी नहीं, यह ठीक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को इस मौके का उपयोग विनोद निर्मिति के लिये नहीं करना चाहिये।

डा० सुरेश चन्द्र : मुझे खेद है, श्रीमान्। मैं विनोद नहीं करना चाहता था। यह वस्तुस्थिति है, क्योंकि इस राष्ट्रीय पुस्तकालय में राष्ट्रीय पुस्तकें नहीं हैं। हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी है और वहां हिन्दी पुस्तकें बहुत थोड़ी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मेरे वक्तव्य का गलत अर्थ लगाने में क्या लाभ देखते हैं? मैं ने यह कहा था : इस मौके का उपयोग विनोद निर्मिति के लिये नहीं किया जाना चाहिये। यह राष्ट्रीय पुस्तकालय कतिपय वर्षों से अस्तित्व में है। वह कल या परसों नहीं शुरू हुआ है। हिन्दी राष्ट्रभाषा की जाने के पहले अन्य अनेक भाषाएं थीं जो उतनी ही अच्छी तथा महत्वपूर्ण थीं और उन भाषाओं में लिखी गई किताबें उक्त पुस्तकालय में रखी गईं। अब हिन्दी राष्ट्रभाषा बना दी जाने के बाद, माननीय मंत्री ने बताया है कि हिन्दी पुस्तकों की ओर अधिक ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिन्दी की किताबों की संख्या जितनी हो उतनी बढ़ाई जानी चाहिये। इस पर भी यदि माननीय सदस्य पूछते हैं कि इसे अन्तर्राज्यिक अथवा अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तकालय क्यों न कहा जाय, तो उनका अभिप्राय स्पष्ट है।

डा० सुरेश चन्द्र : उसमें राष्ट्रीय पुस्तकें अधिक नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सवाल यह नहीं है कि उस में इस प्रकार की पुस्तकें हैं या नहीं। माननीय सदस्य का वक्तव्य व्यंगात्मक था और हमें इस प्रकार के वक्तव्य नहीं करने चाहियें।

डा० सुरेश चन्द्र: यदि मेरे कहने का यह अर्थ लगाया गया हो, तो मुझे अत्यन्त खेद है।

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं। उनके वक्तव्य का अभिप्राय यही था और उसका सही अर्थ लगाया गया था।

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) : ये लायब्रेरी, आनरेबल मेम्बर को मालूम है कि, सौ वर्ष पहले कायम की गई थी। कुदरती तौर पर उस वक्त इसका मकसद यह था कि अंग्रेज़ी की ज्यादह से ज्यादह किताबें जमा की जाएं। अंग्रेज़ी की किताबें भी हमारे लिये निहायत कीमती हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इस में हिन्दी की किताबें भी बढ़ाई जायें। लेकिन ज़ाहिर है हमें देखना होता है कि कितना खर्च हाथ में है। हमारी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द हम हिन्दी किताबों की तादाद को बढ़ावें।

श्री टी० के० चौधरी : माननीय श्री मालवीय ने अभी जो वक्तव्य दिया उस से क्या मैं यह मान लूं कि इस राष्ट्रीय पुस्तकालय को कापी राइट अधिकार देने में कानूनी अथवा संविधानिक कठिनाइयां हैं?

श्री ०के डी० मालवीय : जी नहीं । मैंने कहा कि प्रकाशकों को पुस्तकें देने पर विव करने में कुछ संविधानिक कठिनाई है। यह विषय विचाराधीन है ।

मौलाना आज़ाद : नहीं, एक बिल इस गरज से हम पेश कर रहे हैं ।

लाला अचिन्त राम : क्या माननीय मंत्री जी फरमायेंगे कि इस साल के लिये हिन्दी किताबों के लिये कितना रुपया रखा गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : मैंने कहा कि ५५ हजार रुपये अलग रखे गये हैं जिनसे मुख्यत: हिन्दी और प्रान्त की दूसरी भाषाओं की किताबें खरीदी जायेंगी । इस ५५ हज़ार में से अलग अलग बंटवारा तो नहीं किया गया है, लेकिन मैंने कहा कि अधिक से अधिक हिन्दी पुस्तकें खरीदने का प्रबन्ध विभाग कर रहा है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या माननीय मंत्री यह बतला सकेंगे कि इस हिन्दी विभाग में प्राचीय हस्तलिखित ग्रन्थ कितने हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : मेरे पास इसकी सूचना तो, खेद है, इस समय नहीं है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि सन् १९५२-५३ में जो ५० हज़ार रुपये इस लायब्रेरी को दिये गये हैं किताबें खरीदने के लिये और प्रकाशन खरीदने के लिये उन में से कितनी रक़म हिन्दी किताबें खरीदने पर खर्च की गयी है ?

श्री के० डी० मालवीय : मेरे पास इस की सूचना इस समय नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य चाहें तो इस की सूचना मैं बाद में उनको दे सकता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मेरा एक छोटा सा प्रश्न और बाकी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : उसे छोड़ दो । हम यहां इस विषय की चर्चा नहीं कर रहे हैं । काफ़ी सवाल पूछे गये हैं ।

पैट्रोल तथा मिट्टी का तेल

* १७९९. **श्री दाभी :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि सरकार का भूतत्वीय विभाग इस समय गुजरात में कैंबे के किनारे के निकट पैट्रोल तथा मिट्टी के तेल की प्राप्ति की सम्भावनाओं का अनुसंधान कर रहा है; तथा

(ख) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर हां में है, तो इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) भारतीय भूतत्वीय परिमाप द्वारा कैंबे के निकट गुरुतत्वाकर्षण तथा लोहचुम्बन शक्ति का परिमाप किया जा रहा है ताकि जहां तेल होने की सम्भावना है उन निम्न स्तरों के लक्षणों का कुछ पता चले ।

(ख) उक्त क्षेत्र के ५०० से अधिक स्थानों में किये गये गुरुतत्वाकर्षण तथा लोहचुम्बन शक्ति विषयक निरीक्षण परीक्षणाधीन हैं ।

श्री दाभी : श्रीमान्, क्या मैं जो अधिकारी यह अनुसंधान चला रहे हैं उनका नाम तथा उपाधि और अनुसंधान के आरम्भ का समय जान सकता हूं ?

श्री के० डी० मालवीय : यह अनुसंधान कुछ समय से चल रहा है । जैसा कि मैंने कहा है, लगभग ५०० स्थानों में निरीक्षण किये गये हैं । निरीक्षण लिख लेने के बाद अब

आंकड़े जोड़े जा रहे हैं। उनका परीक्षण जारी है और अभी यह कहना असम्भव है कि क्या ऐसे भूसार प्रगट हो गये हैं जहां तेल मिलने की सम्भावना हो सकती है। किन्तु प्रारम्भिक आशा दिखलाई दे रही है।

श्री दाभी : इस अनुसंधान को चलाने वाले अधिकारी का नाम क्या है ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे भय है कि इस अनुसंधान को चलाने वाले अधिकारी का नाम इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या यू० पी० में कोई जांच हुई है कि वहां भी इस तेल के सम्बन्ध में कोई सम्भावना है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी, नहीं, ऐसी कोई जांच वहां नहीं हुई है। अक्सर रिपोर्ट आया करती है, खतूत भी आया करते हैं कि यू० पी० में भी कहीं कहीं जांच की जाय।

श्री गणपति राम : क्या मैं जान सकता हूं कि जो देश में तेल का उत्पादन होता है वह देश की आवश्यकता के लिये पूरा हो जाता है ? यदि नहीं तो सरकार इस विषय में क्या प्रयत्न कर रही है और कितने वर्ष में देश तेल के सम्बन्ध में भरपूर हो जायगा और तेल आयात करने की आवश्यकता नहीं रहेगी ?

श्री के० डी० मालवीय : ऐसा कोई उत्तर फौरन इस हाउस में देना सम्भव नहीं है कि जितने तेल की आवश्यकता देश में है वह साल या दो साल में पूरी हो जायगी। लेकिन सरकार इस मामले में सतर्क है और पूरी तरह चारों तरफ़ जांच कर रही है और आशा है कि इस छानबीन से जो इस वक्त हो रही है तेल का उत्पादन काफ़ी बढ़ जायेगा।

श्री टी० के० चौधरी : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह अनुसंधान सीधे भूतत्वीय विभाग के अधिकारियों द्वारा चलाया गया था अथवा स्टैंडर्ड व्हैक्यूम जैसे किसी अमेरिकन कम्पनी की सहायता से ?

श्री के० डी० मालवीय : श्रीमान्, मैं बता चुका हूं कि ये अनुसंधान भारतीय भू-तत्वीय परिमाप द्वारा चलाये गये थे और इस प्रकार के अनुसंधानों के लिये विदेशियों की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं।

छिपाई हुई आमदनी

*१८००. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५२–५३ में पकड़ी गई छिपाई हुई आमदनी की राशि; तथा

(ख) उपर्युक्त अलिखित राशि का स्वरूप और अपराधियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : सन् १९५२–५३ में आय-कर अनुसंधान द्वारा तथा रहस्यभेद की योजना के जरिये पकड़ी गई छिपाई हुई आमदनी कुल २०.५४ करोड़ रुपए की थी। इसके अलावा सामान्य निर्धारण प्रक्रिया की दौरान में विभागीय अधिकारियों ने भी कुछ राशि पकड़ी है परन्तु उसकी जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है। अत्यधिक समय तथा श्रम खर्च किये बिना वह एकत्रित नहीं की जा सकती।

(ख) साधारण तौर पर, छिपाई हुई आमदनी में काले बाजार का पैसा; सट्टे के लाभ; खर्च बढ़ा कर, बिक्री कम दिखा कर, भंडारों की कीमत घटा कर, सट्टे के घाटे खरीद कर, सौदों को खंडित कर तथा इसी प्रकार के अन्य उपायों से छिपाये गये लाभों का समावेश होता है।

प्रत्येक मामले की परिस्थिति तथा तथ्यों के अनुसार अपराधियों को थोड़ा या कड़ा अर्थ दण्ड दिया जाता है।

श्री एल० एन० मिश्र : श्रीमान् क्या मैं पकड़ी गई अधिकतम राशि जान सकता हूं ?

श्री एम० सी० शाह : एक व्यक्ति द्वारा छिपाई गई अधिकतम राशि ?

श्री एल० एन० मिश्र : हां ।

श्री एम० सी० शाह : मेरे पास अलग अलग आंकड़ें नहीं हैं ।

श्री एल० एन० मिश्र : एक अपराधी व्यक्ति को अधिकतम दण्ड कितना दिया गया ?

श्री एम० सी० शाह : यह जानकारी भी मेरे पास नहीं है । यदि माननीय सदस्य चाहते हों तो मैं जानकारी बुलवा कर उन्हें दे दूंगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं पूछ सकता हूं कि ऐसे बिज़िनैसमैन और व्यापारियों को जो कि ऐसी छिपी हुई रक़मों में मदद कर सकते हैं उनको सरकार किसी प्रकार की छूट या कमीशन देती है या ऐसा कुछ करने का विचार करती है ?

श्री एम० सी० शाह : पारितोषिक दिये जाते हैं ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या ऐसे मामलों में कुछ यूरोपीय व्यापारी भी सम्बन्धित थे ?

श्री एम० सी० शाह : मेरे पास वे आंकड़े भी अलग अलग नहीं हैं । यदि माननीय सदस्य चाहते हों तो मैं वह जानकारी बुलवा कर उन्हें दे दूंगा ।

श्री टी० एन० सिंह : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि ये जो २० और कुछ अधिक करोड़ रुपये की राशि दी गई है, क्या उसमें अनुसंधान आयोग अथवा विभाग द्वारा अन्तिम रूप में पकड़ी गई आमदनी शामिल है अथवा क्या उसमें ऐसी राशियां समाविष्ट नहीं हैं जिनके बारे में अभी छानबीन हो रही है ? यदि नहीं है, तो उनका कुल जोड़ कितना है ?

श्री एम० सी० शाह : इन २०·५४ करोड़ रुपयों में आय कर अनुसंधान आयोग की जांच द्वारा तथा रहस्यभेद की योजना द्वारा पकड़ी गई आमदनियां समाविष्ट हैं ।

श्री केलप्पन : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि कितने अधिकारियों को दण्ड दिया गया तथा अधिकतम दण्ड कितना दिया गया ?

श्री एम० सी० शाह : यह जानकारी भी मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है । यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं बुलवा लूंगा ।

श्री एल० एन० मिश्र : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि कर टालने के कितने मामले सरकार द्वारा अनुसंधान आयोग को सौंपे गये और उनमें से कितने निबटाये गये तथा कितनों के बारे में अभी अनुसंधान जारी है ?

श्री एम० सी० शाह : अनुसंधान आयोग को अभी तक सौंपे गये मामलों की संख्या १५९७ है और प्रारम्भ से मार्च १९५३ तक निर्धारित तथा अनुसंधानाधीन मामलों की कुल मिला कर ८५४ है ।

श्री फिरोज़ गांधी : श्रीमान्, क्या यह तथ्य है कि कुछ लोगों नें आयकर अनुसंधान आयोग के सामने जो स्वीकृतियां दीं वे बिल्कुल गलत साबित हुई और आयोग के कुछ नियम एवं विनियम के कारण इन लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी । मैं किसी का नाम प्रगट करना नहीं चाहता हूं ।

श्री एम० सी० शाह : कुछ मामलों में दण्ड आरोपित किया गया.....

श्री फिरोज़ गांधी : नहीं, श्रीमान् । मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह तथ्य है कि कुछ लोगों ने आयकर अनुसंधान आयोग के सामने गलत स्वीकृतियां दीं और आयोग के कुछ नियम एवं विनियमों के कारण इन लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी ?

श्री एम० सी० शाह : श्रीमान्, इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री टी० एन० सिंह : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि आय कर आयोग के सामने दिये गये वक्तव्यों पर क्या झूठी गवाह वाली धारा लागू नहीं होती ?

श्री एम० सी० शाह : हां, यह तथ्य है ।

श्री पुन्नूस : क्या सरकार छिपाई गई आमदनी पकड़ने के काम में श्रमिक संघों जैसे सार्वजनिक संस्थाओं से सक्रिय सहायता मांगने का विचार कर रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : वे जानना चाहते हैं कि क्या सरकार श्रमिक संघों की.....

श्री पुन्नूस : सार्वजनिक संस्थाओं की ।

उपाध्यक्ष महोदय :..... तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाओं की सहायता का स्वागत करती है ?

श्री एम० सी० शाह : सदैव ।

श्री एम० डी० रामास्वामी : श्रीमान्, क्या मैं छिपाई गई आमदनियों के राज्यवार आंकड़ें जान सकता हूं ?

श्री एम० सी० शाह : मेरे पास राज्यवार आंकड़े नहीं हैं । मेरे पास सारे मामलों का कुछ जोड़ है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य स्वतन्त्र सवाल पूछ सकते हैं ।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकारी

*१८०१. **श्री संगण्णा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् के सामने अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकारी नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है; तथा

(ख) यदि है; तो यह प्रस्ताव किस अवस्था में है ?

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) जी हां ।

(ख) संयुक्त राष्ट्र के प्रधान सचिव द्वारा नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति ने अभी अभी अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकारी के अधीन एक अन्तर्राष्ट्रीय विकास निधि स्थापित करने के प्रस्ताव का अध्ययन किया है । समिति का प्रतिवेदन अभी अभी प्रकाशित हुआ है और जून जुलाई १९५३ में होने वाले इ० सी० ओ० एस० ओ० सी० के अधिवेशन में उसकी चर्चा होगी ।

श्री संगण्णा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या विश्व बैंक संगठन के अधीन किये गये व्यवहारों की पूर्ति करने के हेतु यह संस्था काम करेगी ?

श्री बी० आर० भगत : हां ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : श्रीमान्, क्या मैं जान सकती हूं कि क्या कुछ विशेषज्ञों ने यह सुझाव दिया है कि इस निधि को संयुक्त राष्ट्र के शिल्पिक सहायता कार्यक्रम में मिला दिया जाए ?

श्री बी० आर० भगत : मैं प्रश्न का अर्थ नहीं समझ सका ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या कुछ विशेषज्ञों ने यह सुझाव दिया है कि इस निधि को संयुक्त राष्ट्र के शिल्पिक सहायता कार्यक्रम में मिला दिया जाए ?

श्री बी० आर० भगत : बिल्कुल यही नहीं कि इस निधि को मिला दिया जाए, किन्तु एक सिफारिश में विशेषज्ञ समिति ने यह कहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा दी जाने वाली सारी सहायता एकत्रित आधार पर दी जानी चाहिये ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूं कि उक्त विशेषज्ञ समिति में कितने देशों को प्रतिनिधित्व मिला है ?

श्री बी० आर० भगत : यूनेस्को ने अनेक विशेषज्ञ सदस्यों वाली समिति नियुक्त की है। इसमें विभिन्न देशों को प्रतिनिधित्व देने का सवाल नहीं है; यह तो विशेषज्ञों की समिति है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं जानना चाहती हूं कि उक्त समिति में कितने देशों को प्रतिनिधित्व मिला है।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा सचिव महोदय कहते हैं कि राष्ट्र अथवा देश के आधार पर सदस्यों का चुनाव नहीं किया गया है। विशेषज्ञ के नाते उनकी जो अर्हता है उसके आधार पर सदस्य चुने गये हैं।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारत को उक्त समिति के सामने कुछ निश्चित प्रस्ताव पेश करने के लिये कहा गया है ?

श्री बी० आर० भगत : इस समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है और वह भारत सरकार के विचाराधीन है। भारत सरकार अपनी प्रतिक्रियाओं से समिति को परिचित करा देगी।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि युनेस्को के गत सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेता द्वारा किये गये प्रभावी युक्तिवाद के कारण इस विकास परामर्श समिति का जन्म हुआ ? और यदि हां, तो क्या हमारे नेता को इस समिति में समाविष्ट किया गया है ?

श्री बी० आर० भगत : भारत सहित अन्य अनेक प्रतिनिधि मंडलों द्वारा प्रभावी शब्दों में मत प्रदर्शन किये जाने के कारण यह विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई। पहली विशेषज्ञ समिति में डा० गाडगिल द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूं कि कितनी न्यूनतम निधि एकत्रित की जाने वाली है तथा इस समिति द्वारा कितनी न्यूनतम निधि की सिफारिश की गई है ?

श्री बी० आर० भगत : समिति ने किसी न्यूनतम निधि की सिफारिश नहीं की है और युनेस्को के अगले अधिवेशन में इस बात की चर्चा होने वाली है। किन्तु समिति ने इतना कह दिया है कि प्रारम्भिक कार्यवाही निधि २५ करोड़ डालर की होगी।

मनीपुरी कृषकों का पुनर्वास

*१८०३. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५० के आरम्भ से फरवरी १९५३ के अन्त तक कितने भूमिहीन मनीपुरी कृषकों को पुनर्वासित किया गया और उन्हें कुल कितने एकड़ भूमि नियत की गई; तथा

(ख) क्या सरकार ने उन्हें कोई वैत्तिक सहायता अथवा ऋण दिया है और यदि दिया है तो अब तक कितना धन दिया गया है और पाने वालों की संख्या क्या है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन पटल पर रख दी जायेगी।

मनीपुर का क्षेत्रफल तथा जनसंख्या

*१८०४. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर के समतल क्षेत्रों में कितने एकड़ भूमि में कृषि होती है और व्यक्ति बसते हैं और कितने एकड़ कृषि योग्य भूमि बेकार पड़ी है; तथा

(ख) इस बेकार भूमि के कृष्यकरण के लिए सरकार की क्या नीति है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) :(क)

(अनुमानतः)

कृषि के अन्तर्गत	२,३०,००० एकड़
आबादी के अन्तर्गत	४४,३०९ एकड़
कृषि योग्य बेकार भूमि	९६,५२३ एकड़

(ख) नीति भूमिहीन कृषकों को ऐसी भूमि नियत करने की है।

श्री रिशांग किशिंग : श्रीमान् क्या मैं जान सकता हूं कि बेकार भूमि का बन्दोबस्त करने में मनीपुर की आदिम जाति के किसी व्यक्ति को ऐसी भूमि दी गई है ?

श्री दातार : मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री रिशांग किशिंग : लोकटक झील के पानी में डूबे हुए क्षेत्रों का कृष्यकरण करने के लिए सरकार ने क्या कोई पग उठाये हैं ?

श्री दातार : सरकार ने प्रारम्भिक कार्यवाही के रूप में मनीपुर घाटी का एक क्रमानुसार भूमापन तथा बन्दोबस्त किया है।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि भूमि हीन मज़दूरों को, जिन्हें पहिले कभी न जुती भूमि मिलेगी, उपकरण भी दिये जायेंगे ?

श्री दातार : वे दिये जायेंगे।

श्री रिशांग किशिंग : क्या मैं अब तक मैदानों में बसाये जा चुके आदिमजाति के ग्रामवासियों की संख्या जान सकता हूं ?

श्री दातार : श्रीमान्, यहां मेरे पास विस्तृत आंकड़े नहीं हैं।

श्री केलप्पन : क्या ये कृषि योग्य बेकार भूमि-क्षेत्र सरकारी हैं अथवा वैयक्तिक ?

श्री दातार : वे सरकार के हैं; वे सरकारी भूमि हैं।

श्री पुन्नूस : माननीय मंत्री ने बताया है कि सरकार की इच्छा बेकार पड़ी भूमि भूमिहीन व्यक्तियों को देने की है। क्या मैं जान सकता हूं कि भूमि के वितरण के लिए कोई मुख्य संस्था है ?

श्री दातार : जैसे ही भूमापन समाप्त होगा नीति कार्यान्वित की जायेगी।

श्री सारंगधर दास : मैं जान सकता हूं कि क्या उन विस्थापित व्यक्तियों, जो मनीपुर में बसाये जा रहे हैं, और भूमिहीन व्यक्तियों के बीच कोई भेद रखा जाता है, मुख्यकर ऋण देने में ?

श्री दातार : मेरे ज्ञानानुसार कोई नहीं।

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्ति

*१८०५. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **राज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों को बसाने पर कितना धन व्यय किया गया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन पटल पर रख दी जायेगी।

कोयले के पर्यवेक्षण का प्रादेशिक केन्द्र

*१८०७. **श्री के० सी० सोधिया** :(क) क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोयले के पर्यवेक्षण के प्रादेशिक केन्द्र कहां कहां स्थित हैं ?

(ख) प्रत्येक पर बार बार होने वाला व्यय क्या है ?

(ख) प्रत्येक ने अपने आरम्भ से अब तक क्या कार्य किया है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (ग) एक विवरण, जिस में अपेक्षित सूचना दी गई है, सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ८**]

श्री के० सी० सोधिया : मैं जान सकता हूं कि क्या गत तीन वर्षों में कोयले की और नई खानों का पता लगा है ?

श्री के० डी० मालवीय : यह एक बहुत विशाल क्षेत्र है जहां कोयले की खानों का पहिले ही पता लग चुका है ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या वे निकट भविष्य में काम में आने योग्य हो जायेंगे ?

श्री के० डी० मालवीय : हां, वहां काम हो रहा है और कोयला खोदा जाता है । कोयले की मात्रा में वृद्धि करने और किस्म को उत्तम बनाने के पूरे प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

श्री के० सी० सोधिया : मेरा अभिप्राय नये कोयला-क्षेत्रों से है न कि पुरानों से ।

श्री के० डी० मालवीय : नहीं, श्रीमान्, जहां तक इन केन्द्रों का सम्बन्ध है, मुझे किसी नये कोयला-क्षेत्र के बारे में कोई विशेष बात नहीं कहनी है । देश के विभिन्न भागों में कोयले के नये क्षेत्रों के स्थापित होने की पूर्ण सम्भावना है ।

सामाजिक तनाव

*१८०८. **श्री के० पी० सिन्हा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में सामाजिक तनाव का अध्ययन करने के लिए स्थापित की गई समन्वय समिति तथा मण्डलियों पर वर्षानुसार सम्पूर्ण कितना व्यय हुआ है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : व्यय हुआ :—

(१) समन्वय समिति :

	रु० आ० पा०
१९५०–५१	९७७–१२–०
१९५१–५२	३७६– ४–०
१९५२–५३	२,२०७–१३–०

(२) अनुसन्धान मण्डलियों को अनुदान :

	रु० आ० पा०
१९५१–५२	१,३६७–८–९
१९५२–५३	६३,०००–०–०

श्री के० पी० सिन्हा : क्या मैं विभिन्न मण्डलियों में विद्यार्थियों की संख्या जान सकता हूं ?

श्री के० डी० मालवीय : विभिन्न राज्यों में बहुत सी अनुसन्धान-योजनाओं पर कार्य किया गया है । दस अनुसन्धान मण्डलियों को सहायता दी जा रही है । यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं नाम पढ़ सकता हूं ।

श्री दाभी : श्रीमान्, क्या हम सामाजिक तनाव के अध्ययन के बारे में कुछ जान सकते हैं, और यह जान सकते हैं कि यह कैसे हो रहा है ?

श्री के० डी० मालवीय : विभिन्न दलों के तनाव का अध्ययन संयुक्त राज्य अमरीका के डा० गर्डनर मर्फी के सहयोग से किसी समय १९५० में किया गया था । इस में विभिन्न तनावों का विवरण है जो हमारी जन संख्या के वर्गों में धर्म या जाति या भाषा या प्रान्त के आधार पर बना हुआ है । हम यह पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि यह वर्गीय तनाव क्यों है । जब य अनुसन्धान-विद्यार्थी इस की पूर्ण जांच पड़ताल कर के हमें अपने प्रतिवेदन दे देंगे तब सरकार निश्चयों को उपयोग करने के प्रश्न पर विचार करेगी । सरकार को शीघ्र पूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त होने की आशा है ।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि इन प्रतिवेदनों के कब प्राप्त होने की सम्भावना है ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं ने बताया था कि वे अति शीघ्र प्राप्त होंगे । उन में से कुछ अन्तरिम रूप में हमारे पास हैं ।

श्री जांगड़े : यह कमेटी मज़दूरों और कारखानों के मालिकों के बीच में जो मनमुटाव है उस को दूर करने में कहां तक सफल हुई है ?

श्री के० डी० मालवीय : उस समस्या पर भी यह विशेषज्ञ-दल अध्ययन कर रहा है।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या मैं इन तनावों का अध्ययन करने के लिए बाहर भेजे गये विद्यार्थियों की संख्या जान सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : दस, वह बता चुके हैं।

श्री के० डी० मालवीय : उन्हें बाहर भेजने का कोई प्रश्न नहीं है। समस्यायें यहां हैं, उन की विभिन्न राज्यों में जांच पड़ताल हो रही है।

श्री वैलायुधन : मैं जान सकता हूं कि प्रतिवेदनों का उपयोग करने के लिए क्या सरकार के पास कोई योजनायें हैं, यदि हैं तो क्या हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या प्रतिवेदनों का उपयोग करने की सरकार के पास कोई योजनायें हैं, और वे योजनायें क्या हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : रिपोर्टें अभी प्राप्त होनी हैं और जैसा कि मैं ने कहा कि ज्यों ही वे हमें प्राप्त होंगी वैसे ही हम उन पर सक्रिय रूप से विचार करेंगे कि उन जांच पड़तालों के परिणामों को किस तरह सर्वोत्तम रूप में उपयोग कर सकते हैं।

श्री केलप्पन : क्या यह एक अन्तर्राज्य समिति है ? यह कहां स्थित है ?

श्री के० डी० मालवीय : समन्वय समिति यहां स्थित है और निम्नलिखित व्यक्ति समिति के सदस्य हैं : डा० जाकिर हुसैन, आचार्य नरेन्द्र देव, प्रो० वाडिया, प्रो० वकील, श्री चाको, और श्री हुमायूं कबीर। बाद में न्होंने कु छ और सदस्यों को मिला लिया और अन्त में उन्हों ने एक छोटी सी संचालन समिति भी नियुक्त की जो कार्य की निगरानी कर रही है। ये दोनों समितियां अपने सम्मुख आने वाले मामलों पर विचार करने के लिए समय समय पर बैठक करती रही हैं।

श्री राधा रमण : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या प्रान्तीयता 'सामाजिक तनाव' में सम्मिलित है ?

उपयांध्क्ष महोदय : उन्हों ने ऐसा कहा है।

श्री पुन्नूस : माननीय मंत्री ने एक निर्देश श्री चाको का किया था। क्या उन का अभिप्राय इस सदन के माननीय सदस्य से है ?

श्री के० डी० मालवीय : नहीं, श्रीमान्।

भविष्य-निधि-खाते (भारत तथा पाकिस्तान)

*१८०९. **श्री बादशाह गुप्त** : क्या वित्त मंत्री भारत की अविभाजित सरकार के अधिकारियों के, जिन्हों ने भारत तथा पाकिस्तान में से किसी भी देश के लिए विकल्प लिया था, भविष्य-निधि-खातों के बदलने में हुई प्रगति सम्बन्धी भारत तथा पाकिस्तान की क्रमानुकूल वर्तमान परिस्थिति बताने की कृपा करेंगे ?

वित्त मंत्री के संसदीय सचिव (श्री बी० आर० भगत) : अन्तिम उपलब्ध सूचना के अनुसार पाकिस्तान से प्राप्त होने वाले भविष्य-निधि-खातों की संख्या १,६६६ और पाकिस्तान जाने वालों की ३,०९४ है।

श्री बादशाह गुप्त : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं इन राशियों का भुगतान करने के सम्बन्ध में क्या दोनों सरकारों में कोई समझौता हुआ है ?

श्री बी० आर० भगत : विभाजन-परिषद् का निर्णय यह है कि प्रत्येक देश, भारत अथवा पाकिस्तान, अविभाजित भारत के

सरकारी कर्मचारियों की भविष्य निधियों के लिए उत्तरदायी हैं।

श्री बादशाह गुप्त : भारत संघ के लिए विकल्प करने वालों को मिलने वाले धन की राशि क्या है ?

श्री बी० आर० भगत : धन सम्बन्धी सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री गिडवानी : क्या सरकार उन अधिकारियों के समस्त दावों के भुगतान करने की सम्भाव्यता पर विचार करेगी जिन्हों ने भारत के लिए विकल्प किया था, क्यों कि छः वर्ष समाप्त हो गये हैं और उन में से कुछ को अभी तक भुगतान नहीं हुआ है ?

श्री बी० आर० भगत : एक पक्षीय भुगतान का मामला उत्पन्न नहीं होता। सम्पूर्ण मामले पर विभाजन परिषद् के निश्चयों के आधार पर कार्य हो रहा है और दावों का शीघ्र निर्णय करने के लिए दोनों सरकारें भरसक प्रयत्न कर रही हैं।

नजरबन्द व्यक्ति

*१८१०. **श्री के० पी० सिन्हा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३ के जनवरी, फरवरी तथा मार्च महीनों में भारत में नजरबन्दों की कुल संख्या कितनी थी; और

(ख) पिछले वर्ष के इन्हीं तीन महीनों में यह संख्या कितनी थी ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) इन तीन महीनों के अन्त में नजरबन्दों की संख्या क्रमानुसार ३७१, ३३६ तथा ३०१ थी।

(ख) पिछले वर्ष के इन्हीं तीन महीनों में यह संख्या क्रमानुसार १८३५, १६६१ तथा १६२५ थी।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि भारत सरकार को बिहार के नज़रबन्दों की ओर से कोई शिकायत मिली है ?

श्री दातार : हमें कोई शिकायत नहीं मिली।

डा० सुरेश चन्द्र : इन में से हैदराबाद के कितने नज़रबन्द हैं ?

श्री दातार : ३१-१-५३ को इनकी संख्या १२, २८-२-५३ को १२ तथा ३१-३-५३ को केवल तीन थी।

श्री पुन्नूस : क्या मैं यह जान सकता हूं कि राजनीतिक कारणों से कितने व्यक्ति नज़रबन्द हैं और पिछले वर्ष उनकी संख्या कितनी थी ?

श्री दातार : मेरे पास अलग अलग आंकड़े नहीं हैं।

श्री ए० एम० टामस : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि न्यायालयों की आज्ञा पर कुछ नज़रबन्द छोड़ दिए गए; यदि हां, तो कितने ?

श्री दातार : मेरे पास ये आंकड़े नहीं हैं।

श्री पुन्नूस : श्रीमान् क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि कितने व्यक्ति अपने प्रान्तों से बाहर नज़रबन्द हैं और क्या उन्होंने यह मांग की है कि उन्हें उनके प्रान्तों में भेज दिया जाय ?

श्री दातार : यह सूचना मांगी नहीं गई थी; मैं प्रसन्नतापूर्वक यह बताने को तैयार हूंगा।

डा० एस० पी० मुकर्जी : क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि परामर्श-दाता बोर्ड की सलाह पर कितने नज़रबन्दों को छोड़ा गया ?

श्री दातार : मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस समय मेरे पास यह सूचना नहीं है।

दिल्ली पुलिस (पुनर्संगठन)

*१८११. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** :(क) क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या दिल्ली पुलिस के पुनर्संगठन तथा उसकी संख्या फिर से बढ़ाने की कोई योजना बनाई गई है ?

(ख) इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

(ग) इस योजना से बचत तथा कार्य-क्षमता बढ़ाने में कैसे सहायता मिलेगी ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : जी, हां।

(ख) इस योजना का ध्येय यह है कि पुलिस की सशस्त्र तथा निःशस्त्र शाखाओं की संख्या बढ़ाई जाय; सशस्त्र रिज़र्व, संचरण व्यवस्था तथा गाड़ियों पर अधिक ज़ोर दिया जाय जिससे कि यह पर्याप्त रूप से कार्यकुशलता पुलिस बन जाय और जल्दी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सके।

(ग) जब यह योजना पूरी तरह लागू हो जायगी तो इससे पुलिस अधिक कार्य-कुशल बन जायगी क्योंकि इस की संख्या पर्याप्त हो जायगी और यह पहले की अपेक्षा अधिक सुचारू रूप से आ जा सकेगी और अपने कर्त्तव्यों को अच्छी तरह निभा सकेगी। इस योजना को लागू करने में अतिरिक्त व्यय होगा और प्रस्तुत आय-व्ययक में इस योजना द्वारा बचत करने का मंशा नहीं है। परन्तु इस योजना का ब्यौरा तैयार करते समय बचत के पहलू को ध्यान में रखा गया है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : श्रीमान्, क्या में यह पूछ सकता हूं कि दिल्ली पुलिस की वर्तमान संख्या कितनी है ?

श्री दातार : जहां तक सिपाहियों का सम्बन्ध है, दिल्ली पुलिस में उनकी संख्या ९२०० है। उन के अतिरिक्त लगभग ७०० छोटे अफसर हैं और लगभग ४० बड़े अधिकारी हैं।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि सरकार को इस योजना को लागू करने में कितना समय लगेगा ?

श्री दातार : योजना का पहला भाग लागू किया जा चुका है। दो भाग हैं जिन्हें धीरे धीरे लागू किया जा रहा है। यदि सम्भव हुआ तो इन्हें इसी वर्ष लागू कर दिया जायगा।

श्री राधा रमण : श्रीमान् क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इस योजना के पूर्णतया लागू किये जा चुकने पर पुलिस की कुल संख्या कितनी होगी ?

श्री दातार : कुल संख्या १० हज़ार के लगभग होगी।

श्री फिरोज़ गांधी : क्या सरकार, इस योजना को एक भाग के रूप में पुलिस को कम से कम साफ़ सुथरी वर्दियां देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री दातार : हम उस पर भी विचार करेंगे।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इस पुनर्संगठन में बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों का यहां से, देश के दूसरे भागों में स्थानान्तरण करना भी शामिल है और वह इस बात को देखते हुए कि उन्होंने जन संघ आन्दोलन को अच्छी तरह सम्भाला नहीं है ?

श्री दातार : मैं इस आरोप का खण्डन करता हूं। स्थानान्तरण-पुनर्संगठन का एक भाग नहीं बल्कि साधारण कार्य है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इस योजना को लागू करने में इस प्रश्न पर भी यथोचित विचार कर लिया गया है कि पड़ौसी राज्यों से कौन-कौन से कर्मचारी लिये जायेंगे ?

श्री दातार : जी हां, हम पड़ौसी राज्यों के साथ सहयोग करते हैं। उनके अधिकारी यहां आते हैं और हमारे अधिकारी भी वहां भेजे जाते हैं।

श्री बादशाह गुप्त : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इस नई योजना को लागू करने के लिये और कितने धन की आवश्यकता है ?

श्री दातार : अतिरिक्त राशि १ करोड़ ४५ लाख रुपये से अधिक होगी।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि नई योजना में, नई तथा पुरानी दिल्ली में सड़क यातायात की व्यवस्था का कोई ध्यान रखा गया है ?

श्री दातार : उस पर विचार किया जा रहा है। अधिक अच्छी व्यवस्था करने पर और ध्यान दिया जायगा।

सम्पदा शुल्क से विमुक्ति

*१८१२. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या राज्य मंत्री २२ फरवरी १९५३ को इलाहाबाद के "लीडर" नामक पत्र में छपे समाचार की ओर निर्देश करके यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सौराष्ट्र के राजकुमारों ने प्रस्तावित सम्पदा शुल्क से विमुक्ति दिये जाने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन किया है;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई नीति बनाई है या कोई निर्णय किया है; और

(ग) क्या सरकार ने इस अभ्यावेदन का कोई उत्तर दिया था; यदि हां, तो क्या ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). यह प्रश्न अभी विचाराधीन है और कोई उत्तर नहीं भेजा गया।

श्री एम० एल० द्विवेदी : श्रीमान्, क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि सौराष्ट्र के राजकुमारों के अतिरिक्त और किसी राजकुमारों ने इस शुल्क से विमुक्ति पाने की मांग की है ?

श्री दातार : हमें देश के सभी भागों से राजकुमारों के अभ्यावेदन मिल रहे हैं।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि नरेशों के अतिरिक्त और किसी श्रेणी के व्यक्ति विमुक्ति पाने की मांग कर रहे हैं और यदि हां, तो वे कौन हैं ?

श्री दातार : जहां तक बाद के प्रश्न का सम्बन्ध है, मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री राधा रमण : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या सरकार का इरादा है कि इस श्रेणी के लोगों को सम्पदा शुल्क से विमुक्ति दे दी जाय ?

श्री दातार : मैं इस समय कोई राय प्रकट नहीं कर सकता। यह तो सम्पदा शुल्क विधेयक के निर्वचन तथा इस बात पर निर्भर है कि विभिन्न प्रकार की सम्पत्ति, सम्पदा शुल्क विधेयक में "सम्पत्ति" शब्द की परिभाषा के अधीन आती है या नहीं।

श्री टी० के० चौधरी : क्या सरकार का इरादा यह है कि नरेशों तथा इस विधेयक के क्षेत्र से बाहर के सुविधा प्राप्त व्यक्तियों को विमुक्ति दी जाय ?

श्री दातार : जी, नहीं।

राष्ट्र मंडलीय सम्मेलन

*१८१५. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : (क) क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारत सरकार ने २० अप्रैल १९५३ से ९ मई १९५३ तक लन्दन में होने वाले चौथे राष्ट्र मण्डलीय रक्षा सम्मेलन में भाग लेने के लिये एक प्रतिनिधि मण्डल भेजा है ?

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में कितने प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं ?

(ग) भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का नेता कौन है ?

(घ) इस सम्मेलन के सामने विचार के लिये कैसा कार्यक्रम रखा गया है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) ६ भारतीय प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिनमें से दो भारत से गए हैं।

(ग) कर्नल एन० एन० चोपड़ा;

(सामान विकास नियंत्रक) कन्ट्रोलर आफ़ स्टोर्स डेवेलपमेन्ट, सेना का प्रधान कार्यालय।

(घ) सम्मेलन के विचाराधीन विषयों में, रक्षा सम्बन्ध सामान, उपकरणों, तथा कपड़ों के डिजाइनों में टेकनीकल तथा वैज्ञानिक विकास तथा उनका निरीक्षण भी हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : श्रीमान्, क्या मैं यह पूछ सकती हूं कि इस सम्मेलन में कितने राष्ट्रमंडलीय देश भाग ले रहे हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : राष्ट्र मंडल के सभी देश।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : श्रीमान्, क्या मैं यह पूछ सकती हूं कि इस सम्मेलन में केवल वैज्ञानिक तथा टैक्नीकल विकास सम्बन्धी समस्याओं पर ही विचार किया जायगा या कि दक्षिण-पूर्वी एशिया की सुरक्षा के प्रश्न पर भी विचार किया जाएगा ?

श्री सतीश चन्द्र : दक्षिण-पूर्वी एशिया या संसार के किसी अन्य भाग की सुरक्षा के सम्बन्ध में किसी प्रश्न पर विचार नहीं किया जायगा। यह सम्मेलन केवल उपकरणों कपड़ों तथा सामान के विकास के सम्बन्ध में सूचना एक दूसरे को देने के लिये बुलाया गया है। सामान में सामान को रखने के ढंग तथा उनका निरीक्षण भी शामिल है।

कोहेनूर हीरा

*१८१६. **श्री पी० एल० कुरील** : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश राज के दिनों में तत्कालीन सरकार ने ऐतिहासिक महत्व की वस्तुएं, कला के नमूने, और प्राचीन तथा दुर्लभ वस्तुएं भारत से इंग्लैण्ड भेज दीं;

(ख) क्या यह सच है कि इस प्रकार भेजी गई वस्तुओं में ऐतिहासिक हीरा कोहेनूर भी था;

(ग) क्या यह सच है कि भारत सरकार, उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित प्राचीन तथा दुर्लभ वस्तुओं के लौटाए जाने के प्रश्न पर ब्रिटिश सरकार के साथ कोई समझौता कर चुकी है; और

(घ) क्या सरकार ने कोहेनूर हीरे को भी उन वस्तुओं की सूची में रखा है, जिन को ब्रिटिश सरकार से वापिस मांगना है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां।

(ख) जी, हां।

(ग) तथा (घ) जी नहीं। यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री पी० एन० कुरील : क्या सरकार का विचार है कि इस हीरे की प्राप्ति के लिये अभ्यावेदन किया जाय ?

श्री के० डी० मालवीय : वह, इन में से जितनी अधिक वस्तुएं मिल सकें, उन्हें प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न कर रही है।

श्री पी० एल० कुरील : क्या सरकार को इस सम्बन्ध में किसी वैज्ञानिक से कोई अभ्यावेदन मिला है ?

श्री चट्टोपाध्याय : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या सरकार का विचार है कि यदि ब्रिटिश सरकार ये वस्तुयें लौटाने की मांग स्वीकार न करे, तो यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने रखा जाय ?

श्री के० डी० मालवीय : इस प्रश्न का यह पहलू सरकार के सामने नहीं आया ।

श्री के० सुब्रह्मण्यम् : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि मयूर सिंहासन भी इन वस्तुओं में है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां, मयूर सिंहासन तथा कूहेनूर अवश्य ही इन वस्तुओं में शामिल हैं ।

बहलून छावनी में इमारतें

*१८१७. **श्री राम दास :** क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) बहलून छावनी और डलहौजी नगर पालिका क्षेत्रों में ऐसी कितनी सैनिक और अ-सैनिक इमारतें हैं जो कि खाली पड़ी हैं;

(ख) इन इमारतों का उपयोग करने के लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार कर रही है; और

(ग) इन इमारतों की मरम्मत पर सरकार कितना रुपया वार्षिक व्यय करती है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) ३१ ।

(ख) खाली इमारतों को सैनिकों को दिये जाने का विचार है जोकि शीघ्र ही वहां भेजे जाने को हैं ।

(ग) लगभग ३,००० रु० ।

वित्तीय प्रक्रियाओं का पुनर्विलोकन

* १८१८. **श्री एस० एन० दास :** (क) क्या वित मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या वर्तमान वित्तीय प्रक्रियाओं की योजना आयोग के सहकार के साथ जांच और पुनरीक्षण किया जा रहा है जिससे कि (१) साधनों की कोई बर्बादी न हो, (२) सरकारी रुपये का दुरुपयोग न हो और (३) खर्च किये गए रुपए के पर्याप्त परिणाम प्राप्त हों ?

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या प्रगति की गई है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह): (क) और (ख). वर्तमान वित्तीय प्रक्रियाएं वर्णित लक्ष्यों की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए ही बनाई गई हैं और इनकी जांच तथा पुनर्विलोकन सुधार करने के प्रयोजन से आवश्यकता होने पर जब तब होता रहता है । इस सम्बन्ध में योजना आयोग ने कुछ सिफारिशें की हैं जो विचाराधीन हैं ।

श्री एस० एन० दास : क्या इस प्रयोजन के लिये कोई विशेष अभिकरण स्थापित करने का विचार है, और यदि हों तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिया जाएगा ?

श्री एम०सी० शाह : जैसा मैंने कहा, उन पर विचार किया जा रहा है । सरकार के कुछ सचिवों की एक समिति, जिसके सदस्य कि वित्त सचिव भी हैं, इस मामले की जांच कर रही है । उनकी एक बैठक आज भी होने वाली है । अब तक उनकी कुल चार बैठकें हुई हैं और वे कुछ सिफारिशें करेंगे ।

श्री एस० एन० दास : क्या इस मामले में भारत के महा लेखापाल व नियंत्रक से परामर्श कर लिया गया है अथवा किया जाएगा ?

श्री एम० सी० शाह : यदि आवश्यकता हुई तो उनसे परामर्श किया जाएगा ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या हम जान सकते हैं कि योजना आयोग अब तक अनुसरित की गई वित्तीय प्रक्रियाओं में किन मुख्य बातों में परिवर्तन करना चाहता है ।

श्री एम० सी० शाह : योजना आयोग के प्रतिवेदन में सिफारिशें दी हुई हैं और मेरे माननीय मित्र को ये संक्षेप के पृष्ठ ३६ पर मिल सकती हैं।

श्री एस० एन० दास : क्या इस समिति द्वारा विभिन्न राज्य-संचालित समवायों में किये गये व्यय और उनमें हुई हानि की भी जांच की है अथवा करेंगी ?

श्री एम० सी० शाह : वित्तीय नियंत्रण सम्बन्धी सभी प्रक्रियात्मक मामलों पर इस समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

कनाडा के गेहूं के सम्बन्ध में भारत तथा कनाडा में समझौता

*१८२०. **श्री एल० जे० सिंह** : (क) क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत को दिये जाने वाले कनाडा के गेहूं के सम्बन्ध में भारत और कनाडा में कोई समझौता हुआ है ?

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री के संसद सचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) और (ख). कोई औपचारिक समझौते नहीं हुए थे। सन् १९५१-५२ और १९५२-५३ में कनाडा द्वारा कोलम्बो योजना कार्यक्रम के अंतर्गत भारत के सहायता स्वरूप गेहूं दिया जाता था। इस सहायता से केवल यह शर्त सम्बद्ध थी कि गेहूं के विक्रय से जो रुपया आए उसे भारत सरकार आर्थिक विकास में व्यय करे।

श्री एल० जे० सिंह : क्या कनाडा के गेहूं भारत को भारतीय लोगों के उपहार-स्वरूप दिया गया था ?

श्री बी० आर० भगत : मैं इसे सहायता व अनुदान के रूप में कहूंगा, उपहारस्वरूप नहीं।

श्री एल० जे० सिंह : कनाडा के गेहूं के विक्रय से कुल कितनी राशि प्राप्त हुई ?

श्री बी० आर० भगत : ७.५० करोड़ रु०।

श्री एल० जे० सिंह : क्या यह सत्य है कि इस राशि का कुछ भाग भारत सरकार ने पच्छिमी बंगाल में मयूराक्षी परियोजना पर खर्च करना निर्धारित किया है ?

श्री बी० आर० भगत : इस ७.५० करोड़ रु० को मयूराक्षी के आर-पार एक बांध बनाने के लिये पच्छिमी बंगाल की सिंचाई परियोजना पर किये जाने वाले व्यय के एक भाग के रूप में खर्च किया जाएगा।

श्री एल० जे० सिंह : इस परियोजना में कनाडा सरकार के क्या विशेष हित हैं ?

श्री बी० आर० भगत : कोई विशेष हित नहीं हैं। वरीयता पंच वर्षीय योजना से निर्धारित होती है और परियोजना का चुनाव हम करते हैं।

श्री केलप्पन : माननीय मंत्री ने कहा कि यह ऋण नहीं था वरन् अनुदान व सहायता थी। क्या हमें यह राशि वापस करनी है ?

श्री बी० आर० भगत : यह कोलम्बो योजना के कार्यक्रम के अन्तर्गत है। यह एक सहायता है।

उपाध्यक्ष महोदय : रुपया वापस नहीं किया जायगा।

श्री एल० जे० सिंह : क्या यह गेहूं देने में कनाडा सरकार ने कोई विशेष शर्तें लगाई हैं ?

श्री बी० आर० भगत : जैसा मैं ने बतलाया, केवल मात्र शर्त यह है कि विक्रय से प्राप्त राशि को आर्थिक विकास के लिये प्रयुक्त किया जायगा। और कोई शर्त नहीं है।

प्रादेशिक सेना

* १८२१. **श्री के० सी० सोधिया :** (क) क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ३१ मार्च, १९५३ को हमारी प्रादेशिक सेना की (राज्य-वार) कुल कितनी शक्ति थी ?

(ख) इसे विकसित करने के लिये और क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

(ग) क्या भर्ती और प्रचार के लिये कोई विशिष्ट अभिकरण है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) यह सूचना प्रकट करना उपयुक्त नहीं है ।

(ख) लोगों को प्रादेशिक सेना में भर्ती होने को प्रोत्साहित करने के लिये बहुत काफी प्रचार किया गया है । हाल में, सरकार को यह परामर्श देने के लिये कि प्रादेशिक सेना को आगे और कैसे विकसित किया जा सकता है, एक केन्द्रीय मंत्रणा समिति बनाई गई है ।

(ग) जन सहयोग प्राप्त करने के प्रयोजन से राज्य सरकारों को प्रत्येक राज्य में इसी प्रकार की मंत्रणा समितियां स्थापित करने का परामर्श दिया गया है ।

(ग) नियमित सेना का सामान्य भर्ती संगठन ही प्रादेशिक सेना की भर्ती के लिये उत्तरदायी है । सेना के प्रधान-कार्यालय में एक प्रादेशिक सेना डायरेक्टोरेट है जोकि इस के सम्पूर्ण चार्ज में है और जिसने कि प्रादेशिक सेना के लिये काफी प्रचार और प्रोपेगेंडा किया है ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या भर्ती संगठन द्वारा की गई प्रगति से सरकार सन्तुष्ट है ?

श्री सतीश चन्द्र : प्रगति बहुत सन्तोष-जनक नहीं रही है—मैं यह स्वीकार करता हूं । किन्तु प्रादेशिक सेना में दो प्रकार के एकक हैं । नामत: प्रान्तीय एकक और शहरी एकक । प्रान्तीय एककों के अन्तर्गत प्रगति सन्तोषजनक रही है, किन्तु शहरी एककों के अन्तर्गत यह इतनी सन्तोषजनक नहीं है ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या सरकार का ग्राम्य क्षेत्रों में इसका प्रचार करने के लिये कोई सवैतनिक अभिकरण रखने का विचार है ?

श्री सतीश चन्द्र : मैं ने अभी निवेदन किया कि देहात साइड में प्रगति काफी सन्तोष-जनक रही है । हम जितनी संख्या में लोग लेना चाहते हैं और जितने लोग भर्ती के लिये अपने को प्रस्तुत करते हैं भर्ती उसके अनुसार सीमित होती है ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि टैरीटोरियल आर्मी में शहरों से सिर्फ़ टैकनी-शियन लिये जाते हैं और जो नौजवान हैं उन को भरती नहीं किया जाता ?

श्री सतीश चन्द्र : ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ टैकनीशियन लिये जाते हैं । टैकनीशियन भी लिये जाते हैं और सिपाही भी लिये जाते हैं । लेकिन बड़े बड़े शहरों में जहां टैकनीशियन मिल सकते हैं वहां टैकनीशियन लिये जाते हैं । जितने आदमी टैरीटोरियल आर्मी की किसी विशेष प्रकार की यूनिट में लेने होते हैं अगर वह भरती करने की जगह पर मिलते हैं तो उनको लिया जाता है ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में टैरीटोरियल आर्मी के लिये जो भरती हुई है वह बहुत कम है जब कि वहां पर होम गार्डस में दस हज़ार जवान तक भरती हो सकते हैं ?

श्रीसतीश चन्द्र : होम गार्डस की तरह हम उतनी बड़ी तादात म आदमी भरती नहीं कर रहे हैं ।

श्री दाभी : सन् १९५२-५३ में प्रादेशिक सेना पर कुल कितनी राशि व्यय की गई और किस स्रोत से ?

श्री सतीश चन्द्र : सुरक्षा कारणों से मैं प्रादेशिक सेना पर किया गया व्यय अथवा उसकी शक्ति बतलाने में असमर्थ हूं ।

श्री थानू पिल्ले : मैं जानना चाहता हूं कि जो प्रश्न और उत्तर हिन्दी में हुए हैं, क्या हमें वे बतलाये जा सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह अभिलेखों की बात है जिन्हें माननीय सदस्य देख सकते हैं ।

श्री रघवय्या : मंत्रणा समिति का निर्माण किस प्रकार का है ? क्या मैं जान सकता हूं कि पूर्व-सैनिकों के संगठनों को भी कोई प्रतिनिधित्व दिया गया है जिससे कि वे ऐसे बेकार पूर्व-सैनिकों को अधिक मात्रा में भर्ती करने का प्रयत्न कर सकें जो कि सेना में आना चाहते हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : सेना के प्रधान सेनापति प्रादेशिक सेना समिति के एक सदस्य हैं और देश भर के पूर्व-सैनिकों के साथ किसी और की अपेक्षा उन का अधिक सम्पर्क है ।

श्री पुन्नूस : माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि राज्यों को भर्ती बोर्ड स्थापित करने सम्बन्धी कुछ मंत्रणा दी गई है । क्या मैं जान सकता हूं कि किसी राज्य ने ऐसे बोर्ड की स्थापना की है अथवा कोई राज्य इस प्रस्ताव से असहमत हुआ है ?

श्री सतीश चन्द्र : यह परामर्श अभी हाल ही में दिया गया है। मैं समझता हूं कि बहुत शीघ्र ही इन समितियों की स्थापना की जायेगी ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि रिक्रूटमेंट के लिये जब कि रिक्रूटिंग अफ़सर वहां जाते हैं तो वहां की जो लोकल बाडीज़ के मैम्बर हैं या वहां जो और लोकल संस्थाएं हैं उन के आरगैनाइजर्स से मिल कर काम करने की योजना ये रिक्रूटिंग अफ़सर अपने प्रोग्राम में सम्मिलित करेंगे ?

श्री सतीश चन्द्र : पबलिसिटी के ज़रिए, पैम्फलेट और इश्तिहार के जरिए लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाता है और बहुत काफ़ी आदमी टैरीटोरियल आर्मी में आते भी हैं । कठिनाई रिक्रूटमेंट आफ़िसर्स के काम के कारण नहीं है, बल्कि दूसरी कठिनाइयां हैं। जो लोग दूसरी जगह काम करते हैं, वहां से जब वे टैरीटोरियल आरमी में आते हैं तो उन को वेतन कम मिलता है । जितने दिन वे टैरीटोरियल आर्मी में काम करते हैं उतने दिन उन्हें कम तनख़्वाह मिलती है। इसी तरह के और कई कारणों से उतना रिक्रूटमेंट नहीं हो पाता जितना कि रेगूलर आरमी में होता है ।

तहकीकात डाइरेक्टोरेट

*१८२२. **श्री के० सी० सोधिया :** (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने मामलों में तहकीकात डाइरेक्टोरेट ने आयकर आयुक्तों को सन् १९५१-५२ और १९५२-५३ में आयकर विभाग के पदाधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की तहकीकात करने में सहायता दी है ?

(ख) विभिन्न श्रेणी के पदाधिकारियों के विरुद्ध, राज्य-वार ऐसी शिकायतों की संख्या कितनी थी ?

(ग) इन मामलों में आगे और क्या कदम उठाए गये और उस का क्या परिणाम निकला ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) तहकीकात डायरेक्टोरेट की स्थापना १६ अक्टूबर, १९५२ को हुई थी और अब

तक इसने आयुक्तों अथवा केन्द्रीय राजस्व बोर्ड को आयकर विभाग के पदाधिकारियों के विरुद्ध छः मामलों में सहायता दी है ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रक्खा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ९**]

(ग) उपरोक्त ६ मामलों में से जिनमें कि डायरेक्टोरेट ने सहायता दी, एक इंस्पैक्टर को नीची श्रेणी में उतार दिया गया है। दूसरे मामले में एक आयकर इंस्पैक्टर को भूतलक्षी प्रभाव से पदोन्नति अस्वीकृत कर दी गई है। शेष चार मामलों में अंतिम आदेश अभी जारी नहीं किये गये हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपनी सीट क्यों बदल रहे हैं ?

श्री के० सी० सोधिया : क्या मैं जान सकता हूं कि कोई भ्रष्टाचार के मामले भी थे ?

श्री एम० सी० शाह : जी हां, था ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस डायरेक्टोरेट में सरकार द्वारा विचारी गई कर्मचारियों की पूरी संख्या है, और यदि हां, तो पूरी संख्या कब की गई ?

श्री एम० सी० शाह : इस में अभी पूरी संख्या नहीं है ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस डायरेक्टोरेट को अपनी तहकीकात में स्पेशल इंटेलीजैन्स सी. आई. डी. पुलिस से भी सहायता मिली थी ? क्या उनका सहकार उपलब्ध है ?

श्री एम० सी० शाह : जी हां, उन्हें सहायता करने की अनुमति है ।

लंदन में भर्ती केन्द्र

*१८२३. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : (क) क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सरकार भारतीय प्रशासकीय सेवाओं तथा अन्य प्रथम श्रेणी की सेवाओं में भर्ती करने के उद्देश्य से लन्दन में एक केन्द्र खोलने की प्रस्थापना कर रही है ?

(ख) यदि कर रही है, तो इसके कारण क्या हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) संघ लोक सेवा आयोग ने भारतीय प्रशासकीय सेवाओं तथा अन्य सम्बन्धित सेवाओं में भर्ती करने के लिये लन्दन में एक परीक्षा केन्द्र खोलने का निश्चय किया है ।

(ख) यह निश्चय इसलिये किया गया कि ब्रिटेन तथा अन्य योरूपीय देशों में रहने वाले भारतीय छात्र इन परीक्षाओं में भाग ले सकें तथा उन्हें इस उद्देश्य के लिये भारत आने जाने में खर्चा न उठाना पड़े ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : कई व्यक्तियों ने जिन में कि लन्दन स्थिति हमारे हाई कमिश्नर भी शामिल हैं, यह आशंका प्रकट की है कि यह छात्र जो कुछ विषयों में विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिये बाहर जाते हैं, इन सेवाओं द्वारा आकर्षित होंगे तथा उस हद तक देश को उनका वह विशेष ज्ञान खोना पड़ेगा, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार भी इस धारणा से सहमत है ?

श्री दातार : हमें इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है इसके उलट हमें हाई कमिश्नर तथा अन्य व्यक्तियों से यह अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि ऐसा केन्द्र खोला जाना चाहिये क्योंकि ब्रिटेन में भारतीय छात्रों की संख्या ३,००० है ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : मेरा आशय अभ्यावेदन से नहीं । मेरे कहने का आशय यह है कि कई व्यक्तियों द्वारा आशंका प्रकट की गई है ।

श्री दातार : कोई आशंका नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके उलट इस सम्बन्ध में सिपारिश की गई है

श्री विश्वनाथ रेड्डी : क्या मैं जान सकता हूं कि लन्दन में भर्ती करने के लिये कुल स्थानों का कितना प्रतिशत भाग सुरक्षित रखा जायगा ?

श्री दातार : कोई स्थान सुरक्षित नहीं रखा जायगा । कई स्थानों पर परीक्षा ली जाती है तथा फिर परिणाम सब के लिये होता है ।

श्री सी० डी० पांडे : विदेशों में की गई भर्ती तथा भारत में की गई भर्ती का अनुपात क्या होगा ?

श्री दातार : यह अनुपात के प्रश्न पर निर्भर नहीं । यह विभिन्न उम्मीदवारों की सुविधा पर निर्भर है । यही कारण है कि भिन्न भिन्न स्थानों पर परीक्षा क्यों ली जाती है ।

श्री के० के० बसु : क्या भारत में उपयुक्त भारतीय उम्मीदवारों की कमी है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब भारतीय छात्र हैं ।

श्री के० के० बसु : हमें यह मालूम है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत में उपयुक्त उम्मीदवारों की कमी है ?

श्री दातार : भारत में उपयुक्त उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं । लन्दन में जो छात्र परीक्षाओं में बैठते हैं वह भी भारतीय ही हैं ।

श्री केलप्पन : क्या इसका अर्थ यह होगा कि भारत तथा लन्दन में परीक्षाएं एक साथ हुआ करेंगी ?

श्री दातार : जी हां, एक ही परीक्षा लन्दन समेत भिन्न भिन्न स्थानों पर होगी ।

श्री चट्टोपाध्याय : यदि यह निश्चय ब्रिटेन तथा योरूप में भारतीय छात्रों की संख्या को ध्यान में रख कर किया गया है तो क्या सरकार ऐसा ही एक केन्द्र मलाया में भी खोलने पर विचार करेगी जहां कि बहुत से भारतीय रह रहे हैं ?

श्री दातार : हमें मलाया से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री के० के० बसु : मुझे और एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना है । वहां क्यों पैसा नष्ट किया जाये ? क्या सरकार.....

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही करने के सुझाव हैं ।

श्री के० के० बसु : यह बहुत ही महत्वपूर्ण है ।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी हो, यह एक सुझाव है ।

श्री पुन्नूस : क्या मैं जान सकता हूं कि इस प्रस्थापना पर कुल कितना व्यय होगा तथा इस नये केन्द्र से कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचेगा ?

श्री दातार : जहां तक व्यय का संबंध है, मेरे पास कोई आंकड़े नहीं हैं । जहां तक छात्रों का सम्बन्ध है, हमें आशा है कि ४०० से ५०० तक छात्र अपने प्रार्थनापत्र भेज देंगे ।

श्री वैलायुधन : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह एक नियमित कार्यालय होगा अथवा क्या यह कुछ उच्च पदों के लिये खोला जा रहा है ?

श्री दातार : यह कार्यालय का कोई प्रश्न नहीं । यह केन्द्र खोलने का सवाल है ताकि छात्र परीक्षाओं में भाग ले सकें ।

श्री केलप्पन : क्या विदेशों में और भी अन्य केन्द्र हैं ?

श्री दातार : और कोई केन्द्र नहीं है ।

श्री केलप्पन : मैं जानना चाहता हूं ....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सुझाव दे रहे हैं। कहीं भी और कोई केन्द्र नहीं । अगला प्रश्न ।

दामोदर घाटी निगम क्षेत्र में स्वर्ण

*१८२४. **श्री कजरोलकर :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दामोदर घाटी निगम क्षेत्र में सोने की खोनें पाई गई हैं; तथा

(ख) यदि पाई गई हैं, तो यह किस विशेष क्षेत्र में पाई गई हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख). भारतीय खान ब्यूरो के संचालक ने सूचना दी है कि दामोदर घाटी निगम क्षेत्र के तृतीय श्रेणी के कंकरों में सोना पाया गया है । इस क्षेत्र का ठीक ठीक सीमा निर्धारण नहीं किया गया है, फिर भी स्वर्ण मिश्रित कंकर १५० से लेकर २०० मील तक के क्षेत्र पर फैला हुआ है, तथा इस में बिहार, पश्चिमी बंगाल तथा उड़ीसा के कुछ क्षेत्र आ जाते हैं ।

श्री कजरोलकर : क्या सरकार के पास ऐसी कोई परियोजना है कि इस क्षेत्र में उपलब्ध कच्ची धातुओं को निकाला जाये ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां, श्रीमन् । इस सारे प्रश्न पर विचार किया जा रहा है । आर्थिक दृष्टि से इन धातुओं से हमें कहां तक लाभ पहुंचेगा, इस का अनुमान अभी नहीं लगाया गया है । ज्यों ही हमें यह मालूम होगा कि इन क्षेत्रों से खनिज पदार्थ निकालना लाभप्रद होगा, त्यों ही यह काम अवश्य ही किया जायगा ।

श्री जयपाल सिंह : क्या संचालक ने सरकार को यह भी सूचना दी है कि दामोदर घाटी निगम आरम्भ से ही स्वयं एक स्वर्ण भंडार रहा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, अगला प्रश्न ।

औषधीय तथा सौन्दर्य्य प्रसाधन वस्तुओं पर समानरूपी निर्यात शुल्क लगाने से सम्बन्धित विधेयक

*१८२५. **डा० अमीन :** क्या **वित्त मंत्री** ७ नवम्बर, १९५२ को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या ३० के उत्तर की ओर निर्देश कर के यह बतलाने की कृपा करेंगे कि औषधीय तथा सौन्दर्य्य प्रसाधन वस्तुओं, जिन में कि सिपरिट इस्तेमाल की जाती है, पर समानरूपी निर्यात शुल्क लगाने का उपबन्ध रखने वाला विधेयक कब संसद में पुरःस्थापित किया जायगा ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : भारत सरकार ने ऐसी औषधीय तथा सौन्दर्य्य प्रसाधन वस्तुओं पर समानरूपी निर्यात शुल्क लगाने से सम्बन्धित विधेयक प्रस्तुत करने का निश्चय किया है जिन में कि अल्कोहल, अफीम, भारतीय गांजा तथा अन्य नशैली चीज़ें प्रयोग में लाई जाती हैं । यह विशेषज्ञ समिति (आबकारी) की १९५१ की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के आधार पर होगा, यह विधेयक प्रारूप-अवस्था पर है तथा इसे यथा सम्भव शीघ्र ही संसद में पुरः स्थापित किया जायगा ।

अल्प सूचना का प्रश्न तथा उत्तर

अखिल भारत औद्योगिक न्यायाधिकरण (बैंक विवाद निर्णय)

श्री ए० एम० टामस : क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखिल-भारत औद्योगिक न्यायाधिकरण (बैंक विवाद) के द्वितीय पंचाट पर, जो कि २३ अप्रैल, १९५३ को प्रकाशित किया गया, विचार किया है ;

(ख) इस पंचाट के सम्बन्ध में विभिन्न बैंक कर्मचारी संस्थाओं की प्रतिक्रियाएं भी क्या सरकार के ध्यान में आई हैं; तथा

(ग) क्या सरकार विधान द्वारा अथवा अन्य तरीकों से इस पंचाट के उन मामलों में हस्तक्षेप करने का विचार रखती है, जिन का कि कर्मचारियों की काम काज की शर्तों पर बरा प्रभाव पड़ता है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) सरकार ने इस पंचाट के अधिक महत्व-पूण भागों पर विचार किया है ।

(ख) कई संस्थाओं ने संकल्प अथवा पत्र भज हैं जिन में कि इस पंचाट के प्रति सामान्यत: विरोध प्रकट किया गया है ।

(ग) जी नहीं । फिर भी सरकार के विचार में सम्बन्धित पक्षों को कुछ महत्वपूर्ण मामलों के बारे में अपील न्यायाधिकरण के पास अपील करने का अधिकार है ।

श्री ए० एम० टामस : क्या मैं जान सकता हूं कि इस पंचाट से कितने बैंकों तथा कितने बैंक कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ा है ? क्या यह सत्य है कि इस में ९३ बैंक तथा ५१,५१३ बैंक कर्मचारी ग्रस्त हैं ?

श्री आबिद अली : यह सारा सविस्तार विवरण पंचाट में दिया गया है तथा इसे परि-चालित किया गया है ।

श्री ए० एम० टामस : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इस पंचाट की मुख्य बातों की तुलना उस पंचाट से की है जो कि न्यायाधीश श्री सेन की अध्यक्षता में स्थापित न्यायाधिकरण ने दिया था तथा जिसे उच्चतम न्यायालय ने क्षेत्राधिकार न होने के आधार पर रद्द किया था ? यदि की है तो यह दोनों पंचाट आपस में कैसे लगते हैं ?

श्री आबिद अली : माननीय सदस्य इन के सगत भागों को पढ़ के तुलना कर सकते हैं, यह सभी बातें वहां दी गई हैं ।

श्री ए० एम० टामस : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस मामले को शास्त्री न्यायाधिकरण के हाथ सौंपने से पहले बैंक कर्मचारी संस्थाओं ने सेन पंचाट को विधि द्वारा पास कराने की कोशिश की थी ?

श्री आबिद अली : शायद माननीय सदस्य को मालूम होगा कि जब सेन पंचाट प्रकाशित हुआ तो इन्हीं व्यक्तियों ने जो कि आज शास्त्री पंचाट से क्षुब्ध हैं, सेन पंचाट की लगभग इन्हीं शब्दों में निन्दा की । इस के बाद मामला उच्चतम न्यायालय में पेश हुआ तथा इसे बिगाड़ दिया गया । अब उन्हें यह नहीं कहना चाहिये कि सेन पंचाट शास्त्री पंचाट से अच्छा था ।

श्री के० के० बसु : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने वस्तुरूपक परिस्थितियों में उन भिन्नताओं का सुनिश्चयन किया है जिन के परिणामस्वरूप इतने ही कम समय में दो भिन्न भिन्न पंचाट दिये गए ?

श्री आबिद अली : यह सारी सूचना पंचाट में दी गई है । सदस्यगण इसे पढ़ के अपनी राय निश्चित कर सकते हैं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : श्रीमन्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या बैंक कर्मचारियों ने इस आशय का कोई अभ्यावेदन भेजा है कि यह पंचाट सेन पंचाट से बदतर है ?

श्री आबिद अली : बैंक कर्मचारियों ने कई स्थानों पर कई संकल्प पास किये हैं तथा जैसे कि मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं, यही राय सेन पंचाट के बारे में भी प्रकट की गई थी ।

श्री ए० एम० टामस : क्या मैं पूछ सकता हूं कि सरकार को जो अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, क्या उन में से सरकार से यह भी प्रार्थना की गई है कि इस पंचाट को क्रियान्वित न किया जाये, तथा ताजी जांच के लिए एक विशेष बैंच नियुक्त किया जाये ?

श्री आबिद अली : हमें जो अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, उस में ऐसा नहीं कहा गया है, परन्तु मैं ने यह समाचार पत्रों में पढ़ा है।

श्री पुन्नूस : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि क्या बहुत से कर्मचारियों को इस पंचाट के अन्तर्गत वर्तमान सुविधाओं तथा भत्तों के मुकाबले में कम सुविधाएं तथा भत्ते मिलेंगे ?

श्री आबिद अली : यह अपनी अपनी राय है।

श्री पुन्नूस : यह राय का कोई मामला नहीं। यह वास्तविकता का एक प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इसे चाहे कम समझते हों अथवा अधिक, यह अपनी अपनी राय है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

विदेशी छात्रों की गोष्ठी

*१७९४. **डा० राम सुभग सिंह** : **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ८ जून और २५ सितम्बर १९५३ के बीच सं० रा० राष्ट्रीय छात्र संघ के आयोजन में मैसाकुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टैकनोलोजी, सं० रा० अमरीका में होने वाली विदेशी छात्रों की ग्रीष्म-गोष्ठी में भाग लेने के लिए कुछ भारतीय छात्रों को भेजना चाहती है ?

(ख) यदि हां, तो कितने छात्र भेजे जाएंगे ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) हां।

(ख) दो।

आस्ट्रेलिया द्वारा ५०० रेडियो मशीनों का संभरण

*१७९५. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिय ने भारत में सामाजिक-शिक्षा के प्रचार के लिए ५०० रेडियो और ग्रामोफोनों को भेजने की इच्छा प्रकट की है; तथा

(ख) क्या ये रेडियो और ग्रामोफोन अब तक आ चुके हैं ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) हां।

(ख) नहीं। इस विषय में अभी आस्ट्रेलिया सरकार के साथ पत्र-व्यवहार चल रहा है।

पाकिस्तान को ऊंटों का निर्यात

*१८०२. **श्री एन० पी० सिन्हा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान प्रेस के एक भाग में निकलने वाले इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि बिहार में पूर्निया से ५०० ऊंट गुप्त रीति से पाकिस्तान भेज दिये गए हैं; तथा

(ख) यदि हां, तो ऐसा किन परिस्थितियों में संपन्न हुआ ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) तथा (ख). शायद पटना से निकलने वाले सर्चलाइट के १४ फरवरी, १९५३ के अंक में प्रकाशित एक समाचार में किए गए एक आरोप का निर्देश किया जा रहा है। बिहार में पूर्निया से पाकिस्तान को ऊंटों का छपे-छपे निर्यात करने का ऐसा कोई मामला नहीं पकड़ा गया है। सरकार का विचार है कि यह समाचार पूर्णतः सच नहीं है।

राजनीतिक पेंशनें

*१८०६. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है, जो १८५७ के विद्रोह में की गई सरकारी सेवा के फलस्वरूप ब्रिटिश-काल में दी गई उत्तरा-

धिकारियों तक चलने वाली राजनीतिक पेंशनें प्राप्त कर रहे हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : मद्रास, बम्बई, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, सौराष्ट्र, त्रावनकोर-कोचीन और कुर्ग राज्यों को छोड़ कर, जहां से अभी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है और प्राप्त होने पर सदन-पटल पर रखी जाएगी, केवल तीन ही व्यक्ति तथा कथित 'विद्रोह पेंशनें' प्राप्त कर रहे हैं। इन तीन में से एक ही उत्तराधिकारियों तक चलने वाली पेंशन है--शेष दो जीवन-काल तक की ही हैं।

विघटित सैनिकों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण

*१८१३. **प्रो० डी० सी० शर्मा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या पंजाब में विघटित सैनिकों को व्यावसायिक-प्रशिक्षण देने के लिए कोई केन्द्र चल रहा है ?

(ख) यदि हां, तो किन किन व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) हां। रोहतक, जालंधर, फीरोजपुर, अमृतसर और अंबाला में ५ केन्द्र चल रहे हैं।

(ख) निम्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है :

लोहारी, बढ़ईगिरी, रंग-वार्निश करना, घड़ीसाजी, सांचे बनाना, खेल-कूद के सामान बनाना, जूते, सूटकेस और चमड़े के अन्य सामान बनाना, जिल्दसाजी, दरजीगीरी, खाके बनाना, बिजली से निकल करना, सीसे का काम करना, छापे बनाना, छपाई, वेल्डिंग करना, बिजली के तारों का काम, आदि।

भाग 'ख' राज्यों के लिए पुलिस दल

*१८१४. **श्री अच्युतन** : क्या **राज्य मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन भाग 'ख' राज्यों में या राज्यों को केन्द्रीय पुलिस दल रहता या उधार दिया जाता है ?

(ख) राज्यवार उन की संख्या क्या है ?

(ग) इन का खर्च कौन झेलता है ?

(घ) क्या त्रावनकोर-कोचीन या मैसूर ने केन्द्र से पुलिस सम्बन्धी सहायता मांगी है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). शायद केन्द्रीय संरक्षित पुलिस दल का निर्देश किया जा रहा है, जो राज्य-मंत्रालय के नियंत्रण में है। आजकल भाग 'ख' राज्यों में नियोजित केन्द्रीय संरक्षित पुलिस दल की संख्या निम्नांकित है :

पैप्सू	२६९
जम्मू तथा काश्मीर	३०६
इन्दौर (मध्य भारत)	४९

दल का प्रधान केन्द्र मध्य भारत में नीमच में है।

(ग) केन्द्रीय संरक्षित पुलिस दल का व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा झेला जाता है, पर भाग 'ख' राज्यों में नियोजित टुकड़ियों की लागत सम्बन्धित राज्य-सरकारों से वसूल की जाती है।

(घ) नहीं।

भारत पाकिस्तान सीमा पर महसूल की चोरी

*१८१९. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत-पाकिस्तान पर महसूल की चोरी की स्थिति में भारतीय बहि:शुल्क विभाग को १९५३ वर्ष की पहली तिमाही में १९५२ की पहली तिमाही की तुलना में कुछ सुधार दिखाई पड़ा है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : हां, श्रीमान्। बहि:शुल्क अधिकारियों द्वारा भारत-पाकिस्तान-सीमा पर पकड़े जाने वाले महसूल की चोरी के मामलों की संख्या की कमी से प्रतीत होता है कि सुधार हुआ है।

दार्जिलिंग में ब्रिटिश सेना के शिविर

*१८२६. **श्री बादशाह गुप्त** : क्या रक्षा मंत्री ब्रिटिश सेना में नेपाली गुरखों की भरती के लिए दार्जिलिंग ज़िले और उस के पड़ोस में आजकल स्थित ब्रिटिश सेना-शिविरों की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : दार्जिलिंग ज़िले या उस के पड़ोस में ब्रिटिश सेना का कोई शिविर नहीं है। जलपहाड़ में अवश्य एक "एच० एम० जी० गुरखा भरती डिपो" नामक डिपो है, जो ब्रिटेन सरकार चला रही है।

चोरी छुपे माल ले जाने वाले

*१८२७. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उन अवसरों की संख्या जब कि भारत-पाकिस्तान सीमा पर चोरी छिपे माल ले जाने वालों पर गोली चलानी पड़ी; तथा

(ख) गत वर्ष में इस प्रकार के गोली-कांडों से मरे व्यक्तियों की संख्या ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) तथा (ख). १९५२ में भारत-पाकिस्तान सीमा पर छुपे-छुपे माल ले जाने वालों पर २५ बार गोली चलानी पड़ी और यह गोली केवल पश्चिमी पंजाब की सीमा पर ही चलानी पड़ी; वह बारह बार बहिःशुल्क अधिकारियों के साथ हुई मुठभेड़ों में चली और तेरह बार पुलिस द्वारा चलाई गई। बहिःशुल्क अधिकारियों की गोली से १९५२ में दो पृथक् मुठभेड़ों में दो व्यक्ति मारे गए; इन दो में से एक मुठभेड़ में बहिःशुल्क-दल पुलिस के साथ साथ काम कर रहा था।

जगतराम (देहरादून में खुदाई)

*१८२८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या देहरादून ज़िले में जगतराम स्थान की खुदाई का काम पूरा हो चुका है;

(ख) इस खुदाई कार्य पर अब तक हुआ व्यय; तथा

(ग) क्या इस खुदाई ने इतिहास के किसी अज्ञात पहलू पर कोई प्रकाश डाला है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) नहीं श्रीमान्।

(ख) विभाग द्वारा इस स्थल पर कोई अतिरिक्त व्यय नहीं किया गया है।

(ग) हां श्रीमान्। कुछ प्रकीर्ण ईंटें मिली हैं, जिन में एक सम्राट् के अश्वमेध यज्ञ का वृत्तांत लिखा हुआ है। उस सम्राट् का समय तीसरी ईसवी शताब्दी माना जा सकता है।

"निवास प्रबन्ध अध्ययन" पाठ्यक्रम

*१८२९. **श्री तेलकीकर** : (क) क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि खड्गपुर स्थित प्रौद्योगिकीय संस्था में नया रखा गया "निवास-प्रबन्ध अध्ययन" पाठ्यक्रम एक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम है ?

(ख) इस पाठ्यक्रम के अधीन पढ़ाए जाने वाले विषय क्या हैं ?

(ग) सफल छात्रों को किन-किन सरकारी विभागों में लिया जा सकता है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) तथा (ख). भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्था में नया रखा गया 'निवास प्रबन्ध अध्ययन' पाठ्यक्रम स्नातक-स्तर से बाद या पहले का कोई नियमित पाठ्यक्रम नहीं है। ब्रिटेन के ग्रीष्म-विद्यालय के नमूने पर इसे विशेष रूप से चलाया गया था और इसे उन प्रबन्धकों, संभावी प्रबंधकों और कार्यकारिणियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चलाया गया था, जो प्रबन्धकत्व विषयों का औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर सकते, पर जो अपना प्रबन्धकत्व विषयक ज्ञान बढ़ाने के लिए पथ-प्रदर्शन चाहते हैं।

पाठ्यक्रम में कोई विशिष्ट विषय नहीं पढ़ाए गए। पाठ्यक्रम में प्रबन्धकत्व के कई पहलुओं पर एक व्याख्यान-शृंखला, विशिष्ट समस्याओं की सामूहिक चर्चा, विषय का अध्ययन और पठनात्मक अध्ययन-वर्ग सम्मिलित थे।

(ग) पाठ्यक्रम में उद्योग या वाणिज्य संगठनों में या सरकारी विभागों में काम करने वाले उपयुक्त व्यक्ति ही लिए गए थे। अतः नौकरी में लिए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री गंगानगर संबंधी भूमि जांच समिति

*१८३०. **श्री भीखाभाई** : क्या **पुनर्वास** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या श्री गंगानगर के लिये भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई भूमि जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) उक्त समिति की मुख्य सिपारिशें;

(ग) क्या समिति ने भूमिहीन विस्थापित हरिजनों को भी ध्यान में रखा है; तथा

(घ) क्या विस्थापित हरिजनों को दिये जाने वाले पुनर्वास लाभ सम्बन्धी निर्णय विस्थापित हरिजन बोर्ड अथवा विस्थापित हरिजनों के नेताओं से परामर्श के श्चात् किये गये थे ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). उत्पन्न नहीं होते।

त्रिपुरा में आदिम जातियों के लिये रक्षित भूमि

१३१९. **श्री दशरथ देव** : **राज्य** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या त्रिपुरा के कुछ विशेष क्षेत्रों में कुछ भूमि केवल आदिमजातियों के लिये रक्षित थी, जहां महाराजा के शासनकाल में केवल उन्हीं लोगों को बसाया जा सकता था ;

(ख) यदि ऐसा है, तो वह क्षेत्र क्या थे; तथा

(ग) क्या यह सत्य है कि वह रक्षित भूमि अब सभी को दी जा सकती है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). जी हां। गत प्रशासन के आदेश से १३,१८,४०० एकड़ भूमि त्रिपुरा के कैलाश शहर, सदर, उदयपुर, अमरपुर, अबरूम तथा खोवाई सबडिवीज़नों में आदिम-जातियों के लिये रक्षित की गई थी।

(ग) जी नहीं।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए सेवाओं का रक्षण

१३२०. **श्री भीखाभाई** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि किन कारणों से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम-जातियों के लिये संविधान के अनुसार सेवाओं का अलग रक्षण स्थिर नहीं रखा गया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : केन्द्रीय सेवाओं के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये पृथक रक्षण के प्रतिशतक पहले से ही लागू हैं। (देखिये गृह-कार्य मंत्रालय की वर्ष १९५१-५२ की रिपोर्ट की कंडिका १५, जिसकी प्रतियां संसद सदस्यों को बांट दी गई हैं तथा सदन के पुस्तकालय में भी उपलब्ध हैं।)

बीकानेर में भूमापन

१३२१. **श्री बलवन्त सिंह मेहता** : (क) **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि बीकानेर के मिट्टी तथा रेत के निक्षेपों का निरीक्षण भूमाप विभाग द्वारा किया गया था ?

(ख) यदि ऐसा है तो उनके लक्षणों तथा परिमाण के बारे में उनके निष्कर्ष क्या हैं ?

(ग) क्या उनका परिमाण इतना है कि जिस से उनके उद्योग चल सकें ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) से (ग). एक विवरण जिस में अपेक्षित सूचना दी गई है सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या १०]**

मुईन नवाज़ जंग के विरुद्ध वाद

१३२२. श्री कृष्णाचार्य जोशी : राज्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या मुईन नवाज़ जंग तथा बारक्लेज़ बैंक के विरुद्ध हैदराबाद सरकार के ४११,०६५ पाउंड की वसूली के लिये लाये गये वाद में इंगलैंड के न्यायालय द्वारा निर्णय दे दिया गया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : जी नहीं ।

युद्धास्त्र फैक्टरियों में सिक्के तथा जस्त की अपेक्षाएं

१३२३. श्री बलवन्त सिंह मेहता : क्या **रक्षा** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत की युद्धास्त्र फैक्टरियों में सिक्के तथा जस्त की कुल अपेक्षित मात्रा ;

(ख) कुल अपेक्षित मात्रा का कितना अंश स्थानीय उत्पादन से प्राप्त होता है और कितना आयात द्वारा ; तथा

(ग) इन धातुओं का प्रयोग इन फैक्टरियों में किन प्रयोजनों के लिये होता है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) इस सूचना का दिया जाना लोकहित के अनुकूल नहीं है ।

(ख) कुल अपेक्षित मात्रा आयात द्वारा प्राप्त की जाती है ।

(ग) विभिन्न प्रकार की युद्ध-सामग्री के निर्माण के लिये ।

"सालबान" के वृक्ष

१३२४. श्री दशरथ देव : (क) राज्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा में "शालबान" वृक्षों वाली भूमि का कुल क्षेत्र-फल कितना है ?

(ख) इन वृक्षों के परिरक्षण पर प्रति वर्ष कुल कितना व्यय होता है ?

(ग) इन वृक्षों से प्रति वर्ष क्या आय प्राप्त होती है ?

(घ) इन वृक्षों का कितना परिमाण त्रिपुरा में प्रति वर्ष काम आ जाता है और कितना निर्यात होता है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) लगभग १०० वर्ग मील ।

(ख) "साल" के बारे में कोई पृथक् हिसाब नहीं रखा जाता है । "साल" वाले वन-क्षेत्रों पर औसत व्यय १४,५०० रुपये होता है ।

(ग) "साल" अथवा किसी अन्य प्रकार के लिये पृथक हिसाब नहीं रखा जाता है । लकड़ी, जिस में "साल" भी सम्मिलित है, की औसत वार्षिक आय १,३०,००० रुपये है ।

(घ) खपत—लगभग ५०,००० क्यूबिक फ़ुट ।

निर्यात—कुछ नहीं ।

यमुनोत्री के समीप सिक्के और चांदी के निक्षेप

१३२५. डा० राम सुभग सिंह : प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या टेहरी गढ़वाल में यमुनोत्री

के निकट सिक्के तथा चांदी के निक्षेपों का होना बतलाया जाता है; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो क्या इन स्थानों का निरीक्षण भारत सरकार के विशेषज्ञों द्वारा किया गया है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) तथा (ख). नहीं, श्रीमान् ।

एकीकृत कैलैन्डर

१३२६. **श्री एन० पी० सिन्हा** : (क) **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने कोई समिति इस आशय से नियुक्त की है कि वर्तमान ग्रेगोरियन कैलैंडर को हटा कर एक एकीकृत कैलैंडर की रचना के बारे में सुझाव प्रस्तुत करे ?

(ख) यदि की है तो कब और उस के सदस्य कौन हैं ?

(ग) क्या समिति ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है ?

(घ) उस ने किन महत्वपूर्ण परिवर्तनों का सुझाव दिया है ?

(ङ) क्या प्रैस द्वारा अथवा अन्यथा लोकमत मांगा गया है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) से (ङ).एक विवरण जिस में अपेक्षित सूचना दी गई है सदन-पटल पर रखा जाता है । **[देखिए परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ११]**

रायलासीमा में हीरे

१३२७. **श्री जांगड़े** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि आंध्र क्षेत्र में रायलासीमा के कुछ ज़िलों में हीरों के प्राप्त होने की अधिकाधिक संभावना है जिन को आधुनिक उपकरणों तथा मशीनों की सहायता से ही निकाला जा सकता है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : यद्यपि भारत के भूमापन विभाग के उन पुराने अभिलेखों के अनुसार जिन में उनकी ओर से गत भूमापन कार्य का उल्लेख है अनन्तपुर, बेल्लारी, कुडप्पा तथा कुरनूल के ज़िलों में 'कुरनूल मिश्रत पठारों' में हीरों का होना पाया जाता है, परन्तु यह निष्कर्ष निकालने से पूर्व कि हीरों की प्राप्ति की कोई संभावना है विस्तृत पर्यालोकन किये जाने की आवश्यकता है, जो कि सम्बद्ध सरकार का काम है ।

इम्फाल में होटल

१३२८. **श्री रिशांग किशिंग** : **राज्य** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि मनीपुर की सरकार ने इम्फाल में यात्रियों के लिये एक उच्च कोटि का होटल स्थापित करने का निश्चय किया है ;

(ख) क्या भवन-निर्माण तथा होटल की स्थापना का ठेका मनीपुर से बाहर के किसी ठेकेदार को दिया गया है ; तथा

(ग) क्या मनीपुर सरकार का इस प्राक्रम में कोई भाग है और यदि है तो कितना ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां ।

(ख) ठेका सर्वश्री सेन दत्ता ऐंड कम्पनी, शिलांग को दिया गया है ।

(ग) जी नहीं ।

पंचमहाल में दंगा

१३२९. **श्री यू० एम० त्रिवेदी** : (क) **राज्य** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को ज्ञात है कि २८ मार्च, १९४८ को बम्बई के पंचमहाल के ज़िले में भीषण दंगा हो गया था ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि लूनावाड राज्य के अधिकारियों ने कितने ही ग्रामों को अपनी जानों को जोखिम में डालते हुए लूट मार से बचाया था ?

(ग) क्या यह सत्य है कि उन की सेवाओ के पुरस्कार स्वरूप लूनावाड के महाराना ने उन्हें कुछ भूमि प्रदान की थी ?

(घ) क्या यह सत्य है कि बम्बई सरकार ने ११ जनवरी, १९५० को इस दान को रद्द कर दिया था ?

(ङ) क्या यह सत्य है कि बम्बई सरकार के इस काम का भारत सरकार ने अनुमोदन नहीं किया ?

(च) क्या यह सत्य है कि भारत सरकार के आदेश के होते हुए भी उक्त अनुदान प्राप्त व्यक्तियों को भूमि पर अधिकार नहीं दिया जा रहा है तथा बम्बई सरकार इन अनुदानों की पुष्टि के हेतु धन की मांग कर रही है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) सरकार को यह ज्ञात है कि पंचमहाल ज़िले के गोधड़ा नगर में साम्प्रदायिक दंगा २५ मार्च, १९४८ को आरम्भ हुआ और २६ मार्च, १९४८ को दब गया ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

(घ) जी हां ।

(ङ) तथा (च). जी नहीं । भारत सरकार बम्बई सरकार के इस सुझाव से सहमत थी कि शासक द्वारा जारी किये गये आदेश जिन के अन्तर्गत भूमि का हस्तान्तरण किया गया रद्द होने चाहियें क्योंकि वह आदेश विलीनीकरण की प्रत्याशा में निकाले गये थे । परन्तु उक्त अनुदानों की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बम्बई सरकार ने उन्हें नए भूधारणाधिकार के आधार पर अभिस्वीकार कर लिया, इस शर्त पर कि निर्धारित राजस्व के तिगुने के हिसाब से पूर्ण आभोगाधिकार-मूल्य चुका दिया जाय । अनुदान प्राप्त व्यक्तियों ने भारत सरकार को यह अभ्यावेदन दिया कि बम्बई सरकार को यह परामर्श दिया जाए कि अनुदानों को मूल शर्तों पर ही अभिस्वीकार कर लें तथा यह कि उन की ओर से जो शर्त लगाई गई है वह रद्द कर दी जाए । भारत सरकार ने हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया क्योंकि उन के विचार में यह राज्य सरकार के निर्णय योग्य विषय था । अभी तक किसी भी अनुदान-प्राप्त व्यक्ति ने राज्य सरकार से यह अभ्यावेदन नहीं किया कि उसे भूमि पर अधिकार करने की अनुमति नहीं दी गई है ।

तम्बाकू उत्पादन शुल्क प्रशासन

१३३०. श्री नानादास : क्या **वित्त मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) तम्बाकू उत्पादन शुल्क प्रशासन में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग द्वारा सरकारी राजस्व का रक्षण करने के लिये अनुसरण किये जाने वाले प्रमुख नियंत्रण तत्व;

(ख) क्या भारतीय पत्ती तम्बाकू विकास कम्पनी को (१) तंबाकू तौलने तथा (२) तंबाकू के स्थानांतर के नियंत्रण के बारे में जो विद्यमान विनियम हैं उनका अनुसरण न करने की अनुमति दी गई है ;

(ग) क्या भारतीय तंबाकू पत्ती कम्पनी को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम के अधीन संविहित लेखा के स्थान में स्वयं अपना बहीखाता रखने की अनुज्ञा दी गई है ; तथा

(घ) तंबाकू का बिक्री-अयोग्य कचरा किस की देखभाल के अन्तर्गत नष्ट करने की अनुज्ञा दी जाएगी ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की पहली अनुसूची के ९वें पद के

अनुसार निर्मित तथा अनिर्मित तंबाकू पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क आरोपित किया जाता है । उक्त अधिनियम के अधीन अनिर्मित तंबाकू केवल साफ की जाने के बाद, अर्थात् जब वह बिक्री निर्माण के लिये योग्य बन जाती है तब से ही वह कर-योग्य बन जाती है । किन्तु यह तम्बाकू उपभोक्ता के समीप पहुंचने तक करारोपण तथा करवसूली विलंबित की जाती है । सरकारी राजस्व का रक्षण करने के लिये केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग द्वारा उत्पादन से ले कर बिक्री तक तम्बाकू का निरीक्षण किये जाने के लिये देखभाल तथा नियंत्रण का प्रबन्ध किया गया है ।

(ख) तथा (ग). स्थानान्तर, लेखा तथा तौलने के बारे में स्थिति संक्षेप में इस प्रकार है :—

(१) स्थानान्तर : भारतीय पत्ती तंबाकू विकास कम्पनी तम्बाकू पर सन् १९४३ में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लागू किये जाने के पहले से काम कर रही थी । उसने अंशतः शोधित तंबाकू शोधक के घर से कम्पनी के खरीद गोदामों में ले जाने के तथा खरीद गोदामों से एकत्रीकरण एवं पुनः सुखाने के गोदामों में ले जाने के नियंत्रण की व्यवस्था बनाई थी ।

(२) लेखा : अपने निजी गोदामों में संग्रहित तंबाकू के विषय में उन्होंने जो लेखा रखी है वह हमारी संविहित लेखा से भी अधिक व्योरेवार तथा उद्बोधक है ।

उक्त दोनों मामलों में उस कंपनी ने जो नियंत्रण व्यवस्था जारी रखी है वह उत्पादन शुल्क के कामों के लिये पर्याप्त समझ कर स्वीकृत की गई । अन्य प्रतिष्ठित कम्पनियों के लिये भी इसी प्रकार की प्रक्रिया लागू कर दी गई है ।

(३) तौलना : साधारणतः रेंज अधिकारी गठरियों को तौलता है और इस प्रकार निश्चित किया गया तौल उत्पादन शुल्क के लेखों में लिखा जाता है । भारतीय पत्ती तम्बाकू विकास कम्पनी के प्रमाणित तौलों को परिवहन अनुज्ञप्तियों में दर्ज किया जाता है यदि १० प्रतिशत गठरियों के परीक्षणात्मक तौल पर प्रत्येक गठरी प्रमाणित तौल से २ प्रतिशत से अधिक नहीं भरती है ।

भारतीय पत्ती तम्बाकू विकास कम्पनी को अधिकतर रियायतें १९४३ में तम्बाकू पर पहली बार उत्पादन शुल्क लागू करने के समय दी गई हैं । अन्य कुछ कम्पनियों को भी ये रियायतें प्राप्त हैं । इनमें से कुछ कंपनियां भारतीय नियंत्रणाधीन हैं । रियायत देने के पूरे सवाल की अभी समीक्षा की जा रही है ।

(क) निम्नलिखित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारी तम्बाकू के कचरे के नाश की अनुज्ञा देकर देखभाल करते हैं :—

अधिकारी की श्रेणी	कचरे की राशि
रेंज अधिकारी	५ प्रमापी मनों तक
सर्कल अधिकारी	२५ " " "
असिस्टेंट कलेक्टर	२५ प्रमापी मनों से अधिक

प्रतिष्ठित कम्पनियों के बारे में ये सीमाएं क्रमशः २५ मन, ५० मन तथा ५० मन से अधिक हैं ।

त्रिपुरा के कृषि क्षेत्र

१३३१. श्री दशरथ देव : (क) क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा की सरकार द्वारा त्रिपुरा में कितने कृषिक्षेत्र चलाये जा रहे हैं ?

(ख) इन आदर्श कृषिक्षेत्रों पर प्रति वर्ष कुल कितनी राशि खर्च की जाती है ?

(ग) इन कृषिक्षेत्रों के द्वारा खेती के किन तरीकों की शिक्षा दी जाती है ?

(घ) इन कृषिक्षेत्रों से वार्षिक आय कितनी होती है ?

(ङ) इन कृषिक्षेत्रों में कितने कृषि-विशारद काम करते हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) १ (एक)।

(ख) १९५२-५३ में ३२०९४ रुपये।

(ग) (१) छत पर खेती करना ।

(२) फस्ल तथा फल आदि की जाति में सुधार ।

(३) खेती के सुधरे हुए तरीके तथा खाद का कार्यक्रम ।

(४) मुर्गी, बत्तक आदि का पालन ।

(घ) १९५२-५३ में ४१४० रुपये ।

(ङ) एक कृषिक्षेत्र व्यवस्थापक तथा एक कृषिकार्य प्रदर्शक ।

विस्थापित व्यक्तियों को ऋण

१३३२. **श्री एल० जे० सिंह** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मणिपुर में जिन्हें व्यापार, धन्धा, गृह निर्माण तथा खेती के लिये ऋण दिये गये थे ऐसे विस्थापित व्यक्तियों की (श्रेणी-वार) संख्या कितनी है तथा उन्हें १९५०-५१, १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में क्रमश: कितनी राशियां दी गईं ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : वांछित जानकारी देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा गया है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या १२]**

सोमवार,
४ मई, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

सोमवार, ४ मई, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिए भाग १)

९-२० म० पू०

सदन पटल पर रखे गए पत्र

उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक सम्बन्धी साक्ष्य

श्री गाडगिल (पूना केन्द्रीय) : उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक, १९५३ सम्बन्धी प्रवर समिति के समक्ष २७ अप्रैल, १९५३ को दिये गये साक्ष्य के संक्षेप की एक प्रति मैं सदन पटल पर सविनय रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ५६]**

उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं :

"कि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ को संशोधित करने के विधेयक पर जिस रूप में वह प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित है, विचार आरम्भ किया जाये ।"

मैं इस प्रस्ताव के विषय में कोई लम्बा भाषण देने की आवश्यकता नहीं समझता क्योंकि चार दिन तक विधेयक पर विचार करने के पश्चात् भी प्रवर समिति ने विधेयक के स्वरूप में कोई मूल परिवर्तन करना आवश्यक नहीं समझा । संक्षेप में निम्न परिवर्तन किये गये हैं ।

एक नया खंड ४ जोड़ दिया गया है क्यों कि मौलिक अधिनियम में उद्योग मंत्रणा-परिषद् के साथ परामर्श करने की योजना थी, जिसे अब उन मामलों के विषय में ढ़ीला करने का विचार है कि जिन में सरकार को शीघ्र कार्यवाही करनी पड़ती है, और यह अनुभव किया गया कि अधिनियम में सरकार को यह व्यापक शक्ति देना उद्दिष्ट है कि वह धारा ५ के अनुसार शीघ्र कार्यवाही कर सके, अतः मौलिक अधिनियम की उप-धारा ४ (ख) का समुचित संशोधन करना होगा जिस में यह लिखा है कि सरकार को धारा १६ अथवा धारा १७ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत प्रदत्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करने में मंत्रणा परिषद् से परामर्श करना होगा, और यही संशोधन प्रवर समिति ने अपनाया है ।

खंड १३ के सम्बन्ध में प्रवर समिति ने यह परिवर्तन करना उचित समझा है

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

कि सरकार धारा १८ क के अधीन जिस औद्योगिक एकक को संभाले उस का भार वह पांच वर्ष के पश्चात् भी वहन कर सकेगी। पहले अधिनियम में केवल पांच वर्ष का उपबंध था परन्तु यदि सरकार अब चाहे तो तत्पश्चात् भी वह भार-वहन कर सकती है परन्तु उस स्थिति में उपयुक्त अधिसूचना सदन-पटल पर रखी जानी चाहिये ।

धारा १८ख की उप-धारा (४) सम्बन्धी संशोधन तो लगभग स्पष्टीकरण ही है । निस्संदेह धारा १८ क और १८ ख तथा अनुवर्ती धाराओं का उद्देश्य यही था कि जिन संस्थाओं को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है उनके प्रबन्ध के विषय में सरकार को निदेश देने की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिये । साथ ही समवाय निगमन के अनुच्छेदों का प्रभाव यह नहीं होना चाहिये कि संस्था को चलाने में सरकार को या सरकार के अभिकर्त्ता को बाधा पहुंचे। प्रवर समिति के इस संशोधन से मामला स्पष्ट हो जाता है ।

धारा १८ छ की उप-धारा (२) तथा (३) में अर्थात् भावों के विषय में एक संशोधन किया गया है जिस का उद्देश्य यही सुनिश्चित करना है कि समुचित भाव दिये जायेंगे और उस हद तक यह औद्योगिक एकक के लिये रक्षण-कवच है ।

अनुसूची में दो चीजें जोड़ दी गई हैं । अनुभव किया गया है कि धागा बनाने की सामग्री में रेशे वाला धागा सम्मिलित होना चाहिये। कुछ लोगों का ख्याल था कि वह तो सम्मिलित है ही परन्तु कुछ विधेयकों में जो सदन ने अभी पारित किये हैं, जैसे कि मिल-निर्मित वस्त्र पर उप कर विधेयक में, रेशे वाला धागा परिभाषाओं में निश्चय ही सम्मिलित किया गया है । नई मद 'साबुन' को विस्तृत कर के उस में प्रशासन सामग्री भी शामिल कर दी गई है । संक्षेप में, ये ही संशोधन हैं जो प्रवर समिति ने किये हैं ।

श्रीमान्, मैं बहुत संक्षेप में विमति टिप्पणियों के विषय में कुछ कह देता हूं । एक ही खंड पर श्री सोमानी तथा श्री अमीन ने विमति प्रकट की है और उन की आपत्ति एक प्रकार से आधारभूत ही है । श्री सोमानी ने यह आपत्ति नहीं की है कि सरकार का हस्तक्षेप या नियंत्रण क्यों रहे परन्तु वे चाहते हैं कि नियंत्रण की मात्रा कम कर दी जाये जिस से कि प्रभावी रूप में वह नियंत्रण नाममात्र को ही रह जाये । उन का दृष्टिकोण इस शंका पर आधृत है कि सरकार अपनी शक्ति का कहीं दूरुपयोग न करे और इस व्यापक विचारधारा पर आधृत है कि सरकार को उद्योग में हस्तक्षेप करना ही नहीं चाहिये । माननीय सदस्य ने यह तो स्वीकार किया है कि सरकार विधान-निर्माण कर के उद्योग पर नियंत्रण कर रही है अतः वे कुछ अधिक रक्षण-कवच चाहते परन्तु यदि वे रक्षण-कवच रख दिये जायें तो यह संशोधक विधेयक कार्यरूप में अनावश्यक हो जायेगा ।

श्री अमीन की टिप्पणी में केवल यही विशेष बात है कि धारा २३ के संशोधन में यह कहा गया है कि नई वस्तु क्या है और 'सारभूत विस्तार' क्या है । इस के निर्वचन के विषय में सरकार का विनिश्चय निर्णायक होना चाहिये परन्तु श्री अमीन चाहते हैं कि मामला पंच-निर्णय के लिये सौंप दिया जाये । परन्तु वे यह नहीं समझते कि इस विषय में संविदा के समान कोई बाध्यता सरकार या उद्योग पर लागू नहीं होती । सरकार का कार्य विनियामक का है अतः स्वभावतः सरकार का मत इस मामले में निर्णायक होता । जो पक्ष समान स्थिति में नहीं है उन के विषय में पंच निर्णय नहीं हो सकता । यदि दो पक्ष कोई करार करें और संविदा हो जाये तो

मतभेद होने पर मामला या तो न्यायालय को जायेगा या पंच-निर्णय के लिये जायेगा। यहां तो सरकार लोगों को बताती है कि क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये। यदि सरकार के प्राधिकार पर आपत्ति की जा ी है तो अधिनियम को रद्द किया जा सकता है।। अतः पंच-निर्णय का प्रश्न तो है ही नहीं, अपील का हो सकता है। अतः माननीय सदस्य स्थिति को बिल्कुल ही गलत समझे हैं।

दूसरी विमति-टिप्पणी, जो माननीय श्री बसु तथा तीन अन्य व्यक्तियों द्वारा सामने रखी गई थी, कार्यवाही के लिये एक सुझाव के रूप में है। प्रकट रूप से वे प्रस्तावित संशोधनों का विरोध नहीं करते। किन्तु प्रभाव में मेरा अनुमान है कि वे समझते हैं कि वह पर्याप्त नहीं है। उदाहरण के लिये, वे समझते हैं कि एक एक ऐसे शासनतन्त्र के लिये, व्यवस्था की जानी चाहिये जिस में सरकारी नौकरों को छोड़ कर अन्य लोग सम्मिलित किये जाने चाहियें। वे यह भी समझते हैं कि यदि औद्योगिक इकाइयां ले ली जाती हैं तो सरकार को इन संस्थाओं का प्रबन्ध करने के लिये उन फर्मों को नियोजित नहीं करना चाहिये जो पहिले से ही इस क्षेत्र में हैं। और दूसरी शर्त यह है कि कुछ समय के बाद जब वे देखें कि वह इकाई उचित आधार पर रख दी गई है, तो बिना भागीदारों की इच्छाओं को निश्चित किये वह कम्पनी स्वामियों को वापस नहीं दे दी जानी चाहिये। मेरा मतलब है कि ये विस्तृत विवरण के विषय हैं। लेकिन उन लोगों ने यह कहा है कि मूलतः वे उपबन्धों का विरोध नहीं करते इस तथ्य को छोड़कर कि वे समझते हैं कि उन की स्वीकृति बिना शर्त नहीं है क्योंकि वे यह चाहेंगे कि उस का क्षेत्र उस सीमा से और विस्तृत हो जो कि संशोधक प्रस्ताव सरकार से करना चाहता है।

इस से सदन को यह पता चल जायेगा कि विमति-टिप्पणी में मुख्य विरोधी माननीय सदस्य श्री सोमानी और माननीय सदस्य श्री अमीन हैं। और यहां पर एक यह मौलिक मतभेद का विषय है जिस में खाई नहीं पाटी जा सकती। लेकिन ऐसे मतभेद को रहना ही चाहिये और हमें विभिन्न मत रखने के लिये सहमत हो जाना चाहिये।

बैठने से पूर्व मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावित संशोधनों की भी चर्चा करूंगा। मैं समझता हूं कि प्रभाव में मैं ने जो एक संशोधन प्रस्तावित किया है वह न्यूनाधिक एक व्याख्यात्मक रूप में है। मैं ने मूल्य निर्धारण सम्बन्धी उपबन्धों को अच्छी तरह देखा है और मुझ को यह सलाह दी गई है कि वर्तमान प्रस्ताव नियंत्रण के प्रयोग को स्टाक तक ही सीमित रखना चाहता है और निर्मित होने वाले माल पर नहीं। और सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन न्यूनाधिक एक प्रारूपण संशोधन है क्यों कि उस का अभिप्राय यह है कि उन औद्योगिक इकाइयों में, जो निर्माण कार्य करती हैं, मूल्य नियंत्रण स्टाक के माल का ही नहीं बल्कि उस माल का भी होना चाहिये जो निर्मित किया जा रहा है।

अन्य संशोधनों के सम्बन्ध में मैं पहले उसकी चर्चा करता हूं जो श्री बंसल ने प्रस्तुत किया था। इस के उपरान्त, मैं अतिनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि यह संशोधन इस विषय में सरकार के विचारों को गलत समझने के कारण उत्पन्न हुआ है। धारा १८क के उपबन्धों तथा उस के बाद के उपबंधों के आधीन जो कार्य करने का विचार है वह यह है कि यदि कोई आपत होती है जब कि सरकार को उस औद्योगिक इकाई को चालू रखना पड़ता है, तो वह उस में विलम्ब नहीं होने देगी। उस दशा में सरकार उस का भार संभाल लेगी बिना उस इकाई के

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

प्रबन्धकों को प्रबन्ध सुधारने का निदेश दिये हुए अथवा औद्योगिक मंत्रणा परिषद् की सलाह लिये हुए। यदि श्री बंसल का संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तो वह संशोधक विधेयक के उपबन्धों को फिर से निरर्थक बना देगा। उन का कथन है कि इस बात की व्यवस्था की जानी चाहिये कि किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह को प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के लिये नियुक्त करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार को औद्योगिक मंत्रणा परिषद् की राय लेनी पड़ेगी। यह उसी बात के दूसरे रूप में फिर से वापस ले आती है। आप सामने के दरवाजे से जाते हैं और पीछे के दरवाजे से लौट आते हैं। स्थिति यह है कि यदि मुझे एक २५/३० लोगों की संस्था को बुलाना पड़े, उन तक नोटिस पहुंचने का उन्हें समय देना पड़े, उन्हें अपने व्यक्तिगत कार्यों का प्रबन्ध करने का समय देना पड़े---वे सब बड़े कामकाजी व्यक्ति हैं, सब बिना किसी अपवाद के, कम से कम एक पखवारे का समय देना चाहिये---तो कुचेष्टा सफल हो जायेगी। एक पखवारे में कदाचित् सारी संस्था छिन्न भिन्न हो जायेगी। सरकार इस तरह केवल उस प्रकार के एक आपात में कार्य करने का विचार करती है। आम तौर पर धारा १६ के उपबन्ध लागू होंगे। यदि निदेश दे कर उस संस्था की स्थिति को सुधारने की कोई संभावना होती है, तो सरकार निश्चित रूप से उस स्थिति को स्वीकार करेगी, उन को नोटिस देगी, और उन से उस को सुधारने के लिये कहेगी। पर यदि ऐसा हो कि उस में किसी और चीज़, उदाहरण के लिये मजदूरों, का संबंध है ५, या ६ या ७ हजार लोगों की सीमा तक, तब एक द्रुत कार्यवाही आवश्यक होती है। मैं उस संस्था के न बन्द होने के उत्तरदायित्व को ग्रहण नहीं कर सकता और साथ ही साथ में केवल यह भी नहीं कह सकता कि मेरे पास शक्तियां हैं। संक्षेप में यही संशोधक विधेयक का उद्देश्य है। यदि कोई आपात है तो सरकार को कार्यवाही करनी पड़ेगी और यदि उस को कार्यवाही करनी पड़ेगी तो शक्तियां अवश्य होनी चाहियें। जो कुछ भी मैं अभी कह रहा हूं उस का प्रयोग मेरे ही विरुद्ध अथवा भविष्य में इस पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति के विरुद्ध किया जा सकता है, 'सरकार ने इस के बारे नें एक खास प्रकार से क्यों नहीं सोच विचार किया ? उन्हों ने धारा १६ का उपयोग क्यों नहीं किया ? उन्होंने धारा १८ का प्रयोग क्यों किया ? उन को यह बात प्रदर्शित करनी चाहिये थी कि आपात रहा है; पर्याप्त कारण होने चाहियें।' आखिरकार सरकार सब से अलग रह कर तो काम नहीं करती है। हम सदन के सम्मुख उत्तरदायी हैं। यदि कोई गड़बड़ी होती है तो सदन हम से पूछेगा कि हम ने क्या किया। और मैं नहीं समझ पाता कि जब आप के पास दो सदन हैं जो सरकार से सदैव उत्तर मांग सकते हैं, तो फिर सलाह लेने आदि की व्यवस्था क्यों होनी चाहिये। इस का अर्थ तो यह हुआ कि उन माननीय सदस्य को, जो यह संशोधन रखवाना चाहते हैं, इस सदन में विश्वास नहीं है। जहां तक मेरा संबंध है मैं जानता हूं कि गलती कर सकता हूं, मैं जानता हूं कि जो मैं करूं वह गलत हो सकता है। लेकिन मेरा विश्वास है कि यह सदन यहां पर किसी भी चीज को गलत होने से रोकने के लिये है।

इस प्रकार न्यूनाधिक प्रस्तुत किये गये अधिकांश मुख्य संशोधन की चर्चा समाप्त हो जाती है। श्री गुरुपादस्वामी द्वारा प्रस्तुत किया गया संशोधन फिर यह बात कहता है कि सरकार को किसी भी फर्म को प्रबन्ध-अधिकर्त्ता नहीं नियुक्त करना चाहिये। यह एक ऐसा विषय है जिस में मैं माननीय सदस्य

से यह कहूंगा कि वह यह समझ लें कि जब कर्मचारीवृन्द का सम्पूर्ण अभाव होता है, तब यदि आप सरकार के साथ बांधना चाहें तो संस्था के बुरे प्रबन्ध के सुधार का प्रयोजन ही परास्त हो जायेगा । यदि मैं उस का प्रबन्ध किसी को नहीं दे सकता, यदि मैं ली गई संस्था को चलाने के लिये उचित व्यक्ति ही नहीं पा सकता, तब, यदि यही माननीय सदस्य का अभिप्राय है, तो, यह संशोधक अधिनियम अनावश्यक है । यदि अभिप्राय यह है कि चीज का सुधार हो, यदि अभिप्राय यह हो कि सारे संभव संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिये--सभी प्रबन्ध-अभिकर्त्ता बुरे नहीं होते--तो मेरे पास शोलापुर मिल्स का उदाहरण मौजूद है । उस का प्रबन्ध करने वाली एक समिति है जो मुख्य रूप से श्री विट्टल चन्दावारकर के अधीन है--चन्दावारकर सरकार से सहमत नहीं है ; वे सरकार द्वारा की गई किसी भी चीज से सहमत नहीं हैं, उन को सरकारी हस्तक्षेप से सिद्धान्तिक घृणा है और फिर भी मैं बिना किसी अतिशयोक्ति के कह सकता हूं कि वह एक अत्यन्त स्पष्टवादी तथा योग्य व्यक्ति हैं और उन्हों ने बहुत अच्छा कार्य किया है । मुझको उन का उपयोग करने से नहीं रोका जा सकता बशर्ते कि वे अपनी सेवायें, बिना किसी वस्तु की प्राप्ति की आशा के, देने को तैयार हों । उन के लिये यह प्यार का श्रम है और यह एक कठिन तथा धन्यवादहीन कार्य है । मैं नहीं जानता कि सरकार के हाथ क्यों बांध दिये जाने चाहियें । वास्तव में इस से तो यह होगा कि सरकार कुछ नहीं कर पायेंगी । मैं केवल यह नहीं कह सकता कि मेरे पास कर्मचारीगण नहीं हैं और इसलिये मैं संस्था का भार नहीं ले सकता यदि माननीय सदस्य का यह अभिप्राय है कि हमें उद्योगों को चलाना चाहिये तो प्रत्येक संसाधन का उपयोग करने के लिये व्यवस्था होनी चाहिये ताकि उद्योग चलता रहे । यह व्यक्तियों के वाणिज्यिक समुदाय का प्रश्न नहीं है । यदि उद्योग को चालू हालत में रखना है तो सरकार को उस के स्वविवेक में कुछ लचीलापन देना चाहिये । इस अवस्था पर मुझे केवल इतना ही कहना है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव रक्खा गया ।

इस विधेयक पर विचार करने के लिये और इसे पारित करने के लिये दो दिन रखे गये हैं, अतः विचार आज ही करना चाहिये । प्रत्येक सदस्य १५ मिनट में अपने भाषण को समाप्त करने का प्रयत्न करें ।

श्री एन० एम० लिंगम (कोयम्बटूर) : मैं पूछना चाहता हूं कि चाय का विधेयक कब लिया जायेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस की समाप्ति पर ।

श्री के० सी० सोधिया (सागर) : कई बार पढ़ने के उपरान्त मेरा मत है कि यह उद्योग विधेयक एक डरावना विधेयक है । प्रथमतया सरकार की ओर से, जहां कि कई मामलों में पंजीयन को रद्द करने में सरकार के पास शक्ति बहुत अधिक है, और माननीय मंत्री अपनी इच्छा का प्रयोग कर सकते हैं । मैं सरकार की मेहरबानी पर उद्योग को छोड़ने के पक्ष में नहीं हूं । दूसरे उद्योगों काबू कर लेने में सरकार के पास अधिक शक्ति रखी गई है । उद्योग का सारा काम सरकार के अपने हाथ में आ जाने और उद्योग वालों को इस मामले में अपनी स्थिति पर प्रकाश न डाल सकने की अक्षमता में उद्योग उन्नति नहीं कर सकता । और तीसरे नवीन वस्तुओं के बनाने के सम्बन्ध में उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये । परन्तु इस विधेयक के आधीन उन को इस प्रकार का कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया है ।

[श्री के० सी० सोधिया]

[श्रीमती खोंगमन अध्यक्ष-पद पर आसीन हुईं]

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर): उसे हटाओ ।

श्री के० सी० सोधिया : नवीन वस्तुओं को बनाने के लिये सरकार की आज्ञा लेने का नियम जो रखा गया है, उस कंट्रोल के समान है जिस से देश की अवस्था बिगड़ी थी । सरकार को कंट्रोल का चस्का लग गया है, और वह इसे छोड़ना नहीं चाहती । सरकार की तानाशाही से बड़े आदमियों को हानि कम पहुंचती है, परन्तु छोटे धन्धे करने वाले लोग पिसते हैं । अब उद्योग की दृष्टि से लीजिये, सरकारं के अधिक नियंत्रण से उद्योग विकास नहीं कर सकते । पहले उद्योगों को अपने हाथ में लेने के लिये पांच वर्ष की अवधि थी, परन्तु अब अधिक समय की मांग की जा रही है, जिस की आज्ञा नहीं दी जानी चाहिये । वस्तुओं के मूल्य के सम्बन्ध में भी इस विधेयक में निश्चित बात नहीं । इस में कहा गया है कि दलों द्वारा सरकार की अनुमति से मूल्य निश्चित किये जायें, परन्तु इस से छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को बहुत परेशानी और हानि रहेगी । एक और बात यह है कि मामलों का निर्णय शीघ्र ही करने के लिये आदेश दिये गये हैं, परन्तु ऐसा करने से दण्डाधीश की शक्ति बढ़ जायेगी, और वे जैसा चाहेंगे, करेंगे । मैं जानता हूं कि सरकार इन संशोधनों को मानने को तैयार नहीं होगी ।

श्री बी० एस० मूर्ति (एलूरु): आप बिल्कुल ठीक हैं ।

श्री के० सी० सोधिया : माननीय मंत्री के पास संशोधन ले कर जो कोई भी पहुंचे, वह उन्हें व्यर्थ प्रतीत होते हैं ।

श्री के० के० बसु : क्योंकि हम सब लोग देश की औद्योगिक उन्नति चाहते हैं, अतः विधेयक में उन्नति लाने वाले संशोधनों का पक्ष लेते हैं । यह सब इस बात पर आश्रित है कि हम किस ढंग से अधिनियम को कार्यान्वित करना चाहते हैं । हम अपने देश की आर्थिक अवस्था को देखें । हमारे प्रान्त में पटसन का उद्योग जोरों पर है । उद्योगों के स्वामी अधिकतर अंग्रेज लोग हैं । अधिकरण ने श्रमिकों के पक्ष में सप्ताह में ४२ घंटे कार्य की अवधि निश्चित की, तो उद्योगपतियों ने १०००० से १५००० तक लोग घटा दिये, क्योंकि वे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं । जब कभी भी बाजार में संकट काल आता है, तो ये उद्योगपति मजदूरों को निकाल देते हैं, और अपने धन से लाभ उठाते हैं । सरकार को चाहिये कि देश और देश-वासियों के लिये विधान बनाये, जिस से मजदूर लोगों को यह आश्वासन मिले कि उन को निदर्यता से निकाल नहीं दिया जायगा । मजदूरों को कम कर के उन के स्थान पर मशीनों का प्रयोग किया जाता है । इन उद्योगपतियों का व्यवहार धन-लिप्सा से प्रेरित होने के कारण मजदूरों के लिये घातक सिद्ध होता है । देश के उद्योग को विकसित करने के लिये आवश्यक है कि मजदूरों के हित के लिये सेवा की शर्तें निश्चित की जायें ।

दूसरी बात लाख उद्योग के सम्बन्ध में है, जिस में २०,००० व्यक्ति काम करते हैं । बढ़ती के दिनों में निर्यात भी बढ़ गई थी । परन्तु अभारतीय उद्योगपतियों ने लाभ का मुख्य भाग हड़प लिया । अब जब संकट काल है, तो मजदूर लोग पीड़ित हैं । यही व्यवस्था अबरक उद्योग की है, जो कि देश से बाहर भी अच्छी मात्रा में भेजा जाता था, परन्तु अब विदेशी लोगों ने उसे बन्द कर दिया है । सरकार शीघ्र ही वहां काम करने वाले मजदूरों के हित के लिये विशेष गम्भीर कार्यवाही करे । दूसरी बात यह है कि बड़े एकाधिकार को स्थापित न होने दिया जाय । लोहा इस देश से बाहर बड़ी मात्रा में भेजा जाता है ।

यदि उस लोहे को बाहर न भेजा जाय, तो देश में ७५ प्रतिशत मशीनें तैयार हो सकती हैं। टाटा और मुकर्जी ने देश में और लोहे के कारखाने न खुलने देने के लिये गठबन्ध किया है, जो देश के हित में हानिकारक है। अतः सरकार इस का भी प्रबन्ध करे। इस विधेयक में सरकार को बहुत शक्तियां प्राप्त हैं।

अब मैं पोत उद्योग को लेता हूं। भारतीय पोत हित में योग्य व्यवहार नहीं होता। और अधिकतर भारतीय हितों को ही अधिक पसन्द किया जाता है। आज देश के निर्यात-व्यापार पर अंग्रेज हितों का प्रभुत्व है।

श्रीमती जी, मैं कितना समय ले सकता हूं।

सभापति महोदया: दो मिनट।

श्री के० के० बसु: क्योंकि बोलने वाले थोड़े हैं, अतः मुझे अधिक समय दिया जाना चाहिये।

सभापति महोदया: दूसरे सदस्य भी तो हैं।

श्री क० के० बसु: मैं आप से अधिक समय देने की प्रार्थना करता हूं।

सभापति महोदया: सदस्य महोदय को पांच मिनट और मिल सकते हैं।

श्री के० के० बसु: पोत व्यापार के सम्बन्ध में मैं कह रहा था कि भारतीयों के प्रमाण पत्र को भी स्वीकार नहीं किया जाता। इस विधेयक के आधीन सरकार को उद्योग में हस्तक्षेप करने की शक्ति प्राप्त है, अतः भारत सरकार यह देखे कि भारतीय उद्योगों पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता।

हमारे पट्टा उद्योग के सम्बन्ध में, जो प्रशुल्कायोग की रिपोर्ट के द्वारा उत्पादन शक्ति का ५० प्रतिशत मुश्किल से उत्पन्न कर सकता था, अबउसे भी होड़ का सामना करना पड़ेगा, अर्थात् डनलप कम्पनी का। इस प्रकार यह उद्योग नष्ट हो जायेगा।

मैं इस बात पर जोर दूंगा कि सरकार हमारे उद्योग की उन्नति और रक्षा करे। तथा विदेशी जो भारतीय कामों से हमारी संरक्षण नीति का लाभ उठा कर लाभ उठा रहे हैं, उन को बढ़ाने की अपेक्षा देशी उद्योग को विकसित करने का प्रयत्न करे। मैं संशोधन में एजेन्सी पद्धति पर बोलूंगा। हमें इस का विचार करना चाहिये और इस की जांच पड़ताल भी। मैं सरकार को सुझाव दूंगा कि ग्रेट ब्रिटेन की तरह लाभांश का कुछ भाग संकट काल के लिये सरकारी सुरक्षा में रखा जाये।

मैं सरकार को सब उद्योगों के सम्बन्ध में विचार करने और जांच पड़ताल करने के लिये प्रार्थना करूंगा। और दियासलाई उद्योग जिस में विदेशी उद्योग ही अधिकतर काम कर रहे हैं, उस के उत्पादन का भी विचार करना चाहिये। अतः सरकार को सब उद्योगों में यह देखना चाहिये कि वे विदेशियों को किस ढंग से विदेशी धन लगाने की आज्ञा देते हैं, और वे इसे किस ढंग से प्रयोग में लाते हैं।

अपने देश के औद्योगीकरण के निमित, मैं कहूंगा कि जिस ढंग से विधेयक रखा जा रहा है, उस से मेरी अनुमति नहीं है। सरकार को गैर-सरकारी उद्योग का भी नियंत्रण करने के लिये तथा राष्ट्रीयकरण किये हुए उद्योगों के प्रबन्ध के लिए इस विधेयक द्वारा अधिक शक्तियां प्रदान की जा रही हैं। अतः एक निगम स्थापित किया जाना चाहिये जिसमें श्रमिक वर्ग के प्रतिनिधि नियोजक वर्ग के सदस्य तथा अर्थशास्त्र में विशेषज्ञ, लिये जायें। आई० सी० एस० आफिसर इस में न हों, क्योंकि उन का क्षेत्र अलग है, और उन्हें

[श्री के० के० बसु]

भिन्न प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त होता है। अन्त में मैं कहूंगा कि सरकार देश के औद्योगीकरण की दृष्टि से योग्य भावना के साथ इस विधान को कार्यान्वित करने के लिये इन सब बातों का विचार करे।

सभापति महोदया : मैं उन माननीय सदस्यों को प्राथमिकता देना चाहती हूं जिन्होंने संशोधन रखे हैं। मैं उन्हें १५ मिनट दूंगी और उस के पश्चात् अन्य सदस्य बोल सकेंगे। श्री वी० बी० गांधी।

श्री वी० बी० गांधी (बम्बई नगर—उत्तर) : मेरे माननीय मित्र श्री सोधिया ने इस विधेयक के सम्पूर्ण आधार का विरोध किया है। ऐसे पूर्ण विरोध से विचार किया जा सकता है कि वे गंभीर नहीं थे। मैं स्वयं अनुभव करता हूं कि इस देश का व्यापार और उद्योग कई विधियों और नियंत्रणों से शासित है। केन्द्रीय सरकार, राज्य की सरकारें तथा स्थानीय शासन सभी इन का निरीक्षण करते रहते हैं। अब उद्योग (विकास तथा विनिमयन) संशोधन विधेयक द्वारा सरकार के हाथ में एक और अस्त्र दिया जाना है। विधेयक एक पुराने अधिनियम का संशोधन मात्र है। इस का महत्वपूर्ण भाग धारा १४ (ख) है। उस धारा के अधीन सरकार की शक्ति को घटाने वाले संशोधन को उस उद्देश्य के हित में नहीं समझना चाहिये।

अब मैं विधेयक के खण्ड ३ पर कुछ कहूंगा। इस खण्ड द्वारा मूल अधिनियम की धारा ४ का लोप कर दिया गया है। वह धारा ऐसे औद्योगिक उपक्रमों के सम्बन्ध में थी जो अधिनियम के क्षेत्राधिकार से विमुक्त हैं अर्थात् वे उद्योग जिन में १ लाख से कम पूंजी लगी हुई है। डा० मुखर्जी ने इस का विरोध करते हुए कहा था कि इस द्वारा न्यूनतम अर्हता को भी हटा लिया गया है। परन्तु इस धारा के लोप से यह अभिप्राय नहीं है कि छोटे उद्योगपतियों को भी अधिनियम के अधीन ले आया जाएगा क्योंकि पूंजी ही केवल मात्र आधार नहीं है। अन्य आधार के अनुसार उद्योगिक उपक्रम की परिभाषा यह की गई है कि "ऐसा उद्योग जो एक अथवा एक से अधिक कारखानों में चलाया जाता है।" 'कारखाने' की भी परिभाषा की गई है अर्थात वह स्थान जहां बिजली द्वारा निर्माण-कार्य होता है और जहां ५० अथवा ५० से अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं। इसलिए यह भय नहीं होना चाहिये कि अत्यन्त छोटे और अनपढ़ उद्योगपति भी इस अधिनियम के अधीन आ जाएंगे।

हमें न्यूनतम पूंजी की अर्हता को रखने से पैदा होने वाली वास्तविक संभावनाओं और वास्तविक कठिनाइयों पर विचार करना चाहिये। माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने कुछ कठिनाइयों की ओर संकेत किया था। उन के अनुसार यह संभावना है कि बहुत थोड़ी पूंजी अर्थात् १ लाख से कम पूंजी वाला उद्योग भी पर्याप्त रूपेण बड़ा उद्योग हो और उस का उत्पादन बहुत अधिक हो और वह उद्योगों की विशेष श्रेणी में बहुत महत्व रखता हो। मैं अपने अनुभव से जानता हूं कि फारमेसी का उद्योग भी इस प्रकार का उद्योग है। ऐसे उद्योगों को अधिनियम अधीन लाना आवश्यक है। दूसरी कठिनाई जो माननीय मंत्री ने बताई है वह इस यन्त्रों के युग में ऐसे उद्योग की संभावना है जिस में ५० व्यक्तियों से कम काम करते हों परन्तु उत्पादन इतना हो जो कि काम करने वालों के अनुपात से अधिक हो। ऐसे उद्योग को भी अधिनियमाधीन करना आवश्यक है। अन्त में एक कठिनाई उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में बताई गई है वह यह है कि इस उपबन्ध द्वारा गलती से यह समझ लेने की संभावना है कि धारा २ में दी गई घोषणा भी ऐसे उद्योगों पर लागू

नहीं होगी। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि संघ द्वारा नियंत्रण की घोषणा को अर्थपूर्ण बनाया जाए। इस प्रकार इन तीनों बातों पर गंभीरता से विचार करने के पश्चात् यह सिद्ध होता है कि धारा ४ का लोप करने की आवश्यकता है।

मैं व्यक्तितः समझता हूं कि बहुमुखी नियंत्रण को प्रत्येक प्रकार के उद्योग पर लागू नहीं करना चाहिये। परन्तु मैं उपरोक्त आधारों पर खण्ड ३ का समर्थन करता हूं। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने कहा है कि उन का यह दृष्टिकोण दण्ड सम्बन्धी विधान के लिए नहीं वरन् विकास सम्बन्धी विधान के लिए है। यदि इस अधिनियम के प्रचलन में किसी समय न्यूनतम अर्हता की आवश्यकता हुई तो फिर सुझाव रखा जा सकता है। अनुसूची में बड़े उद्योगों अर्थात् इन्जन बनाने, तेल साफ करने और लोहा उद्योग को तथा छोटे उद्योगों अर्थात् कागज, गत्ता और फारमेसी उद्योग एक साथ दर्ज किया गया है। मेरा सुझाव यह है कि भविष्य में प्रत्येक उद्योग के लिए अलग अर्हता का विधान किया जाए। उदाहरणतः यदि लोहा और इस्पात के उद्योग के लिए १ करोड़ पूंजी की अर्हता हो तो फारमेसी और गत्ता उद्योगों के लिए एक लाख रुपये की सीमा रखनी चाहिये।

मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने डा० एस० पी० मुखर्जी के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है कि कुछ उद्योग प्रबन्ध निगम बनाने चाहियें। मेरा सुझाव है कि उद्योग प्रबन्ध निगम के लिए उद्योग वित्त निगम का लाभ उठाना चाहिये।

यह आश्चर्यजनक है कि जब यातायात के महत्वपूर्ण साधनों का राष्ट्रीयकरण विमान निगम विधेयक द्वारा किया जा रहा था तो साम्यवादी दल के सदस्यों ने इसे राष्ट्रीयकरण का विधेयक स्वीकार नहीं किया परन्तु श्री एच० एन० मुखर्जी ने इस विधेयक के सम्बन्ध में राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य प्राप्ति की आशंका प्रगट की, यद्यपि माननीय मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि इस विधेयक द्वारा राष्ट्रीयकरण अभिप्रेत नहीं है।

श्री मुखर्जी ने इस विधेयक का विरोध इसलिए किया कि इस से लाभों का विनियमन नहीं होता। परन्तु लाभ मूल्य से उत्पन्न होते हैं और जब परिच्छेद ३ बी द्वारा मूल्यों पर नियंत्रण रखा गया है तो स्वतः ही लाभों पर भी नियंत्रण हो जाता है। साम्यवादी मूल्य, लाभ, राष्ट्रीयकरण इत्यादि का और अर्थ लेते हैं और हम उस से भिन्न अर्थ समझते हैं। माननीय मंत्री के अनुसार यह प्रश्न भी एक शब्दार्थ सम्बन्धी प्रश्न बन जाता है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर): इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने से पूर्व मैं ने यह कहा था कि इस द्वारा राष्ट्रीयकरण नहीं हो सकेगा वरन् यह विधेयक निजी उद्योग और व्यापार को जीवन प्रदान करता है। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं यदि कोई निजी उद्योग सुप्रबन्धित न हो और ठीक न चलता हो तो सरकार उसे ले सकती है। उद्योग का ठीक प्रबन्ध करने के पश्चात उसे स्वामियों को वापस दे दिया जायेगा। यह विधेयक उद्योगपतियों को केवल स्तर्क रखेगा और सुप्रबन्ध के लिए उन की सहायता करेगा। इस प्रकार यह कदापि क्रान्तिकारी उद्योग नहीं है। ऐसा दिखाई देता है कि सरकार तानाशाही ढंग से बहुत से अधिकार उद्योगपतियों से छीन लेगी। परन्तु यह दिखावा मात्र है और वस्तुतः ऐसा नहीं है।

मैं इस विधेयक को सीमित समर्थन प्रदान करता हूं। हम चाहते हैं कि यथासंभव जो निजी उद्योग इस देश में हैं वह चलते रहें। निजी उद्योगों की स्थिति भ्रान्ति पूर्ण है। जो प्रगति उन्हों ने की है वह वस्तुतः प्रगति

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी]

नहीं है। उन में कोई प्रणाली विनियमन और नियंत्रण नहीं है। यदि विधेयक द्वारा योजना प्राप्त हो तो उस सीमा तक हमें इस का स्वागत करना चाहिये। विधेयक में जो यह सुझाव है कि जब सरकार किसी उद्योग को अपने हाथ में लेगी तो वह उसे प्रबन्ध करने वाले अभिकर्त्ताओं के हाथ में सौंप देगी। यह सिद्धान्त ग्राह्य नहीं है। प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं के अभिलेख से पता चलता है कि उपक्रमों को उन के हाथ सौंपने से लाभ नहीं होगा। इसलिये मेरे विचार में यह अच्छा रहेगा कि सरकार पूर्णतया उसे अपने हाथ में ले और उस के प्रबन्ध के लिए जैसा डा० एस० पी० मुखर्जी ने सुझाव रखा है एक प्रबन्ध बोर्ड बनाया जाए।

एक दूसरी बात जो समान रूप से महत्वपूर्ण है यह है कि यदि अभिकर्त्ता समवाय का प्रबन्ध अच्छी प्रकार न करें तो उन के विरुद्ध कार्यवाही करने का उपबन्ध नहीं है। इंगलैंड में ऐसा है कि यदि समवाय के कुछ अंशभागी सरकार के पास अभ्यावेदन भेजें कि समवाय का प्रबन्ध अच्छा नहीं हो रहा तो अभिकर्त्ताओं के विरुद्ध अभियोग चलाया जाता है। परन्तु, इस विधेयक में इन का ही उपबन्ध है कि ऐसी स्थिति में उपक्रम को उन के हाथ से ले कर अन्य अभिकर्त्ता को सौंपा जाएगा।

यह भी आलोचना की गई है कि इस अधिनियम को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू नहीं किया गया। यह सत्य है। गत वर्ष पंजीयन के लिए ३००० प्रार्थना-पत्र आए परन्तु केवल ४०० को पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी किए गए। यदि ऐसी प्रभावहीनता और दृढ़ संकल्प का अभाव रहा तो निश्चय ही विधेयक के प्रयोजन सफल नहीं हो सकेंगे, परन्तु सरकार अधिकार लेना चाहती है और अधिकारों से सम्बन्धित उत्तरदायित्व से मुंह चुराती है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमती, एक सूचना विषयक बात है, मैं ने यह कभी नहीं कहा कि ४०० उद्योग पंजीबद्ध किये गए। ३५६२ ने पंजीयन के लिए प्रार्थना-पत्र भेजे थे और उन में से २२४१ अयोग्य थे।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वमी : मैं "वाणिज्य तथा उद्योग" पत्रिका में से बता रहा हूं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह कौन सी पत्रिका है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : "वाणिज्य तथा उद्योग" पत्रिका दिनांक १६ अक्तूबर १६५२।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य को "वाणिज्य तथा उद्योग" की अपेक्षा मेरी बात स्वीकार करनी चाहिये।

फिर विधेयक में उपबन्ध किया गया है कि यदि किसी उद्योग में कुप्रबन्ध हो तो सरकार उसे अपने हाथ में ले ले। मूल अधिनियम में इस की प्रक्रिया अस्पष्ट तथा त्रुटिपूर्ण थी। उस से अधिनियम का प्रयोजन पूर्ण नहीं होता। इसलिए यह संशोधन वांछनीय है।

बहुत से उद्योग जो अनुसूची में नहीं हैं बहुत गड़बड़ की स्थिति में हैं। मेरे विचार में सरकार को सम्पूर्ण उद्योगी क्षेत्र पर नियंत्रण रखना चाहिये। इस अनुसूची को विस्तृत करना भी अपेक्षनीय है। यद्यपि प्रत्येक उद्योग पर नियंत्रण कठिन है परन्तु राष्ट्र के आर्थिक हित के लिये यह आवश्यक है। यदि सरकार यह न कर सकी तो उद्योगपति यह प्रचार कर सकेंगे कि राष्ट्रीयकरण सफल नहीं हो सकता। पूंजीपति सरकार की असफलता से लाभ उठाएगा। सरकार की

प्रभावपूर्ण कृति द्वारा प्रगतिशील व्यक्तियों में विश्वास और उत्साह बढ़ाना चाहिये ।

श्री बंसल : (झज्जर---रिवाड़ी) प्रवर समिति द्वारा रखे गये इस विधेयक में अधिक परिवर्तन नहीं किये गये हैं । वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये जाने के अवसर पर मैं ने एक लम्बी वक्तृता दी थी । किन्तु प्रवर समिति ने इस में एक उल्लेखनीय परिवर्तन किया है । उन्हों ने चतुर्थ खंड में एक संशोधन जोड़ दिया है जिस के अनुसार सरकार को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि धारा १५ और १६ अ के अन्तर्गत किसी भी कार्यवाही के लिये केन्द्रीय मंत्रणा परिषद् से परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है । मूल धारा का उद्देश्य यह था कि सरकार केन्द्रीय मंत्रणा परिषद् को विचार विमर्श हेतु कुछ समय दिया जाय । मैं मंत्री महोदय के इस आश्वासन से प्रसन्न हूं कि संकटकाल में उस शक्ति का उपयोग किया जायगा । किन्तु खंड के वर्तमान स्वरूप में कुछ कमी रह गई है तथा आदर्श विधान के अनुसार यह कमी वांछनीय नहीं है । प्रस्तावित विभाग १८ अ के खंड १३ के उपविभाग (१) में मेरा उपबन्ध इस प्रकार है :

> "इस शर्त पर कि व्यवस्था संभालने के लिये किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निकाय की नियुक्ति के पूर्व केन्द्रीय सरकार मंत्रणा परिषद् से परामर्श लेगी ।"

किन्तु वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री के कथनानुसार सरकार के समक्ष ऐसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं कि उन्हें शीघ्र कोई कार्यवाही करना पड़े । मैं इस तथ्य की सार्थकता स्वीकार करता हूं तथा मैं अपने संशोधन में एक अतिरिक्त संशोधन का सुझाव उपस्थित करता हूं :

> "इस शर्त पर कि किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निकाय की नियुक्ति के पूर्व, संकटकालीन परिस्थिति के अतिरिक्त . . ."

मेरा विश्वास है कि इस प्रस्तुत अवस्था में मंत्री महोदय की विचाराधारा पूर्णतया सन्निहित है । हम उन की यह बात स्वीकार करने को तैयार हैं कि अमुक स्थिति संकटमय थी अथवा नहीं उस का निर्णय भी सरकार करेगी । हम सरकार को उचित शक्ति से वंचित नहीं करना चाहते । उद्योग को माननीय मंत्री पर पूरा विश्वास है । किन्तु विश्वास से विश्वास उत्पन्न होता है । जनता को सदैव विपत्ति मे रख कर उस से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह सदैव आप पर विश्वास करती रहे । मंत्री महोदय को इस तरह व्यवहार करना चाहिये कि शक्ति से कटुता नहीं किन्तु मधुरता का सृजन हो । उन के कार्य काल की सफलता का मापदण्ड यह नहीं है कि उन्हों ने कितने नियंत्रण और प्रतिबन्ध लगाये किन्तु उस की आधार भूमि यह है कि उक्त अवधि में छोटे और बड़े कितने उद्योग धन्धों ने उन्नति की । मैं इसी आशा की कामना रखता हूं ।

मेरे मित्र श्री गुरुपादस्वामी इस तथ्य को भूल गये कि यह केवल संशोधन है मूल विधेयक नहीं । उन्हों ने बिटेन समवाय अधिनियम के विशेष उपबन्ध का उल्लेख किया कि जिन समवायों का संचलान उचित रीति से नहीं किया जा रहा है उन के अंशभागी न्यायालय की शरण ले सकते हैं । मेरा विचार है हमारे समवाय नियम में भी इस प्रकार का संशोधन आवश्यक है । इस विषय में डा० श्यामा प्रसाद भुखर्जी के सुझाव भी महत्वपूर्ण हैं । उन्हों ने अपने दीर्घ अनुभव और विस्तृत ज्ञान के आधार पर जो प्रस्ताव रखे हैं वे ध्यान देने योग्य हैं । कुछ दिनों पूर्व मैं ने "रीडर्स डाइजेस्ट" के एक लेख मे पढ़ा था कि इटली की समुन्नत आर्थिक व्यवस्था में वहां की औद्योगिक पुनर्निर्माण संस्था भारी रुकावट

[श्री बंसल]

पैदा कर रही है। यह देश के खोखले निजी उद्योगों के लिये एक तरह का संरक्षण स्थान है। मुझे विश्वास है कि हमारे वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री द्वारा प्रस्तावित निगम को निम्न स्तर वाले उद्योगों के लिये संरक्षण स्थान नहीं बनने देंगे। किसी भी कार्य के पूर्व मंत्री महोदय यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि क्या विदेशों में भी इस तरह के निगम हैं और यदि हैं तो उन्हों ने कितने अंशों तक सफलता प्राप्त की है। उन्हें मिथ्या प्रतिष्ठा का आवरण दूर कर देना चाहिये।

श्री गाडगिल (पूना—मध्य) : मैं उस प्रवर समिति का सभापति रहा हूं जिसे यह विधेयक सौंपा गया था। प्रवर समिति ने उद्योगों के प्रतिनिधियों को उपस्थित होने एवं साक्षी देने की अनुमति दी थी। भारतीय मेम्बर आफ़ कामर्स फेडरेशन ने भी समिति के समक्ष स्मृतिपत्र उपस्थित किया था। हम इस विचार की उपेक्षा नहीं कर सकते कि हम व्यवस्थित आर्थिक व्यवस्था के अधीन कार्य कर रहे हैं और इस व्यवस्था को भंग करने वाली प्रत्येक कार्यवाही का हमें अंत करना चाहिये। मैं नहीं कहता कि उक्त योजना अच्छी है अथवा बुरी किन्तु इस का यह अर्थ नहीं है कि निजी उद्योग भली भांति इस का संचालन कर सकते हैं। उद्योगों में हस्तक्षेप न करना अच्छा है किन्तु यदि हस्तक्षेप न करना श्रेयस्कर है तो हस्तक्षेप करने का सामर्थ्य भी उचित है। इसलिये सरकार के पास न केवल शक्ति किन्तु उद्योगों के गलत दिशा में जाने की अवस्था में उन्हें ठीक करने की क्षमता भी होनी चाहिये। अतः यदि अनुचित मनोवैज्ञानिक वातावरण उत्पन्न हो गया है तो संसद् के सामान्य सदस्य की स्थिति में मैं उन्हें आश्वासन दिला दूं कि गत ८ मार्च को प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये ;।रमामप्र भाषण का मनोवैज्ञानिक प्रभाव अभी धूमिल नहीं हुआ है। सरकार का अस्तित्व इसी तथ्य पर आधारित है कि यह सदैव जनता की मांग पूरी करती है। जिस दिन वह जनता की संभावना से दूर हो जायगी उस के नाम की सार्थकता का विलोप हो जायेगा। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि वह उद्योगपतियों के कथन की उपेक्षा न करे।

मैं माननीय मित्र श्री बंसल की उक्ति से सर्वथा सहमत हूं कि विश्वास से विश्वास उत्पन्न होता है। मेरी धारणा है कि प्रवर समिति ने जो भी संशोधन किये हैं वे सब उचित हैं और जनता के हित में हैं। हमें ऐसी अवस्था उत्पन्न नहीं होने देना चाहिय जो राज्य द्वारा उद्योगों को लेने में अवरोध खड़ा करे। अन्त में हमारा उद्देश्य राष्ट्रीयकरण है। रूढ़िवादी कुटुम्ब द्वारा किसी सन्तान को गोद लेते समय उसे वैसी ही शिक्षा-दीक्षा दी जाती है। किसी राजकन्या को वधू रूप में स्वीकार करने का निश्चय करते समय राजपुत्री को इस प्रकार शिक्षण प्रदान किया जाता है जो उसे वर परिवार के योग्य बना सके। इसी तरह जिन उद्योगों को हम आज प्रोत्साहन दे रहे हैं वह इस प्रकार होना चाहिये कि उचित समय आने पर राज्य उन्हें अपने हाथ में ले सके। मैं उन समाचारों से अवगत हूं जिन के अनुसार सरकार की आलोचना की जा रही है। कदाचित यह इसलिये है कि हम मिश्रित अर्थ-व्यवस्था की स्थिति में हैं। भारतीय पूंजी लगाने वालों को आश्वासन देना कठिन है और विदेशी पूंजी लगाने वालों के लिये और भी कठिन है। किन्तु हमें स्थिति पूर्णतया स्पष्ट कर देनी चाहिये ता कि पूंजी लगाने वाले व्यक्ति इस बात से परिचित हो जायं कि उन की क्या स्थिति है।

नियंत्रण समाप्त करने का अभी कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि व्यवस्थित अर्थ-व्यवस्था

में नियंत्रण का प्रमुख स्थान है। जो व्यक्ति कीमत और वितरण नियंत्रण के विरुद्ध हैं वे वस्तुतः योजना के विरुद्ध हैं। श्री सोमानी ने भी इन सिद्धान्तों से अपनी सहमति प्रकट की है।

उद्योगपति इस बात की शिकायत करते रहे हैं कि देश में वाञ्छनीय मात्रा में पूंजी उपलब्ध नहीं है। यदि उद्योगपति आगामी पांच वर्षों तक लाभांश लेना बन्द कर दें तो देश में यथेष्ट पूंजी हो सकती है। यदि जनता त्याग करने को प्रस्तुत है तो भविष्य उज्जवल बन सकता है। अपने सम्पूर्ण अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि हम अपने ही उद्योगों से पूंजी की वृद्धि कर सकते हैं और अन्त में जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सफल हो सकते हैं। यदि उद्योगपति सुन्दर मनोवैज्ञानिक वातावरण उत्पन्न करने को उत्सुक हैं तो सरकार उन्हें सामग्री, साधन अभिज्ञप्ति, निर्देश, टेकनीकल सहायता आदि पूर्ण सहयोग प्रदान करने के लिये तत्पर है। यदि आप पांच वर्षों के लिये यह घोषणा करने को तैयार हैं, "हम लाभ विभाग नहीं लेंगे और उसे पुनः उद्योग में ही लगा देंगे" तो सरकार पूरी सहायता करने के लिये उद्यत है।

श्री बंसल : पर किस लिये है ?

श्री गाडगिल : कर चालू खर्च के लिये है। किन्तु फिर भी मैं इतना कह दूं कि इस देश के उद्योग एवं धनी वर्ग पर इतने कर नहीं हैं जितने की उन परिस्थितियों में आवश्यक हैं।

यदि जांच के पश्चात यह मालूम हुआ कि उद्योग की अवस्था चिन्तनीय है और उद्योग के रूप में भौतिक तथा जनमत की दृष्टि से दुरुपयोग हो रहा है तो सरकार उसे अपने नियंत्रण में ले लेगी। देश-हित की दृष्टि से यह अत्यन्त आवश्यक है। सरकार को शीघ्र ही प्रशिक्षित कर्मचारियों की एक पद-श्रेणी स्थापित करनी चाहिये ताकि अवसर आने पर वह व्यवस्था संभाल सके।

श्री दामोदर मेनन (कोझिकोडे) : जिन उद्योगों का कुप्रबन्ध है, उन के प्रबन्ध के लिये सरकार उन उद्योगों को हाथ में ले, मैं इस के पक्ष में हूं और इस विधेयक के सम्बन्ध में मंत्री महोदय से सहमत हूं।

हमारे देश में मिश्रित अर्थ व्यवस्था है। गैर सरकारी भाग भी है। हमारे उद्योग के गैरसरकारी भाग को सरकारी बनाने के लिये आवश्यक संगठन और उपयुक्त मनोवैज्ञानिक वातावरण की आवश्यकता है, कि उपयुक्त समय पर हम गैरसरकारी भाग को ले सकें।

गैर सरकारी उद्योग के राष्ट्रीकरण करते समय बड़े बड़े उद्योग पति अवश्य ही इस का विरोध करेंगे कि सरकार द्वारा इन उद्योगों का सुप्रबन्ध नहीं हो सकेगा। अतः जब हमें उद्योग का राष्ट्रीकरण करना पड़ेगा, तो भविष्य के लिये हमारे पास योग्य और कार्यकुशल कार्यकर्त्ता होने चाहियें, तथा श्रमिक वर्ग के लाभों को भी सामने रखना होगा।

एक सुझाव रखा गया है कि देश के हित में उद्योग प्रबन्ध-निगम तथा उद्योग वित्त-निगम बनाये जायें। परन्तु उन में फिर से गैर-सरकारी प्रभाव रहेगा, और राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। अतः ऐसे व्यक्ति प्रशिक्षित किये जायें, जो समय आने पर इन उद्योगों का ठीक से प्रबन्ध कर सकें। तथा यह भी निश्चित होना आवश्यक है कि सरकारी प्रबन्ध के पांच वर्ष बाद ये उद्योग किसी गैर सरकारी संस्था के हाथ में आने पावें।

यदि सरकार इन उद्योगों को गैर सरकार हाथों में सौंपना चाहती है, तो यह ध्यान

[श्री द.मोदर मनन]

अवश्य रखना चाहिये कि उद्योगों का प्रबन्ध उन्हीं लोगों के हाथों में नहीं जाना चाहिये, जो इन के कुप्रबन्ध के लिये उत्तरदायी हैं और जिन्हों ने राष्ट्र-हित का विचार नहीं किया है। ऐसा करने के लिये सरकार को धन और योग्य व्यक्ति चाहियें। सरकार योग्य व्यक्तियों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध करे, परन्तु उन लोगों के हाथों में उद्योगों का प्रबन्ध आना नहीं चाहिये, जो इस के कुप्रबन्ध के लिये उत्तरदायी हैं।

दूसरी बात यह है कि जो लोग कुप्रबन्ध के लिये उत्तरदायी हैं, उन के विरुद्ध न्यायालय में न्यायिक कार्यवाही की जाये। क्या विभाग १८ क में हम इस बात का उपबन्ध नहीं कर सकते कि कुप्रबन्ध करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भी न्यायिक कार्यवाही की जाये।

प्रबन्धक एजेंसी पद्धति का मामला भी पेचीदा है। माननीय मंत्री ने कहा कि उद्योग को स्वयं ही प्रबन्ध करने के लिये उपयुक्त व्यक्ति चुन लेने चाहियें। परन्तु सरकार इसे दूसरे दृष्टिकोण से देखे, तो आज लोकमत इस पद्धति के विरुद्ध दिखाई पड़ता है। लोकमत जनता के नेता और सब लोग इस पद्धति को समाप्त कर देना चाहते हैं यदि सरकार इसी पद्धती को घपनाना चाहती है तो वे ऐसे व्यक्तियों को काम करने के लिये प्रशिक्षित करे, जो सेवा भावना और देशहित को प्रमुखता दें, तथा समय आने पर इन उद्योगों के प्रबन्ध को भी चलाने में सहायक तथा समर्थ हो सकें। यदि ऐसा उपबन्ध किया जाय, तो मेरा विचार है कि यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो सकता है, कारण देश की व्यवस्थापित अर्थ-नीति का स्वागत करने को सभी उद्यत हैं ; सरकार राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करने के लिये गैरसरकारी हितों की नहीं, गैर सरकारी उद्योगों पर अधिक नियंत्रण करने का विचार करे, तो सभी इस का स्वागत करेंगे।

श्री टी० एन० सिंह (बनारस जिला पूर्व) : मैं दोनों ओर के भाषणों को सुन कर हैरान था। कुछ कहते हैं कि उद्योगों को ले लेना चाहिये, कुछ कहते हैं नहीं, हमें नर्मी बरतनी चाहियें : मेरा कहना है कि पंचवर्षीय योजना की सफलता देश के लिये परम आवश्यक है। इस की पूर्ति के लिये जो भी उद्योग रुकावट बन कर सामने आवे उसे ले लेना चाहिये। यह विवाद कि इसे पूछना चाहिये, उसे पूछना चाहिये, ये उचित बातें नहीं हैं। पंचवर्षीय योजना के मार्ग में से निकाल कर उद्योग को ले लेना देश की भलाई के लिये आवश्यक है।

३०-४० वर्ष पहले के इतिहास पर दृष्टिपात करें, और देखें कि स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार के लिये हमारे नेता और देशभक्त जेलों में गये। अब वही कारखाने बड़े हो चुके हैं। और कहते हैं कि हमारे साथ नर्मी की जाये। मुझे यह बात अखरती है। उन्हें राष्ट्र-हितों के लिये झुकना चाहिये, न कि राष्ट्र-हितों का बलिदान उन के लिये किया जाये। यह महत्वपूर्ण बात है।

दूसरी बात यह कि इन उद्योगों को वर्षों से सुरक्षण प्रदान किया गया है। और अब वे कहते हैं कि हमारे साथ नर्मी करो। उपभोक्ताओं की अवस्था का भी तो विचार करो। एक स्कूल अध्यापक तेल को तथा अनेक आवश्यक वस्तुओं को छोड़ कर देशी वस्तु को खरीदता है कुछ अधिक मूल्य दे कर। उपभोक्ताओं को कुछ अधिक देना पड़ता है। राष्ट्र-हित के लिये उत्पादन के नियन्त्रण के लिए सरकार को चाहिये कि किसी विशिष्ट उद्योग को राष्ट्रीय-हितों के मार्ग में बाधा बन कर खड़ी रहने की आज्ञा न दे।

तो ये उद्योगपति चाहते हैं कि उन के व्यापार में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाये, होड़ लगे और वे मनमाने लाभ लाभ परन्तु उपभोक्ताओं को इस से अधिक मूल्य देना पड़ता है । देश इस बात को कभी भी सहन नहीं कर सकता, और न ही करेगा ।

और अन्ततः यह विधेयक यही तो चाहता है कि जो उद्योग उचित उत्पादन करने में असमर्थ हैं अथवा जिनका प्रबन्ध ठीक नहीं है, तो सरकार को यह अधिकार है कि वे इस में हस्तक्षेप करे और देखे कि प्रबन्ध ठीक होता है, और उत्पादन भी जितना होना चाहिये, उतना होता है ।

मेरा विश्वास है कि विरोधी दल के मित्र भी इसी दृष्टिकोण से इस पर विचार करेंगे । और मेरा ऐसा विचार नहीं है कि हमारे विरोधी दल के मित्र विदेशी उद्योगों के शीघ्र राष्ट्रीयकरण की राय देंगे । आखिर कुछ सीमायें भी होती हैं ।

श्री नम्बियार (मयूरम) : हम इस समय केवल विदेशी फर्मों की बाबत सोच रहे हैं ।

श्री एन० एन० सिंह : मैं उसी को लेता हूं । यदि कोई व्यक्ति धन इकट्ठा कर के अपने उद्योगों को बढ़ा कर दूसरे निर्धन उद्योग के मुकाबिले खड़ा होता है, तो इसे होड़ कहा जाता है । मैं नहीं समझता कि यह कहना कहां तक ठीक है कि यदि मासको से धन अथवा शिल्पिक आते हैं, तो यह ठीक है, और यदि दूसरे देश का धन लगता है, तो वह कोई और बात है

कुमारी एनी मस्करीन (त्रिवेंदरम्) : सब गलत ।

श्री टी० एन० सिंह: मैं ने पहले बतलाया कि हमारे उद्योगपति राष्ट्रीय हितों की चिन्ता न कर के राष्ट्रीय धन को अपने पास एकत्रित किये बैठे हैं, और वे उद्योग की उन्नति के लिये धन नहीं लगाते । कई विदेशी भी विदेशी धन को हमारे नियमों और अधिनियमों के आधीन धन लगाने के लिये उद्यत हैं, तो हमें उन के धन का उपयोग उद्योग-विकास के लिये अवश्य कर लेना चाहिये ।

श्री टी० के० चौधरी (बरहामपुर) : कांग्रेस के कराची संकल्प की दृष्टि से प्रमुख उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में माननीय सदस्य क्या कहते हैं ?

श्री टी० एन० सिंह : हमारे सामने हमारा ध्येय स्पष्ट होना चाहिये और हमें आपस में अन्तर व वैमनस्य नहीं बढ़ाना चाहिये । हमें स्वराज मिला है अतः हमें अपने ध्येय को सामने रख कर इसे प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये । । यह विधेयक एक विशेष उद्देश्य को लिये हुए है, अतः हम इस का स्वागत करते हैं । हस्तक्षेप न करने की नीति को इस में नहीं लाना चाहिये । सब उद्योगों के ऊपर नियंत्रण लाना यह विधेयक का उद्देश्य है, अतः हमें विधेयक के विभिन्न विभागों में न जाते हुए, इस की भावना का विचार करते हुए इस विधेयक का अनुसरण करना चाहिये, यही मेरा पुनरावेदन है ।

श्री सारंगधर दास (ढेनकनाल-पश्चिम कटक) : जिस प्रकार से यह विधेयक रखा हुआ है, मैं इस का स्वागत करता हूं । सरकार का ध्यान चीनी उद्योग की ओर नहीं दिलाया गया । अपने देश में लगभग १५ लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है, परन्तु सारी चीनी का उपभोग होना असंभव दिखाई पड़ता है । इस का कारण है कि दुनिया के बाजार भाव से इस का भाव १० रुपये प्रति मन अधिक है । दूसरे चीनी उद्योग का विकास वैज्ञानिक ढंग से नहीं हुआ है । २० वर्षों में सुरक्षण नीति से इस का उत्पादन उपभोग से अधिक हुआ है । परन्तु यही काफी नहीं है । गन्ने से चीनी बनाई जाती है, और गन्ना प्रत्येक

[श्री सारंगधर दास]

जलवायु में नहीं, अपितु उष्ण कटिबन्ध के जलवायु में ही अधिक मात्रा में होता है।

मद्रास राज्य में मैं मैसूर को भी शामिल करता हूं। यह अयनवृत सम्बन्धी भाग है जहां गन्ने का उत्पादन होना चाहिये। किन्तु सन् १९३१-३२ में यहां के धनिक बिहार और उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ गये जहां उन्हें सहस्रों एकड़ भूमि गन्ना उत्पादन करने वाली मिल गई और वहां उन्हों ने अपनी मिल लगा कर चीनी उत्पादन कार्य करना आरम्भ कर दिया। किन्तु आज हम देखते हैं कि इन दोनों प्रान्तों में गन्ने का उत्पादन औसतन १५ टन प्रति एकड़ से अधिक नहीं है। जब कि मद्रास, मैसूर और महाराष्ट्र में ४० से ५० टन प्रति एकड़ है।

२२ बजे मध्यान्ह

अतएव उत्तर प्रदेश व बिहार में चीनी उत्पादन के लिये जितनी भूमि का उपयोग हम वहां कर रहे हैं उस की एक तिहाई भूमि में उतनी ही चीनी, मद्रास, मैसूर तथा महाराष्ट्र में कर सकते हैं। आज कल लगभग ८,००,००० भूमि को चीनी उत्पादन के लिये काम में लिया जाता है किन्तु यदि अयनवृत सम्बन्धी भूमि में गन्ना पैदा करना प्रारम्भ किया जाये तो केवल २,६७,००० एकड़ भूमि ही पर्याप्त होगी, अतएव लगभग ५,३०,००० एकड़ भूमि का दुरुपयोग हो रहा है जिस पर आसानी से खाद्यान्न का उत्पादन किया जा सकता है। जब तक यह नहीं किया जायगा और जब तक चीनी पर उच्च शुल्क रहेगा तब तक भारत-वासियों को अपनी आवश्यकतानुसार चीनी मंगाने के लिये करोड़ों रुपया देना होगा। या यह करोड़ों रुपया तब बच सकता है जब कि चीनी को बाहर से मंगाने की आज्ञा पर से प्रतिबन्ध हटा लिया जाय। हम तो आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। मेरा कहने का तो तात्पर्य यह है कि यह उद्योग ऐसे क्षेत्र में हैं जो गन्ना उत्पादन के लिये उचित नहीं हैं। अतएव इस वर्तमान अधिनियम के अनुसार सरकार का यह कर्त्तव्य है कि इस की जांच करे और इस उद्योग को वहां जारी करे जहां के लिये यह उचित है ताकि वहां भूमि से अधिक से अधिक गन्ना उत्पादित किया जा सके। मेरा विचार है कि उत्तर भारत में गन्ना उत्पादन में कोई अधिक वृद्धि नहीं हो सकती जैसा कि पिछले १५ वर्षों के खोज कार्य से यह स्पष्ट हो गया है कि १० टन की अपेक्षा कुल बढ़ कर १५ टन हुई है।

श्री सारंगधर दास: उड़ीसा अयनवृत सम्बन्धी भाग में है। बंगाल और उड़ीसा में हमें प्रयत्न करना होगा। मुझे ज्ञात है कि बंगाल के मुर्शिदाबाद भाग में जहां गन्ना उत्पादन का कार्य होता है वहां गन्ने का उत्पादन प्रति एकड़ उत्तर प्रदेश तथा बिहार की अपेक्षा काफी अच्छा है और यही बात उड़ीसा के बारे में भी है। विभिन्न राज्यों की बात नहीं है। तथ्य तो यह है कि उत्तर भारत का जलवायु गन्ना उत्पादन के लिये प्रतिकूल है। वर्षा के बाद ही ठंडी वायु चलने लगती है अतएव गन्ना उतना और आसानी से नहीं बढ़ सकता जितना कि अयनवृत सम्बन्धी भाग में बढ़ेगा। उत्तर भारत में ईख पेरने का काम वर्ष में १०० से ११५ दिन तक चलता है जब कि महाराष्ट्र, मैसूर और मद्रास आदि में १५० से १८० दिन तक वर्ष में चलता रहता है। अतएव बचत के विचार से आप को देखना होगा तथा यह निश्चित करना होगा कि किस चीज की पैदावार के लिये कौन सी भूमि उचित रहेगी ताकि वहां इस का उत्पादन किया जा सके। यदि उस फसल के लिये बहुत सी भूमि प्रयोग में आ रही है और उस भूमि का प्रयोग दूसरी फसलों के लिये यदि हो

सकता है तो शीघ्रातिशीघ्र इस का प्रयोग करना चाहिये। अतएव मैं कहता हूं कि इस वर्तमान अधिनियम में, जैसा कि मैं देखता हूं कि सूची में चीनी सम्मिलित है, उस को वह स्थान नहीं दिया गया जो कि देना चाहिये। यदि चीनी उद्योग उत्तर भारत में रहता है तो मैं कहता हूं कि इस पर जो उच्च राजस्व शुल्क लगाया हुआ है उसे समाप्त कर देना चाहिये तथा चीनी को सभी जगह खुला कर देना चाहिये अर्थात् उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि इन उद्योग संस्थानों पर से यह राजस्व शुल्क उठा लिया गया तो यह निश्चित है कि उत्तर भारत के ये १५० उद्योग संस्थान बैठ जायेंगे। वे अधिक दिन तक चल नहीं सकेंगे। इस उद्योग में कुछ और भी कमियां हैं जो अभी तक दूर नहीं हो सकी हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि चीनी उद्योग व्यापारी पहले मशीन से चीनी बनाने की कार्य प्रणाली को अच्छी तरह नहीं जानते थे किन्तु अब उन्हों ने इस बात में जानकारी प्राप्त कर ली है और इस के बनाने में काफी उन्नति कर ली है, और जितना अधिक से अधिक वह इस में कर सकते हैं उतना उन्हों ने किया है। अतएव सम्बन्धित माननीय मंत्री से नम्र निवेदन है कि वह इस सम्बन्ध में खोज करें।

सेठ अचल सिंह (आगरा जिला—पश्चिम): यह बिल जो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर महोदय ने पेश किया है वह देश के वास्ते बहुत आवश्यक है। देश की खुशहाली, खासकर भारत जैसे देश की, इन्डस्ट्रीज़ पर ही मुन्हसिर है। हालांकि हमारा देश भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन कृषि के अलावा खुशहाली के वास्ते इन्डस्ट्रीज की भी बहुत आवश्यकता है।

यह जो बिल पेश किया गया है उस में इन्डस्ट्रीज के ऊपर जो बन्दिशें या कंट्रोल लगाये गये हैं वह ज्यादा अच्छे नहीं मालूम पड़ते। क्यों कि यह ठीक है कि जो प्राइवेट इन्डस्ट्रीज वाले हैं वह बहुत ही गड़बड़ करते हैं और बहुत नामुनासिब तरीके पर इन्डस्ट्रीज को चलाते हैं और गवर्नमेंट का इंटरफिअरेंस भी ज़रूरी है, लेकिन इस की भी एक हद होनी चाहिये। इस वक्त तो स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस गवर्नमेंट है, और कांग्रेस के ही मिनिस्टर हैं। वह लोग कहीं पर अनुचित हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन हो सकता है कि कभी कोई दूसरी गवर्नमेंट हो और वह इस अधिकार का दुरुपयोग करे। ऐसी सूरत में आज जो इन्डस्ट्रीज हैं उन में ज्यादा दखल नहीं दिया जाना चाहिये। लेकिन साथ ही साथ यह ज़रूर देखना चाहिये कि जो माल इन्डस्ट्रीज वाले बनाते हैं या तैयार करते हैं वह स्टैंडर्ड की माफिक तैयार करते हैं या नहीं। अगर कोई फैक्टरी आर्डर दिये हुए स्टैंडर्ड के खिलाफ काम करती है या घटिया माल तैयार करती है तो उस में जरूर इन्टर्फिअरेंस होना चाहिये।

इसलिये मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस का ठीक उपयोग करेंगे।

प्रो० डी० सी० शर्मा (होशियारपुर): मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि मेरे विचार में यह विधेयक साधारण रूप से समस्त देश को बड़ा उपयोगी एवं लाभदायक होगा। कुछ मित्रों का विचार है कि राज्यों द्वारा उद्योगों का संचालन होना चाहिये तथा कुछ का विचार है कि निजी उद्योग होने चाहियें। मेरे विचार से यह मिश्रित अर्थ व्यवस्था उचित नहीं है। मेरे विचार में हमारी अर्थ व्यवस्था बड़ी स्पष्ट एवं कल्याणकारी होनी चाहिये। यह दुर्भाग्य की बात है कि हम आज ऐसे संसार में रह रहे हैं जो कि विभिन्न वादों से प्रभावित है। हमारी अर्थ व्यवस्था तो सदैव से ऐसी रही है जिस में किसी प्रकार के वाद नहीं

[प्रो० डी० सी० शर्मा]

रहे, तथा जिस का उद्देश्य राष्ट्र का अधिकतम कल्याण एवं भलाई, उपभोक्ताओं की अत्याधिक भलाई तथा साधनों का अधिक से अधिक विकास तथा जन शक्ति को उन्नतिशील बनाना है। सदैव यही इच्छा रही है कि सर्व प्रकार से देश की भलाई हो। मेरे एक मित्र ने अभी कहा है कि इस विधेयक का उद्देश्य बहुत ही साधारण सा है। इस का उद्देश्य यह है कि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हमारी उत्पादन शक्ति घटनी नहीं चाहिये तथा हमारी उत्पादन शक्ति में कोई कमी न आवे। मैं तो यह कहूंगा कि इस विधेयक का उद्देश्य उत्पादन शक्ति में बढ़ते हुए घटाव पर विजय प्राप्त करना है, यही इस विधेयक का एक सजीव उद्देश्य है। मेरा तो यही कहना है कि जहां यह विधेयक उत्पादन की कमी पर विजय प्राप्त करने के लिये हैं वहां इसे अन्य सशयों पर भी जिन का यहां सदन में उल्लेख किया गया है, विजय पानी चाहिये।

उन में पहिला संदेह तो अधिकारी-राज्या का है। जो कि कहीं बहुत सी वस्तुओं के उत्पादन में रोड़ा अटकाती है। कुछ सदस्यों ने नियंत्रणों की कठोरता की ओर ध्यान आकर्षित किया है। मेरे विचार से यह संशय किसी-न-किसी प्रकार से अलग कर देना चाहिये। और यह इस प्रकार किया जा सकता है कि औद्योगिक विकास पर सरकार का जो नियंत्रण है वह ढ़ीला कर दिया जाय।

दूसरा संदेह निहित स्वार्थ का है। इस के पीछे थोड़ा मनोवैज्ञानिक आधार भी है। उद्योगपतियों की ऐसी धारणा बन गई है कि जो कुछ भी परिवर्तन किये जाते हैं उन से बुरा ही होता है। उन को ऐसा आश्वासन देना चाहिये कि यदि उन का कार्य राष्ट्र के हित के लिये है तो उन के कार्य में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं डाली जायेगी।

विदेशी पूंजी के बारे में संदेह है। विदेशी पूंजी भारत में किसी कूट नीति को लेकर ही आ रही है। मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि विदेशी पूंजी नहीं आनी चाहिये। किन्तु इतना सत्य है कि लोगों की ऐसी धारणा है कि उन का अभिप्राय भारत में विदेशी उद्योग स्थापित करने का है। वे यहां काम करने के लिये अपनी मशीन लाना चाहते हैं। मेरा अभिप्राय तो यह है कि हमारी आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार की हो कि वह विदेशी पूंजी अथवा मशीनों पर निर्भर न हो। शीघ्र से शीघ्र इस क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर हो जायें।

यह भी कहा गया है कि कुछ संस्थाओं को चलाने में सरकार असमर्थ रही है और यह संदेह समस्त देश में व्याप्त है। साधारण मनुष्यों में इसकी चर्चा है। सरकार ने जिस किसी भी उद्योग संस्थान को लिया तो एक दम से उन की यह विचारधारा बन जाती है कि यह संस्थान लाभ में नहीं चलेगा। इस का एक उपाय है कि इन संस्थानों को चलाने के लिये कुछ व्यक्तियों को प्रबन्ध करने सम्बन्धी प्रशिक्षा देनी चाहिये। जो कि आसानी से इन संस्थानों को चला सके।

अभी तक यह विधेयक कार्य में नहीं आया है। यदि एक संशोधित विधेयक पहले विधेयक की भांति अक्रियाशील तथा कार्यान्वित नहीं किया जा स के तो उस का क्या लाभ। अतएव मैं कहता हूं कि इस विधेयक के उपबन्धों को शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित किया जाये और हम कोउद्योगों के विकास तथा निवनियमन को देखना चाहिये। अन्यथा विधेयक पास करने से कोई लाभ नहीं।

मैं कह सकता हूं कि यह विधेयक सारे देश का कल्याण करेगा। यदि उद्योग विकास तथा निवनियमन अधिनियम के सिद्धान्त एवं उद्देश्य पंजाब में लागू नहीं किये गये

तो वह इतनी उन्नति नहीं कर सकेगा जितनी कि उसे करनी चाहिये। पंजाब को वृद्धि एवं विकास के लिये कुछ नगरों में हम उद्योग संस्थानों की सहायता करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस विधेयक का ऐसा भी विचार है। मुझे कहना चाहिये कि उद्योगों की स्थापना के लिये बहुत कुछ किया जा चुका है। पंजाब में चीनी की दो मिलें थीं। वास्तव में देखा जाये तो वहां इन की आवश्यकता नहीं है, अतएव उन में से एक तो बंद हो गई।

मैं दो सुझाव रखना चाहता हूं। हम केन्द्रीय मंत्रणा परिषद् की स्थापना करने जा रहे हैं। इस प्रकार की परिषदों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिये। मैं ने प्रायः देखा है कि इन केन्द्रीय मंत्रणा परिषदों तथा विकास परिषदों में, विधान कुछ ऐसा है कि उन व्यक्तियों को जो इस विषय में पारंगत हैं उन को कोई स्थान नहीं मिलता। मेरे विचार से ऐसे व्यक्तियों को इन परिषदों में स्थान मिलना चाहिये। क्योंकि ये पढ़े-लिखे व्यक्ति जांच एवं खोज तथा समस्याओं के समाधान करने के लिये उचित व्यक्ति हैं। ये लोग उद्योगों एवं समस्याओं का सच्चा निरूपण कर सकते हैं।

श्री जोशिम अलवा (कनारा) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मेरे विचार से यह निश्चय है कि यह विधेयक हमारे देश को समृद्ध बनाने में बड़ी सहायता करेगा। देश का कल्याण तभी हो सकता है जब कि बड़े बड़े उद्योग राज्यों द्वारा नियंत्रित होते हैं। सरकार को इन उद्योगों का नियंत्रण कर के चोर बाजारी करने वालों के प्रभाव को मूल रूप से समाप्त कर देना चाहिये।

भारत में लगभग १५० जूट मिल तथा ४०० कपड़ा मिल हैं; ये उद्योग संस्थानों के राजा हैं। केवल इन मिलों तथा उद्योगों पर नियंत्रण करने से ही काम नहीं चलेगा अपितु इन का प्रबन्ध करने के लिये अपने अधिकारियों को भी भेजना होगा। वे निपुण चतुर एवं कार्यदक्ष होने चाहियें। जब कभी इन अधिकारियों के विरुद्ध कोई बात गड़बड़ की सुनी जाय तभी सरकार को चाहिये कि वह उनको प्रलग कर दे क्योंकि इस प्रकार के व्यक्ति राष्ट्र के हित में बड़ी हानि पहुंचाते हैं।

ऐसे उद्योग संस्थानों को जहां रुपये का प्रयोग बुरी तरह तथा बेइमानी के साथ हो रहा है सरकार को एकदम अपने हाथ में ले लेने चाहियें। उन के धन को जो बैंक में जमा है, हड़प लेना चाहिये। अतएव माननीय मंत्री को चाहिये कि वह यह देखें कि उन के विभाग के कर्मचारी समयानुसार कार्य करते हैं अथवा नहीं।

जैसा कि मैं ने कहा है कि बम्बई में दो कपड़ा मिलों को केन्द्रीय लेखा परीक्षक ने अपने अधिकार में कर लिया क्योंकि उन्हों ने "टाइम्स आफ इंडिया" समाचार पत्र को खरीदने के लिये अपने लेखाओं में गड़बड़ी की थी। सरकार को इस प्रकार की बातों पर जहां उद्योगी संस्थाओं के धन को गैर-उद्योगी कामों में खर्च किया जाता है, कड़ी निगाह रखनी होगी।

मुझे सूची में एक विरोधात्मक बात मिली है और वह है साबुन। मैं समझ नहीं सका कि वाणिज्य मंत्री ने इसे यहां क्यों रखा है। हमारे यहां 'लीवर ब्रादर्स' तथा 'टाटा' के दो बड़े बड़े उद्योग साबुन के हैं।

आज भारत में साबुन तथा सिगरेट उद्योगों में बड़ी प्रतिद्वंद्विता चल रही है। इम्पीरियल टोबैको कम्पनी भारत के अन्तिम उपक्रम, चार मीनार सिगरेट निर्माण शाला को

[श्री जोशिम अलवा]

भी खरीदने का प्रयत्न कर रही है ताकि उनका इस सम्पूर्ण व्यापार पर एकाधिकार हो जाय।

वाणिज्य मंत्री का यह कर्तव्य है कि वह विदेशी फर्मों का आधिपत्य न होने दें और उन भारतीय फर्मों को जो किसी प्रकार अपना कार्य चला रही हैं, चलते रहने में सहायता करें। कुछ विदेशी फर्में ऐसी भी हैं जिन का पाकिस्तान से समझौता है और वे भारत का धन खींचने में सहायता करती हैं। अतः हमें इन कार्यवाहियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है जिस से कि आगामी दस वर्षों में हम अपने पैरों पर खड़े होने योग्य बन सकें। हमें उद्योग की सभी दिशाओं में उन्नति करने की आवश्यकता है। जैसे भारत में पैट्रोल तथा स्पात का उत्पादन अत्यधिक कम है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम स्पात का उत्पादन बढ़ायें जिस से मोटरों, जहाजों तथा अन्य उद्योगों का विकास कर सकें इस के लिये हम जापानी या जर्मनी टेक्नीशियनों की सहायता ले सकते हैं। स्पात उद्योग में उन्नति की अत्यन्त आवश्यकता है जब तक ऐसा न होगा तब तक हमारा भविष्य उज्ज्वल नहीं बन सकता। आज हम इस सम्बन्ध में एक कमजोर राष्ट्र समझे जाते हैं। अतः यदि हम संसार के बाज़ारों में अपना माल नहीं भेज सकेंगे तो हम यों ही पिछड़े रह जायेंगे जब कि अन्य राष्ट्र कितने आगे बढ़ते चले जा रहे हैं।

अब मैं पैट्रोल पर आता हूं। अमरीका तथा अन्य पश्चिमी राष्ट्र पेट्रोल की गैस से गन्धक बनाना चाहते हैं। हम भी अपने देश में यह कार्य क्यों न प्रारम्भ कर दें। पेट्रोलियम रिफाइनरी कम्पनी हमारे साथ समझौता करने को तैयार है। भारत में गंधक भी काफी होती है। सरकार ने इस का कोई उपयोग नहीं किया है। आज पेट्रोल कम्पनियां बन गई हैं। अतः हम भी और अधिक गंधक बना सकते हैं, जो युद्ध के लिये आवश्यक पदार्थ है।

मैं यह भी नहीं चाहता कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ऐसी नीति का अनुसरण करें कि जिस से खराब कम्पनियों को प्रोत्साहन मिले अथवा देश में चोर बाजारी तथा भ्रष्टाचार फैले। हमें यह भी देखना है कि देश का अधिक से अधिक हित हो। भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल का ध्येय केवल पैसा कमाना ही न होना चाहिये वरन् देश की गरीब जनता की सच्चे अर्थ में सेवा करना होना चाहिये। हमें उद्योगों की सतत उन्नति के ही विषय में सोचना है और उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना है चाहे कोई भी उद्योगों के अधिकारी हों।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : अपने इस प्रस्ताव पर होने वाले विभिन्न भाषणों को मैं ने सुना। मैं समझता हूं कि दो माननीय सदस्य जो मुझ से पहले बोले थे, श्री वी० बी० गांधी, तथा मेरी दाहिनी ओर के माननीय मित्र श्री गाडगिल ने सदन में उठाई गई लगभग सभी बातों पर विचार किया है और उन बातों पर भी विचार किया है जो संशोधन के रूप में रखी जाने वाली हैं। मैं इन दोनों महानुभावों को अपना बोझ हल्का कर देने के लिये अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं।

मेरे माननीय मित्र श्री सोधिया जिन्हों ने विवाद प्रारम्भ किया है कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी है। वह स्पष्ट रूप से किसी भी नियन्त्रण या निगम का तरीका पसन्द नहीं करते हैं। यदि उन का यह दृष्टिकोण है, तो मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि मैं किसी प्रकार भी उन को स्थान देने में समर्थ नहीं हूं। कुछ भी हो, जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है और भी हम एक योजना में विश्वास करते हैं। मैं अनुभव करता हूं कि इस देश में बिना विनियोजित अर्थ-व्यवस्था के उन्नति होना सम्भव नहीं। सरकार के द्वारा सभी

उत्पत्ति के साधनों का नियन्त्रण किये बिना कोई भी योजना या विनियोजित अर्थ-व्यवस्था नहीं चल सकती। यह हो सकता है कि हम उत्पत्ति के सभी साधनों पर अधिकार न करना चाहते हों। किन्तु निश्चय ही हम उत्पत्ति के साधनों के नियंत्रण की आवश्यकता के लिये किसी के सम्मुख झुकना नहीं चाहते, चाहे वे मुख्य उत्पादक हों, चाहे निर्माता हों और चाहे ये वे लोग हों जो निर्मित वस्तुओं को बेचने वाले होते हैं या जो जनता के उपभोग के लिये वस्तुएं निर्माण करने वाले। मैं समझता हूं कि सरकार का दृष्टिकोण वही है, जिस को लगभग सभी लोग भली भांति जानते हैं। यदि माननीय सदस्य इसे पसन्द नहीं करते या जो उस से परिणाम निकलता है उसे पसन्द नहीं करते, जैसे नियन्त्रण के वे तरीके जो सरकार काम में लाती है तो हम केवल यही कह सकते हैं कि माननीय सदस्य कुछ समय से पीछे हैं।

श्री बसु ने लगभग उसी बात को बार-बार दुहराया है जो उन्हों ने अपनी मत-विभिन्नता के सम्बन्ध में कहा है, जिस पर मैं आरम्भ में ही कह चुका हूं। मुझे इस में सन्देह नहीं कि उन्हें संशोधन रखते समय बोलने का दूसरा अवसर मिलेगा जो उन्हों ने बना लिया है या बनाने का विचार कर रहे हैं। जैसा कि मैं ने बताया, हम उन से किसी निश्चित सीमा तक सहमत हो सकते हैं किन्तु पूर्ण रूप से नहीं। मैं ने अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है, अर्थात् सरकार की स्थिति---कि इस विशेष उपाय द्वारा हम उत्पत्ति के सभी साधनों का नियन्त्रण करना चाहते हैं। हम उन का राष्ट्रीयकरण करना नहीं चाहते। किसी उद्योग को लेने का विचार, जैसा कि मेरी दाहिनी ओर के माननीय सदस्य ने संकेत किया है वह है कि यदि लोक हित की दृष्टि से किसी उद्योग को ले लेना आवश्यक हो जाता है जिस में कुप्रबन्ध है, तो हम ऐसा कर लेंगे। सदन को मैं जिस बात से प्रभावित करना चाहता हूं वह है कि यदि जन हित की दृष्टि से तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक है, तो हम किन्हीं भी उपबन्धों से अपने को बंधा नहीं पायेंगे जिस में पूर्व विमर्श की आवश्यकता होती है और उस के साथ जो विलम्ब हो जाता है, जो हम को उस आवश्यक कार्यवाही को करने से रोकता है।

निश्चय ही 'लोक हित' का निर्णय कौन करेगा? श्री बंसल ने मुझ से चाहा कि मैं यह सिद्ध करूं कि इस की आकस्मिक आवश्यकता है। उन का कहना है कि यदि आप इस को सिद्ध नहीं कर सकते हैं तो इस को विधेयक के आकार में घोषणा स्वरूप रख दीजिये कि आप केवल आकस्मिक आवश्यकता से ही सम्बन्धित हैं और आप ही इस के निर्णायक हैं कि इस की आकस्मिक आवश्यकता है या नहीं। तो इस के रखने का उद्देश्य क्या है? मैं ने उसे इन शब्दों में रखा है कि जनता को चाहिये कि उसे मूल अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों द्वारा जो अधिकार दिये गए हैं उन का त्याग कर दें जैसे उद्योग परामर्शदात्री परिषद् का विमर्श लेना, या हितों विशेष की ओर ध्यान देना, केवल उन मामलों में जहां आकस्मिक आवश्यकता हो।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

उन का कहना है कि वह आकस्मिक आवश्यकता के शब्द से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि आप को आकस्मिक आवश्यकता सिद्ध करनी होगी, वह मुझ से केवल यह कहलाना चाहेंगे कि सरकार ही पूरी पंच है और पूरी निर्णायक कि यह आकस्मिक आवश्यकता है अथवा नहीं। यही मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं। मुझे इस सदन को यह बताना है कि जो भी कार्यवाही मैं करता हूं वह उचित ढंग से करता हूं। नहीं तो सदन मुझे या मेरे उत्तरा-

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

धिकारी या मेरी कैबिनेट के किसी भी सदस्य को जो भी इन अधिकारों का उपयोग करता होगा, आकस्मिक आवश्यकता को सिद्ध करने के लिये उत्तरदायी ठहरा सकता है । हम ऐसा केवल इसलिये नहीं कर सकते क्यों कि कोई भी उद्योगपति ऐसा हो सकता है कि मैं जिसे देखना पसन्द नहीं करता या जिसने आम सभा की मीटिंग में बड़े जोरों में मेरी आलोचना की हो वह कतई सही नहीं है । यदि वह मेरी आलोचना करता है, तो मैं जानता हूं कि मेरे ऊपर उस का कोई प्रभाव पड़ने का नहीं । यदि वह मुझे चोट पहुचाने का प्रयत्न भी करे तो भी मैं पूर्ण सुरक्षित हूं यह मैं अनुभव करता हूं । तथ्य यह है कि लोक-हित होना चाहिये और लोक हित सिद्ध भी हो जाना चाहिये । सरकार समस्या के तथ्यों का निरीक्षण किये बिना कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकती । अतः मेरे मित्र श्री बंसल द्वारा रखी गई बात पूर्ण रूपेण सही नहीं है । मैं ने सदन में प्रकट कर दिया है कि हम खण्ड १८ का तथा उस से सम्बन्धित सभी प्रतिबन्धों के अधीन कार्यवाही करने में पूरी सावधानी से काम लेंगे । यदि स्थिति में सुधार किसी व्यापारिक संस्था विशेष के मालिकों तथा प्रबन्धकों के निर्देश करने से सम्भव हो सका तो हम वह भी करेंगे । किन्तु किसी भी ऐसी व्यापारिक संस्था का प्रबन्ध करने का उत्तर-दायित्व, लेने में हमें प्रसन्नता न होगी जो उस प्रकार अच्छी तरह कार्य कर सकती है, जहां उत्पादन ठीक चल रहा हो, मज़दूरों को बराबर काम मिलता हो तथा जनहित की ओर ध्यान रखा जाता है ।

मैं जैसा कि कह चुका हूं माननीय सदस्य श्री गान्धी के भाषण के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं जिन्होंने सम्पूर्ण स्थिति पर अपने अद्वितीय ढंग से पुनर्विचार किया है उन्होंने जो विवाद बिन्दु उठाया वह तालिका के सम्बन्ध में है । उन्हों ने बताया कि तालिका एक प्रकार की टोकरी है--उन्हों ने उसे "रद्दी की टोकरी" नहीं कहा जिस के लिये मैं उनका आभारी हूं--जिस में छोटी-बड़ी सभी प्रकार की चीज़ें, सभी प्रकार की मछलियां रहती हैं । सम्भवतः वह सही भी हों । जब वह अपनी आलोचना को तथ्यों के आधार पर रखते हैं तो मैं उस से झगड़ा नहीं कर सकता । यह सत्य है कि जिन उद्योगों के सम्बन्ध में कहा गया है, देश की अर्थव्यवस्था के लिये विभिन्न मात्रा में अपनी महत्ता रखती हैं, और सम्भवतः जैसा कि मेरे माननीय मित्र जो सब से अन्त में बोले थे उन्हों ने बताया था कि उन की दष्टि से साबुन आवश्यक नहीं है ।

तब श्री गांधी ने सुझाव रखा कि कुछ प्रमुखता भी रखनी चाहिये । आप कह सकते हैं लोहा तथा स्पात उद्योग के लिये १ करोड़ रुपया रखा जाय और सम्भवतः १ लाख रुपया साबुन उद्योग के लिये । यद्यपि निस्सन्देह यह सही है कि कुछ प्रमुखता अवश्य रखी जानी चाहिये यदि सम्भव हो तो किन्तु जब वह यह कहते हैं कि मैं १ करोड़ रुपये को किसी भी प्रमुखता जैसे लोहा तथा स्पात उद्योग के लिये रख सकता हूं क्योंकि सभी स्पात की बहुत थोड़ी पूंजी वाली ढलाई मिलें इस अधि-नियम के अधीन आ जाती हैं, ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे उन्हें पत्रक देने पड़ते हैं और वह मूल्य निश्चित करना पड़ता है जिस पर वे बेच सकें । कभी-कभी मुझे उन्हें मूल्य के सम्बन्ध में सहायता भी देनी पड़ती है किन्तु सारा नियन्त्रण का तरीका इस प्रकार कार्य करता है कि छोटी से छोटी मात्रा पर भी ध्यान दिया जाता है जिस से उपभोक्ता को एक निश्चित किया हुआ मूल्य ही देना पड़े अथवा वे मूल्य देने पड़ें जो विशेष क्षेत्रों में एक ही रहते हैं । अतः छोटी मात्रा में उत्पादन

की भी हम वहां उपेक्षा नहीं कर सकते । यह केवल मेरी देख-रेख के विचार से नहीं हो रहा है वरन् बड़ी शर्तों को रखने का है जिन के अनुसार वे कार्य करते हैं, मूल्य जिन का वे उदाहरण रखते हैं, कच्चे माल की किस्म जो वे क्रय करेंगे तथा जहां से क्रय करेंगे । और लोहा तथा स्पात के सम्बन्ध में हमारा नियंत्रण इस से भी अधिक है और स्टाक रखने वालों तक पर रहता है । इस प्रकार निस्सन्देह एक उद्योग से दूसरे उद्योग के बीच स्थितियां भिन्न भिन्न रहती हैं, महत्ता का दर्जा भी बदलता रहता है, ऐसा ज्ञात होता है कि शीघ्र ही तालिका में वद्धि ही होगी, कमी नहीं । मैं सदन को अपने विश्वास में दिलाने तथा यह बताने में कि प्रवर समिति में क्या हुआ था, किंचित मात्र की परवाह नहीं करता । अनेक माननीय सदस्यों ने जिन का विचार था कि तालिका में वद्धि ही होगी, कमी नहीं, यह सुझाव रखा है कि सरकार सदन में रखे जाने वाली तालिका के मदों में कुछ मद और सम्मिलित करने के लिये स्वयं ही क्यों आये । उन को तालिका में क्यों न रख दिया जाय और ऐसा करने के लिये सदन को सूचित कर दे । इस में एक कानूनी कठिनाई है क्योंकि वे उद्योग जिनका नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार कर सकती है, केवल वे ही उद्योग हैं जिन को संसद ने कानून के द्वारा राष्ट्री के लिये महवपूर्ण घोषित कर दिया है । और इसीलिये तालिका में होने वाले प्रत्येक योग को कानून के द्वारा ही करना पड़ेगा । यह सर्वथा मान्य है कि शीघ्र ही सभी बड़े उद्योग इस अधिनियम विशेष के विपरीत प्रभाव के अन्तर्गत आ जायेंगे ।

मेरे माननीय मित्र श्री गुरुपादस्वामी अपने संशोधन के समर्थन में बोले थे जिस के सम्बन्ध में कि मैं विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय चर्चा कर चुका हूं । और उन्हों ने एक चेतावनी दी है । उन्हों ने बहुत-सी चेतावनियां दी हैं और मुझे यह समझ नहीं आता कि मैं किस चेतावनी की ओर ध्यान दूं । खैर, मैं सभी चेतावनियों को ध्यान में रखूंगा । निस्सन्देह मेरे विचार और उन के विचार वस्तुत: परस्पर मेल नहीं खाते, क्योंकि मैं ने तो यह कहा है कि मेरा इस प्रस्ताव को राष्ट्रीयकरण के लिये प्रयोग में लाने का कोई इरादा नहीं है और वह इसी का राग अलापते जा रहे हैं कि हमें ऐसा करना चाहिये । उन्हों ने तथा मेरे माननीय मित्र श्री दामोदर मेनन ने लगभग एक से विचार प्रकट किये हैं । वे एक ही दल के हैं । उन्होंने राष्ट्रीयकरण के पहलू पर बल दिया । मेरे इस विरोध प्रदर्शित करने का क्या लाभ है कि इस विधेयक को राष्ट्रीयकरण के प्रयोजन के लिये प्रयोग में नहीं लाना चाहिये ? सम्भव है उद्योगों को सम्भालने तथा उन का प्रबन्ध करने से सरकारी या अर्ध-सरकारी कर्मचारियों को कुछ अनुभव प्राप्त हो जाये और अन्त में इसका राष्ट्रीयकरण किये हुए उद्योगों में प्रयोग किया जा सके । इस से सम्भवत: कर्मचारियों को राष्ट्रीकरण के लिये प्रशिक्षित कर के बिलकुल अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीयकरण में सहायता मिल सकती है, किन्तु अन्यथा वस्तुत: मेरा राष्ट्रीयकरण के प्रयोजन के लिये इस का प्रयोग करने का कोई इरादा नहीं है ।

श्री दामोदर मेनन: मैं ने यह नहीं कहा था कि इस विधेयक का राष्ट्रीयकरण के लिये अवश्य प्रयोग किया जाना चाहिये ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह तो अधिक बल देने का प्रश्न है । मेरे विचार में श्री गुरुपादस्वामी ने इस पर अधिक बल दिया था । मेरे माननीय मित्र पुराने और अधिक अनुभवी हैं तथा कम बल देते हैं ।

मेरे मित्र श्री बंसल के मार्ग में एक बड़ी भारी कठिनाई है । वह सरकार के साथ भी अच्छे बने रहना चाहते हैं और इस के साथ ही

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

किसी अन्य हित के साथ भी अच्छे बने रहना चाहते हैं। और मैं यह कहूंगा कि जब मैं उन्हें अचानक दो नावों के बीच में गिरने के खतरे में देखता हूं तो मुझे उन से सहानुभूति होती है। वह कहते हैं कि भरोसे से भरोसा पैदा होता है और विश्वास से विश्वास पैदा होता है। श्रीमान् मुझे आशा है कि आप मुझे कुछ संस्मरण-प्रेमी होने के लिये क्षमा करेंगे। मेरे विचार में १९२० में कभी जब कि मैं एक कालेज का विद्यार्थी था, मोन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों की चर्चा के समय स्वर्गीय श्री वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री उन सुधारों के अन्तर्गत उत्तरदायित्व की स्थिति पर विचार कर रहे थे। उन्हों ने विद्यार्थियों से यही वाक्यांश कहा था : "भरोसे से भरोसा पैदा होता है और विश्वास से विश्वास पैदा होता है।" उन्हों ने यह सुझाव दिया था कि हमें विशेष रूप से इस विषय में अंग्रेजों की **ईमानदारी** में कुछ भरोसा करना चाहिये। निस्सन्देह, हम सब ने उन की हंसी उड़ाई थी और उन्हों ने कहा था : "हां, मैं आप के अभिप्राय की प्रशंसा करता हूं, किन्तु आप जो कुछ करते हैं, मैं उस का समर्थन नहीं करता।" मैं अपने मित्र श्री बंसल से भी यही बात कहूंगा। वह जिन हितों के प्रतिनिधि हैं वे इस विधेयक के सम्बन्ध में जो कुछ कहते हैं मैं उस सब की प्रशंसा करता हूं, किन्तु वे जो कुछ करते हैं मैं उस का समर्थन नहीं करता।

किसी माननीय सदस्य ने यह कहा था कि इन को सम्भालने से सरकार दुर्बलताओं से घिर जायेगी। मैं निष्प्रयोजन चीज़ों को सम्भालना नहीं चाहता। प्रायः ऐसा होता है और मुझे यह सुझाव दिया गया है : "यह कारखाना अच्छी प्रकार कार्य नहीं कर रहा। तो आप धारा १५ के अधीन नोटिस क्यों नहीं देते ?" मैंने प्रारम्भिक पर्यालोकन करवाया है और यदि मेरे इसे सम्भालने से कोई लाभ होगा और मैं इसे चला सकूंगा, तो मैं सम्भवतः अपनी योजना को और आगे बढ़ाऊं, किन्तु यदि इसे रद्दी में ही डालना होगा तो मुझे सरकार के लिये निष्प्रयोजन चीज़ों को इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं।

अपने माननीय मित्र श्री गाडगिल के भाषण के सम्बन्ध में मुझे कुछ अधिक नहीं कहना है क्योंकि उन्होंने मेरे काम में हिस्सा बटाया है और इस संशोधक प्रस्ताव के सम्बन्ध में तथा सरकार को किस नीति का अनुसरण करना चाहिये इस सम्बन्ध में स्थिति को स्पष्ट किया है, मैं उन के इस सुझाव को सदा ध्यान में रखूंगा कि सरकार इस प्रस्ताव के अन्तर्गत जो कुछ भी कार्यवाही करे उस में उसे लोक हित का ध्यान रखना चाहिये। और यदि यह शर्त पूरी हो जाये तो मैं नहीं समझता कि किसी को इस बात का कोई भय कैसे हो सकता है कि सरकार न जाने इस प्रस्ताव के अधीन क्या कुछ करेगी। उन्हों ने निहित स्वार्थ व्यक्तियों के साक्ष्य की भी चर्चा की थी जो कि प्रवर समिति से मिले थे और उन्हों ने उस का आवश्यक उत्तर भी दे दिया है।

मैं समझता हूं कि मुझे अपने माननीय मित्र श्री टी० एन० सिंह का आभार मानना चाहिये कि उन्होंने इस विदेशी पूंजी के भूत के सम्बन्ध में ऐसी बातें कही हैं, जिन्हें कि मैं सम्भवतः कहने में हिचकिचाता। आखिर, हमारा एक स्वतन्त्र देश है। हम लोगों को इस में आने दे सकते हैं या नहीं भी आने दे सकते। और हम यह विदेशी पूंजी का प्रश्न बार बार क्यों उठायें ? यदि इसे प्रयोग करना आवश्यक होगा, जैसा कि मैं ने मांगों के उत्तर में अपने भाषण में कहा था, तो हम इस का प्रयोग करेंगे। और वस्तुतः, हमारे अपने भारतीय पूंजीपतियों को, जो कि यह कहते हैं कि : "विदेशी पूंजी को देश में मत आने दो", ऐसा कहने का अधिकार नहीं है क्यों कि

जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ पर आपत्ति उठाता है, तो न्याय की यह मांग होती है कि उस में कोई दोष नहीं होना चाहिये। यदि इन लोगों ने सहयोग किया होता और तब वे यह कहते कि विदेशी पूंजी देश में नहीं आनी चाहिये, तो जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री टी० एन० सिंह ने कहा, उन्हें ऐसा करने का अधिकार था। परन्तु क्योंकि उन्होंने आवश्यक सहयोग नहीं किया है, अतः मेरे माननीय मित्र का यह कहना ठीक है कि इन व्यक्तियों को यह कहने का कोई अधिकार नहीं कि, "विदेशी पूंजी का प्रयोग मत करो।" वास्तव में यदि उन के ही प्रश्न को दोहराया जाये तो "क्या बड़े बड़े उद्योगपति वास्तव में कुछ करना चाहते हैं?" यदि वे वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें इस विधेयक पर आपत्ति करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस विधेयक में हमारा किसी प्रकार से उन के हाथ बांध देने का विचार नहीं है।

श्री सारंगधर दास ने कोई ऐसी बात नहीं कही जिस का कि मैं उत्तर दे सकूं। उन्होंने चीनी उद्योग के सम्बन्ध में कुछ कहा था और चीनी उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिस में कि मैं छोटा साझीदार हूं। इस उद्योग का प्रबन्ध मुख्यतया खाद्य तथा कृषि मंत्रालय करता है, क्यों कि चीनी का नियंत्रण उसी के हाथ में है। खैर, हम आज चीनी उद्योग के विषय में चर्चा नहीं कर रहे हैं।

मुझे खेद है कि मेरे माननीय मित्र प्रो० शर्मा यहां उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने मेरी इसलिये निन्दा करने का प्रयत्न किया था कि मैं उन की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। सम्भवतः उन की आवाज इतनी ऊंची नहीं थी कि मैं उसे सुन सकता। उन्होंने मुझ पर कवि होने का दोष लगाया था। परन्तु मैं ने उन पर कवि होने का दोषारोपण नहीं किया था, क्योंकि, जैसा कि मैं ने कहा कि मुझे कवि पसन्द नहीं हैं और वह निश्चय ही कोई कवि नहीं हैं उन्हों ने उद्योग मंत्रणा परिषद् के सदस्यों के सम्बन्ध में कुछ कहा था और वह चाहते थे कि इस में विद्वान् लोगों को रखना चाहिये। मैं विद्वानों का बड़ा आदर करता हूं। मैं भी एक किताबों का कीड़ा रहा हूं, किन्तु मैं नहीं समझता कि विद्वान् लोग मुझे अपने संसार में प्रविष्ट होने देंगे। इस प्रकार प्रत्येक चीज़ अपने स्थान पर ही शोभा देती है। हमारी उद्योग मंत्रणा परिषद् में एक विद्वद्वर प्रो० सी०एन० वकील हैं। परन्तु यदि हम परिषद् को केवल विद्वानों से भर देंगे तो परिषद् विद्यामय हो जायेगी और व्यावहारिक नहीं रहेगी। हमें विद्वानों, व्यावहारिक व्यक्तियों, कट्टर व्यावहारिक व्यक्तियों, सहयोगियों तथा असहयोगियों और सभी प्रकार के व्यक्तियों का एक पुंज बनाना होगा और मैं सदन को यह बता सकता हूं कि मेरी उद्योग मंत्रणा परिषद् इस देश की वर्तमान राजनैतिक तथा विद्या-सम्बन्धी पृष्ठभूमि का एक नमूना मात्र है।

मैं अपने माननीय मित्र श्री अल्वा की कोई बात नहीं समझ सका।

श्री जोशिम अल्वा : प्रश्न को टालने का यह अच्छा तरीका है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी नहीं, आप ने जो कुछ कहा था मैं ने उस पर उस समय आपत्ति नहीं की। बाहर क्या हो रहा है इस सम्बन्ध में उड़ती हुई सूचनाओं और अनुमानों के आधार पर किसी के कोई समाचार पत्र खरीदने या कुछ धन का प्रयोग करने इत्यादि के बारे में सदन में कुछ कहना ठीक नहीं है। ये बड़े भीषण आरोप हैं और कोई संसद् का सदस्य भी इस प्रकार के आरोप तब तक नहीं लगा सकता जब तक कि वह उन्हें प्रमाणों द्वारा पुष्ट न कर सके और माननीय सदस्य के लिये बम्बई की सैलूनों में ज्ञात बातों को इस सदन

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

में बतलाना और नागरिकों के सम्बन्ध में चर्चा इत्यादि करना अनुचित है। नागरिकों और दुर्भाग्य से सार्वजनिक व्यक्तियों के भी ऐसे कई मामले हुए हैं। दुर्भाग्य से संसद् के सदस्यों के भी ऐसे मामले हुए हैं। हम सब एक ही समाज के अंग हैं और हर जगह कुछ बुरे व्यक्ति भी होते हैं। मुझे खेद है कि मेरे माननीय मित्र ने अपनी ओजस्वी वाणी का कुछ ऐसे लोगों के विरुद्ध प्रयोग किया जो अपने आरोपों का यहां उत्तर नहीं दे सकते और उन पर ऐसे आरोप लगाये जो केवल अनुमानों पर आधारित हैं और वास्तव में बिल्कुल निराधार हैं। मैं समझता हूं कि मुझे इस के अतिरिक्त उन की बातों का और कुछ उत्तर देने की आवश्यकता नहीं।

श्री जोशिम अल्वा : क्या माननीय मंत्री ने समवायों के वार्षिक वृत्तान्त नहीं पढ़े हैं ? वे मेरे पास आते हैं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं ने उन्हें पढ़ा है।

श्री जोशिम अल्वा : मैं ने समवायों के वृत्तान्तों तथा समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों से बाहर से कुछ भी नहीं कहा है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : उन का समाचार पत्रों से सम्बन्ध है और सम्भवत: वह यह समझते हैं कि हम जो कुछ यहां कहते हैं वह सब पत्रकारितापूर्ण है। खैर, मैं इस विषय में और कुछ नहीं कहूंगा।

अन्त में, मैं समझता हूं कि मुझे वातावरण को और अधिक स्पष्ट बना देना चाहिये, क्यों कि यद्यपि सम्बन्धित हितों के भयों के बारे में इस सदन के थोड़े से ही सदस्यों ने कुछ कहा है, किन्तु उन सम्बन्धित हितों की आवाज काफी ऊंची है। उन के दृष्टिकोण के सम्बन्ध में समाचारपत्रों में अग्रलेख प्रकाशित हुए हैं। मैं उन का कोई बुरा नहीं मानता। यह दृष्टिकोण प्रस्तुत किया ही जाना चाहिये था। परन्तु सम्बन्धित हित इस विषय में इस प्रकार से सोचते हैं जैसे कि कोई झगड़ालू पत्नी सोचती है। मैं चाहे जो कुछ भी करूं, मेरी झगड़ालू पत्नी मेरे से झगड़ती ही रहेगी और मेरा उन सम्बन्धित हितों से इस विषय में वही सम्बन्ध है जो कि एक पति का उस की झगड़ालू पत्नी के साथ होता है। यदि मैं कोई विधेयक प्रस्तुत न करूं, तो वे कहेंगे, "अरे, तुम ने कुछ नहीं किया।" यदि मैं एक ऐसा विधेयक प्रस्तुत करूं जिस में कुछ ऐसे उपबन्ध हों जिन से कि वे प्रसन्न हो जायें तो वे कहेंगे, "अरे, यह पर्याप्त नहीं है।" हम मानवस्वभाव को नहीं बदल सकते। वे झगड़ते ही रहेंगे और मुझे यह सब सहन करना पड़ेगा। हम दोनों की परस्पर अब यही स्थिति है। मैं इतना ही कहूंगा कि मैं उन से उतना ही क्रुद्ध और असन्तुष्ट हूं जितना कि कोई पति अपनी झगड़ालू पत्नी से उस समय होता था, जब कि पुराने समय में विवाह-विच्छेद की विधियां लागू नहीं होती थीं। मैं इसे स्वीकार करता हूं क्यों कि मेरे भाग्य में यही लिखा है।

श्री बी० एस० मूर्ति: इस से यह प्रकट होता है कि आप अपनी पत्नी को अपने नियंत्रण में नहीं रख सकते।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : अच्छा, तो अपनी पत्नी को नियंत्रण में रखने के दो तरीके हैं। मैं नहीं समझता कि मेरे माननीय मित्र को इस विषय में मुझ से अधिक अनुभव प्राप्त है। झगड़ालू पत्नी से निबटने का एक बहुत अच्छा तरीका चुप रहना है और इस प्रकार आप उसे बड़ी अच्छी तरह अपने नियंत्रण में रख सकते हैं और विशेष रूप से इस मामले में मेरा इन सम्बन्धित हितों के प्रति यही रुख होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या हमें यहां पारिवारिक जीवन के सम्बन्ध में चर्चा करनी चाहिये ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : नहीं, श्रीमान्। मैं निजी रूप से कुछ नहीं कह रहा हूं, क्यों कि मेरी तो पत्नी ही नहीं है।

दूसरी बात यह है कि मैं इस के सम्बन्ध में क्या करूंगा और सरकार इस के सम्बन्ध में क्या करेगी ? मैं इस विषय में स्थिति को फिर स्पष्ट करना चाहूंगा। मैं डट कर सवारी नहीं करूंगा। मेरी लगाम बहुत ढीली होगी और मुझे आशा है कि लगाम को खींचने का कोई अवसर नहीं आयेगा। यदि इस अधिनियम के अन्तर्गत चलने वाले कारखानों का प्रबन्ध अच्छा होगा, तो मेरा इन उपबन्धों को प्रयोग करने का विचार नहीं है। परन्तु इस के साथ ही मैं यह भी नहीं चाहूंगा कि वे लगाम ले कर ही भाग जायें, क्यों कि यदि मैं डट कर सवारी करूंगा, तो मैं जानता हूं कि मुझे उन से कठोरता से काम करवाना पड़ेगा और इस से केवल शत्रुता उत्पन्न होगी। परन्तु, जैसा कि मैं ने कहा, मैं यह नहीं चाहूंगा कि वे लगाम को ले कर भाग जायें। जब तक वे यह जानते होंगे कि किसी ने उन की लगाम पकड़ी हुई है और जब तक वे ठीक रास्ते पर चलेंगे और लड़खड़ायेंगे नहीं तब तक मुझे पूरा निश्चय है कि धारा १८ क तथा उस के बाद के उपबन्धों के प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

मूल्य नियंत्रण के सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि यह तो केवल वर्तमान अधिनियमों को संहिताबद्ध करने का प्रयत्न मात्र है और मैं मूल्य नियंत्रण की आवश्यकता को अस्वीकार नहीं कर सकता। मैं समझता हूं कि जैसे जैसे समय बीतता जायेगा किसी न किसी प्रकार का मूल्य नियंत्रण अधिकाधिक आवश्यक हो जायेगा। माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि हम ने केवल देश में उत्पादित माल के सम्बन्ध में में ही मूल्यों को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं ली है बल्कि विदेश से आयात किए गए उसी प्रकार के माल के सम्बन्ध में भी। किन्तु कोई कह सकता है कि हमें संविधान के उपबन्धों के आधीन इन मूल्यों को नियंत्रित करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं कहता हूं कि मुझे ऐसा अधिकार है। आखिरकार जब एक संविधान बनाया जाता है और कुछ शक्तियां दी जाती हैं, तो उस में यह भी निहित होता है कि सरकार को प्रासंगिक एवं सहायक शक्तियां देनी पड़ती हैं। संयुक्त राज्य अमरीका में हुए काफी निर्णय इस बात को सिद्ध करने वाले हैं कि शक्ति के केवल एक प्रगणन मात्र का अर्थ उस से निकलने वाले विवरण का प्रगणन नहीं होता, और यदि माल इस देश में निर्मित किये जाते हैं और उसी प्रकार के माल आयात किए जाते हैं, मुझ को एक संकोष रखना होगा जिस में मुझे आयात किए गए मालों के मूल्यों को नियंत्रित करने की शक्तियां मिल सकें। अतः जहां तक मूल्य नियंत्रण का सम्बन्ध है, मैं अच्छी तरह समझता हूं कि इस में नियंत्रण लागू होगा, जब तक कि माल इतना अधिक न हो कि नियंत्रणों की कोई आवश्यकता ही न हो। मैं ऐसा कोई आश्वासन देने का विचार नहीं करता कि मूल्य नियंत्रण लागू नहीं होगा। लेकिन अन्य उपबन्धों के सम्बन्ध में, मैं फिर से यह बात कहने को तैयार हूं यदि मुझे इस शक्ति का प्रयोग करने को विवश न होना पड़ा तो मैं इस का प्रयोग नहीं करूंगा। यदि कुप्रबन्ध इतना स्पष्ट न हुआ कि मैं उद्योग मंत्रणा परिषद् की राय ले सकूं, तो निश्चय ही मैं ऐसा करूंगा। यदि कुप्रबन्ध केवल बहुत ही कम महत्व का है या अधिक महत्वपूर्ण नहीं है अथवा बहुत भयानक प्रकार का नहीं है और मैं एक इकाई को निदेश दे सकता हूं तो मैं उस इकाई को निदेश दूंगा। लेकिन हम इस अधिनियम का उपयोग करने का विचार

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

नहीं करते। यह विधान अव्यवहृत होने नहीं जा रहा है। इस का प्रयोग करने का अवसर हमें मिलेगा या नहीं यह सम्बन्धित हितों पर आधारित है, न कि सरकार पर। मुझे बस इतना ही कहना है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित उद्योगों के (विकास तथा निवनियमन) अधिनियम, १९५१ को संशोधित करने के विधेयक पर ध्यान दिया जाना चाहिए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : २ से ५ खण्डों में कोई संशोधन नहीं है। सचिव अब राज्य परिषद् का एक सन्देश पढ़ेंगे।

राज्य परिषद से प्राप्त संदेश

सचिव : श्रीमान, मुझे राज्य परिषद् के सचिव से प्राप्त निम्न दो संदेश प्रस्तुत करने हैं :—

(१) "राज्य परिषद् के कार्यों की प्रक्रिया तथा उन के संचालन के नियमों के नियम १६२ के उपनियम (६) के उपबन्धों के अनुसार भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक, १९५२ बिना किसी सिफारिश के लोक सभा को वापस भेजा जा रहा है।"

(२) "राज्य परिषद् के कार्यों की प्रक्रिया तथा उन के संचालन के नियमों के नियम १२५ के उपबन्धों के अनुसार राज्य परिषद ने बिना किसी संशोधन के भारतीय व्यापारिक नौपरिवहन (संशोधन) विधेयक, १९५२ को साथ स्वीकार कर लिया जो लोकसभा ने अपनी २५ अप्रेल १९५३ की बैठक मे पारित किया था।"

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन कल सवा आठ बजे तक के लिए स्थगित रहेगा।

तब सदन मंगलवार ५ मई १९५३ को सवा आठ बज तक के लिए स्थगित हो गया।